

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL ZONAL BENCH, NEW DELHI
OA NO. 1262 OF 2024

IN THE MATTER OF:

SHANKAR LAL LAKHADE

APPLICANT

//VERSUS//

STATE OF M.P. AND ORS.

RESPONDENTS

INDEX


S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY ON BEHALF OF M.P. STATE MINING CORPORATION ALONG WITH SUPPORTING AFFIDAVIT	1-14
2.	LIST OF DOCUMENT	15
3.	COPY OF THE APPROVED MINING PLAN, WHICH SERVES AS THE BASIS FOR REGULATED MINING OPERATIONS IN THE REGION	16-57
4.	COPY OF THE RELEVANT E-TP REPORTS FROM THE YEAR 2020 TO 2025	58-122
5.	COPY OF THE ENVIRONMENTAL CLEARANCE (EC) GRANT BY SEIAA	123-134
6.	COPY OF THE CONSENT ORDER	135-145
7.	COPY OF STATUS REPORT OF VIOLATORS	146-184
8.	COPY OF INSPECTION REPORT	185-199
9.	COPY OF THE RECENT COMPLIANCE REPORT FILED WITH SEIAA ALONG WITH THE PHOTOGRAPHS DEPICTING PLANTATION	200-283
10.	COPY OF THE ISSUED DIRECTIVE	284-286

PLACE: BHOPAL

RESPONDENT NO. 3

DATE: 14.10.2025

THROUGH


GUNJAN CHOWKSEY
ADVOCATE

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL ZONAL BENCH, NEW DELHI

OA NO. 1262 OF 2024

IN THE MATTER OF:

SHANKAR LAL LAKHADE

APPLICANT

//VERSUS//

STATE OF M.P. AND ORS.

RESPONDENTS

REPLY ON BEHALF OF M.P. STATE MINING
CORPORATION,

The Respondent No. 3 Most Respectfully Showeth:

1. That the aforementioned Matter, regarding illegal mining in river bed and mid-stream of river Bawanthadi which is situated in Balaghat, MP, is listed before the Hon'ble Tribunal for Completion of the Pleading. The Commissioner of the M.P. State Mining Corporation has been arrayed as Respondent no. 3 in the present Original Application.
2. That the present reply is being filed by the Madhya Pradesh State Mining Corporation (hereinafter referred to as "the answering Respondent" or "the Corporation") through its authorised representative, Mr. Omkaar Prasad, a Government Undertaking duly constituted under the Companies Act, 1956, functioning under the aegis of the State Government, with its head office situated at Bhopal, Madhya Pradesh.
3. The answering Respondent is primarily entrusted with the responsibility of granting mining leases for minor minerals, including sand, in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, the Environment (Protection) Act, 1986, and other applicable statutory and regulatory frameworks. The Corporation further plays a pivotal role in the implementation of the mining policy of the State, ensuring scientific, sustainable, and legally compliant mining operations. It is also committed to environmental safeguards, maintaining ecological balance, and preventing illegal or unregulated extraction of minor minerals.

4. The answering Respondent vehemently denies all allegations made against it in the present application. It is submitted that the Corporation has duly discharged its statutory responsibilities and has acted strictly in accordance with law, ensuring:
- i That all mining leases have been granted only to eligible contractors/entities after due process and statutory clearances, including Environmental Clearance (EC), where applicable.
 - ii Strict adherence to mining plans, demarcated zones, and permissible excavation limits as per lease conditions.
 - iii Periodic monitoring and reporting of sand mining activities to the competent authorities.
 - iv Necessary instructions issued to leaseholders to ensure compliance with environmental norms and prohibition of unauthorized extraction, particularly in riverbeds and midstream areas.
5. It is further submitted that wherever instances of unauthorized or illegal mining have come to light, the answering Respondent has:
- i. Promptly informed the competent District Authorities and the Department of Geology & Mining.
 - ii. Sought appropriate penal action including imposition of penalties, suspension/cancellation of leases, or initiation of FIRs.
 - iii. Maintained full cooperation with regulatory authorities such as the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) and District Environmental Committees.
6. That it is respectfully submitted that prior to the commencement of any mining activity, a comprehensive mining plan was duly prepared in accordance with the applicable statutory norms, environmental safeguards, and sustainable mining practices. The said mining plan underwent detailed scrutiny and was subsequently approved by the competent authority, i.e., the Office of the Collector, Mineral Department, District Balaghat, only after ensuring full compliance with all mandatory legal provisions, including but not limited to environmental regulations,

ecological considerations, and site-specific safeguards. The approval was granted after evaluating the impact on the local ecology, water table, river morphology, and other relevant environmental parameters. **Copy of the approved mining plan, which serves as the basis for regulated mining operations in the region, is hereby marked and annexed as ANNEXURE 1.**

7. That it is further submitted that the answering Respondent, in compliance with the regulatory framework and in its commitment to transparency and accountability, regularly prepares and maintains the e-TP (Electronic Transit Pass) reports through the designated online platform provided by the Mining Department. This system enables real-time tracking and management of sand transportation from the approved mining sites, thereby ensuring that extraction, transportation, and sale of sand are carried out strictly within the bounds of the approved quantity and permissible routes. The e-TP system plays a vital role in curbing illegal mining practices, preventing over-extraction, and facilitating effective enforcement by allowing seamless monitoring by concerned authorities. The answering Respondent has consistently adhered to this mechanism as part of its obligations. **Copy of the relevant e-TP reports from the year 2020 to 2025 are hereby collectively marked and annexed as ANNEXURE 2.**

8. That it is respectfully submitted that the Ministry of State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Madhya Pradesh, after due diligence and assessment of all environmental parameters, was pleased to grant Environmental Clearance (EC) in favour of the answering Respondent for undertaking mining operations in the designated area. The said clearance was granted after evaluating the potential environmental impacts, ensuring compliance with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, and relevant guidelines under the EIA Notification, 2006. The answering Respondent, upon receipt of the said EC, has strictly adhered to all the terms, conditions, and environmental safeguards stipulated therein. All operations have been carried out in accordance with the obligations mentioned in the EC, and continuous efforts have been made to ensure that mining activities remain sustainable, non-invasive, and environmentally compliant. **Copy of the Environmental Clearance (EC) grant by SEIAA is hereby marked and annexed as ANNEXURE 3.**

9. That it is further submitted that the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) has also granted the requisite Consent to Operate to the answering Respondent, under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, subject to certain environmental and operational conditions. The said Consent Order outlines specific norms relating to pollution control, dust suppression, protection of the water table, and overall environmental management during mining operations. The answering Respondent has duly complied with all such stipulated conditions in letter and spirit, and has taken all necessary steps to ensure that the mining operations are carried out in an environmentally sustainable and legally compliant manner. Regular submissions and updates are also provided to the MPPCB as per the applicable guidelines and reporting schedule. **Copy of the said Consent Order is hereby marked and annexed as ANNEXURE 4.**
10. That it is further submitted that in the event of any violation of the mining rules, including unauthorized extraction or illegal transportation of sand by any person or entity, the answering Respondent, under the supervision and in coordination with the Office of the Collector, District Balaghat, and the designated Rajasv Adhikari (Revenue Officer), promptly initiates appropriate action against the violators. Such action includes the imposition of penalties, seizure of illegally extracted minerals, cancellation or suspension of permits, and initiation of legal proceedings as per the provisions of the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules and other applicable laws. The answering Respondent remains vigilant and committed to ensuring that no illegal mining activity is permitted to take place, and that stringent enforcement measures are taken against those found guilty of any breach. **Copy of one such status report is hereby marked and annexed as ANNEXURE 5.**
11. That it is also pertinent to submit that, in order to strengthen monitoring and enforcement mechanisms, a dedicated Committee known as the District Task Force Committee has been constituted by the District Collector, Balaghat. This Committee is specifically tasked with the responsibility of preventing illegal excavation of sand, curbing unregulated mining operations, and ensuring strict compliance with environmental and mining regulations within the territorial limits of Balaghat district. The District Task Force Committee functions through regular inspections, surprise visits, coordination with local enforcement agencies, and real-time monitoring of mining activities. The answering

Respondent actively cooperates with the said Committee and extends full support in carrying out enforcement drives, furnishing reports, and sharing necessary data as and when required for ensuring transparency and accountability in sand mining operations. **Copy of one such inspection report is hereby marked and annexed as ANNEXURE 6.**

12. That with reference to the aforementioned matter, the Hon'ble Tribunal vide its order dated 20.11.2024 had given directions for formation of a Joint Committee consisting of One representative from District Magistrate, Balaghat (M.P.), One from the MPPCB, One from the CPPCB, and integrated Regional Office, MoEFCC, B with CPPCB, the nodal agency for coordination and logistic support. Further, vide said order, the Hon'ble Tribunal also directed the said committee to visit the site and submit the factual and action taken report.
13. Accordingly, in compliance with the said order of Hon'ble Tribunal, a joint committee was constituted having Shri R K Khatarkar, Mining Officer, Balaghat, Shri Alok Kumar Jain, Regional Officer, MPPCB, Jabalpur, Shri Sunil Kumar Meena, Scientist-E, CPCB (RD) as nodal officer, Bhopal and Shri Rajasekhar Ratti, Scientist-E, MoEFCC (IRO), Bhopal and the said joint committee along with the complainant jointly inspected the site in question on 13.12.2024 and also prepared a joint committee report on the same. That the copy of the report is already placed on record.
14. That it is alleged that sand mining activities have been carried out beyond the sanctioned lease area due to the answering Respondent. In this regard, it is most respectfully to be clarified that the mining lease in question has been granted strictly with reference to a defined area, i.e., bhumi khasra no. 463, rakba 4.99, at the chicholi village, as demarcated in the sanctioned mining plan and lease documents, and not based solely on geo-coordinates. It is submitted that geo-coordinates, being based on satellite and GPS mapping technologies, are subject to minor variations and fluctuations due to technical and environmental factors, whereas the physical area granted under the lease remains constant and accurately identifiable on ground through demarcation and boundary pillars. Therefore, any perceived deviation or overlap beyond the lease area, as alleged, is likely the result of discrepancies arising from reliance on shifting geo-coordinates, and not due to any actual encroachment or unauthorized mining beyond the sanctioned leasehold limits by the answering Respondent.

15. That it is most respectfully submitted that no sand mining activity is being carried out at or beyond the inter-state boundary adjoining the State of Maharashtra. The answering Respondent categorically denies any involvement in or authorization of mining operations beyond the limits of its sanctioned lease area within the territorial jurisdiction of Madhya Pradesh. Furthermore, the answering Respondent undertakes to work in close coordination with the concerned district authorities and regulatory agencies towards strengthening the mechanism for monitoring and regulating the transboundary movement of minor minerals. This includes enhancing surveillance, ensuring proper documentation, and deploying digital tracking systems to prevent and curtail any incidents of illegal transportation of sand across the state border.
16. **IMPLEMENTATION OF THE RECOMMENDATIONS:** The answering Respondent has commenced the implementation of the recommendations made by the Joint Committee constituted in the present matter as follows:
- a) In compliance thereof, the answering Respondent has initiated steps to ensure greater transparency and environmental accountability, including the publication of annual excavation reports in the public domain for public disclosure.
 - b) Furthermore, the answering Respondent is in the process of establishing a dedicated Environmental Management Cell (EMC), comprising qualified and experienced environmental professionals, to oversee and ensure compliance with sustainability protocols and the conditions stipulated in the Environmental Clearances (ECs) granted by the competent authorities.
 - c) In addition, the answering Respondent has undertaken to carry out plantation activities strictly in accordance with the afforestation and green belt development requirements laid down in the EC, and shall ensure that all relevant environmental data, compliance reports, costs involved and plantation status are made readily available for access in the public domain.
 - d) In compliance with the recommendations of the Joint Committee, the answering Respondent respectfully submits a point-wise status of compliance as under:

S. No.	RECOMMENDATIONS OF THE JOINT COMMITTEE	COMPLIANCES/ACTIONS TAKEN BY THE RESPONDENTS
i	<p>Due to gross negligence by the project proponent (M/s MP State Mining Corporation Ltd. & MDO), sand excavation occurred outside the mine lease boundary. It is crucial to verify if this has been happening since 2021. There are doubts that the lease was re-granted incorrectly. The Department of Mining & Geology must urgently recheck the geographical coordinates of the mine lease retrospectively since 2021.</p>	<p>The mining plan and lease documents have been thoroughly re-verified. During this process, it was observed that a clerical error existed in the geo-coordinates of Pillar No. C in the approved mining plan, which did not match the coordinates inscribed on the physically installed boundary pillars. This discrepancy has already been recorded in the Joint Committee's report. Accountability has been fixed upon the concerned Mine Developer and Operator (MDO) and other potentially involved illegal miners. Show-cause notices have been issued, and FIRs have been lodged in respect of earlier illegal mining activities, with further FIRs being filed based on re-investigation. Additionally, from 2021 till date, the geo-coordinates of the Chicholi sand mine have been verified afresh and found consistent with the approved mining plan and Environmental Clearance (EC) documents. Furthermore, 12 cases of illegal transportation/storage have been registered in Village Chicholi between 2021 and 2024, leading to a penalty of Rs. 19.42 lakhs being levied and deposited. One FIR was</p>

		also registered in January 2024 for illegal mining at Chicholi.
ii	SEIAA shall put the Environmental Clearance in abeyance till the procedural corrections made. Environmental Clearance shall be revised with site specific findings.	The allocation of sand mines was carried out impartially through e-tender on the MP Sand Portal in 2019 and later through e-tender-cum-auction on the MSTC Portal in July 2023. In both instances, mandatory site inspections formed part of the tender process. Hence, there has been no error in the allocation process and the EC was duly obtained after following statutory procedures.
iii	The M/s MP State Mining Corporation Ltd shall strengthen its monitoring and enforcement mechanism to curtail such kind of illegality. Geotagging of the mine lease boundaries shall be made and shall be displayed on the web portal for public disclosure.	The Respondents has already undertaken comprehensive geotagging of all approved sand mines at the district level. These geotagged details have been made publicly available on the Collector Office Portal along with the District Survey Report (DSR). Additionally, the same information has been uploaded on the Parivesh Portal of the MoEFCC, Government of India, and also on the XGN Portal of the MPPCB, thereby ensuring transparency and public disclosure.
iv	The M/s MP State Mining Corporation Ltd shall revise its mining plan of Chicholi village as part of the mine lease boundary is falling in Maharashtra State boundary.	A detailed comparison of the approved mining area with maps obtained from the Madhya Pradesh Land Records Department confirms that the Chicholi mine area lies entirely

	<p>And also strengthen its transboundary movement of minerals mechanism to curtail the illegal transportation.</p>	<p>within Madhya Pradesh. The same has also been physically verified by the revenue staff of the Collector's Office, District Balaghat. Geo-coordinate maps of the village were obtained from the official website of the Land Records Department (i.e., https://mpbhulekh.gov.in). On these maps, the coordinates depicted in the DGPS survey and the mining plan were plotted and found to be almost at the same location. Discrepancies noted on Google Earth were clarified through official DGPS surveys, which confirmed the coordinates as falling within Madhya Pradesh. Further, to strengthen interstate monitoring, an electronic check gate (unmanned monitoring system) is being installed at Village Bonkatta near the border, which will enable automated monitoring of mineral transportation.</p>
v	<p>The M/s MP State Mining Corporation Ltd., shall ensure that mine leases are only tendered after a comprehensive replenishment study has been conducted. Lease wise, periodical replenishment studies and yearly excavation details shall also be provided on the portal for public disclosure.</p>	<p>The Respondents has displayed mine-wise details of sand availability, annual replenishment quantities, and excavation figures on the Collector Office Portal. Since 2021, pre- and post-monsoon physical assessments of sand availability have been undertaken every year. Additionally, a pilot project has been initiated through</p>

		MPSEDC to conduct regular replenishment studies in line with the Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020.
vi	M/s MP Mining Corporation should establish Environmental Management Cell with qualified persons to comply with sustainability and compliance to the all-Environmental Clearances issued to them.	The Respondents has established a dedicated Environmental Management Cell at the head office level, staffed with qualified and experienced engineers and environmental consultants. This Cell is tasked with ensuring sustainability in mining operations and compliance with all conditions of Environmental Clearances granted by SEIAA, MP.
vii	Interstate /inter district committee shall be constituted for monitoring of sand mining activities.	At the district level, a Task Force Committee under the Chairmanship of the Collector, Balaghat, has been constituted comprising officers from Revenue, Police, Forest, Mining, and allied departments. This Committee regularly monitors and takes enforcement measures against illegal mining, transportation, and storage of sand. At the interstate level, coordination has been established between Collector, Balaghat (Madhya Pradesh) and Collector, Bhandara (Maharashtra), with monthly joint inspections being undertaken by departmental staff.
viii	The M/s MP State Mining Corporation Ltd through MDO	To * monitor interstate transportation of minerals, an

	shall install CCTV camera, weigh bridge to quantify actual mineral excavation and dispatch. Also install GPS in mineral transporting vehicles.	electronic check gate (unmanned monitoring system) is being installed on the road near the inter-state border in Village Bonkatta, located near the Chicholi mine area. This will enable monitoring of sand transported from the Chicholi sand mine as well as minerals transported from other nearby regions and drone-based volumetric verification is conducted at stockyards.
ix	The M/s MP State Mining Corporation Ltd through MDO shall ensure plantation as per the conditions stipulated in the environmental clearance. Budget and expenditure for conducting environmental activities shall be displayed on the portal.	The Respondents has engaged environmental management consultants for ensuring plantation and afforestation activities in accordance with the Environmental Clearance conditions. Six-monthly compliance reports have been filed with SEIAA, MP, and the District Mining Office since 2021. These reports, verified by the District Mining Office and MP State Mining Corporation, include details of plantation and expenditure on environmental activities. A copy of the recent compliance report filed with SEIAA along with the photographs depicting plantation are hereby marked and annexed as ANNEXURE 7.
x	The State Mines and Geology Department should discourage small leases in large rivers due to dynamic sand	The Mineral Resources Department, through its directive dated 29.05.2024, has directed identification of sand

<p>replenishment. Small leases can be encouraged in rivulets/nalas needing desilting. Conduct a comprehensive scientific assessment every five years and publish it according to Sand Mining Guidelines.</p>	<p>mines exceeding 250 hectares and discouraged small leases in large rivers. Smaller leases are being identified in rivulets/nalas needing desilting. A continuous process of scientific assessment is being carried out, and in collaboration with MPSEDC, technology-based pilot projects are being developed for identification of sand availability in new areas.</p> <p>A copy of the issued directive is hereby marked and annexed as ANNEXURE 8.</p>
--	---

17. The Corporation does not engage in mining activities directly; rather, it facilitates lawful mining operations through lease agreements, and the responsibility to abide by the lease conditions lies with the lessees. Nevertheless, the Corporation exercises oversight and coordination with concerned departments to ensure that no ecological damage occurs.
18. The allegations of deep excavation (20–25 feet), disturbance of river morphology, and depletion of groundwater are vague, generalized, and not attributable to the acts of the answering Respondent. No specific incident or location has been substantiated with credible evidence linking the answering Respondent to any illegal act.
19. Without prejudice, the answering Respondent submits that it is ready and willing to cooperate fully with any inspection, enquiry, or remedial process as may be directed by this Hon'ble Tribunal in the interest of environmental justice and sustainable resource management.
20. That the answering Respondent reserves the right to file detailed and specific submissions, along with relevant records and compliance reports, as and when directed by this Hon'ble Tribunal.

PRAYER

In light of the above, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to:


- a) Compliance Report/Reply supported by a duly Notarized Affidavit be taken on record;
- b) Pass such other order(s) as may be deemed just and proper in the facts and circumstances of the case.

PLACE: BHOPAL

DATE: 14.10.2025

THROUGH

RESPONDENT NO. 3


GUNJAN CHOWKSEY

ADVOCATE

Dheeraj Khullas
NOTARY
Jabalpur District
M.P. INDIA



**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL ZONAL BENCH, BHOPAL**

OA No. OA/1262/2024

IN THE MATTER OF:

SHANKAR LAL LAKHADE

//VERSUS//

STATE OF MADHYA PRADESH & ORS.

..... **APPLICANT**

..... **RESPONDENTS**

14 OCT 2025

AFFIDAVIT

I, Omkar Prasad Dubey S/o Devi Prasad Dubey, Aged about 58 Years, R/o-424, Purani Basti, Gauri Ghat, Jabalpur, M.P. - 482001 do hereby solemnly affirm and state as under:-

1. That I am the Authorized Signatory as well as Junior Field Manager of the M.P. State Mining Corporation Ltd., situated at Paryawas Bhawan, Block No. 1, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, Bhopal. I am fully conversant with the facts and circumstances of the case based on records and I am competent to swear this affidavit.
2. That M.P. State Mining Corporation Ltd. has been arrayed as Respondent no. 3 in the above captioned matter.
3. That the accompanying Objections have been drafted by the counsel under my instruction and the contents of the same are true and correct as per my knowledge and belief.

Dheeraj Khullas
NOTARY
Jabalpur District
M.P. INDIA

14 OCT 2025

Omkar Prasad Dubey
DEPONENT
ATTESTED

VERIFICATION

I, Omkar Prasad Dubey, do hereby verify that the contents of the above affidavit from Paragraph No.1 to 3 as true to the best of my personal knowledge and belief.

14 OCT 2025

Verified and signed herein Jabalpur on this 14th Day of October 2025.



Hitesh Chandra
DEPONENT
Identified by me.....
Name... *Ganesh Kumar*
Address... *Ghatol 1/2*
ATTESTED

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL ZONAL BENCH, NEW DELHI

OA NO. 1262 OF 2024

IN THE MATTER OF:

SHANKAR LAL LAKHADE

APPLICANT

//VERSUS//

STATE OF M.P. AND ORS.

RESPONDENTS

LIST OF DOCUMENTS

S. NO.	PARTICULARS	ANNEXURE	PAGE NO.
1.	COPY OF THE APPROVED MINING PLAN, WHICH SERVES AS THE BASIS FOR REGULATED MINING OPERATIONS IN THE REGION	ANNEXURE 1	16-57
2.	COPY OF THE RELEVANT E-TP REPORTS FROM THE YEAR 2020 TO 2025	ANNEXURE 2	58-122
3.	COPY OF THE ENVIRONMENTAL CLEARANCE (EC) GRANT BY SEIAA	ANNEXURE 3	123-134
4.	COPY OF THE CONSENT ORDER	ANNEXURE 4	135-145
5.	COPY OF STATUS REPORT OF VIOLATORS	ANNEXURE 5	146-184
6.	COPY OF INSPECTION REPORT	ANNEXURE 6	185-199
7.	COPY OF THE RECENT COMPLIANCE REPORT FILED WITH SEIAA ALONG WITH THE PHOTOGRAPHS DEPICTING PLANTATION	ANNEXURE 7	200-283
8.	COPY OF THE ISSUED DIRECTIVE	ANNEXURE 8	284-286

PLACE: BHOPAL

RESPONDENT NO. 3

DATE: 14.10.2025

THROUGH

Gunjan Chowksey
GUNJAN CHOWKSEY
ADVOCATE

(16)

MINING PLAN OF CHICHOLI SAND QUARRY

Area-4.990 Hector

Mineral-Sand

River-Shawanthari

Khasra No - 463

Proposed Production-59880 m³/year

Plan Period-5 Years

Village- Chicholi

Tehsil - Khairlanji

District - Balaghat

State- Madhya Pradesh

(This quarry plan is submitted as per the provision of rule 42, (A) Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996) & SAND MINING POLICY 2019

Project Proponent

M/s MP State Mining Corporation
Bhopal



Prepared By

Ashutosh Sanyashi (Geologist)

RQP/DGMMP/155/2016

Shiv Park Colony

Mahadev Ghat, Durg(C.G.)

Mob-9406319043, 8319756715

Email- ashusanyashi@gmail.com

2023

Ashutosh Sanyashi

(Geologist)

RQP/DGMMP/155/2016

9406319043, 8319756715



पूरन लाल लक्षकार

कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)

दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.

जिला कार्यालय-बालाघाट

M.P.
ज्वेल निरीक्षक
जिला-बालाघाट
2023-11-14
[Signature]



दि मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

17

दूरभाष : 2763391, 2763392, 2763393
 फोन : 0755- 2763394
 e-mail : info.mpsmc@mp.gov.in
 Website : www.mpsmcl.mp.gov.in
 CIN : U01410MP19625GC000937

पंजीकृत कार्यालय :
 पर्यावरण भवन, ब्लॉक नं. 1 (ए)
 द्वितीय तल, जेल रोड,
 अरेश हिल्स, भोपाल- 462011

कायदेश

क्रमांक:रेत/RQP_3/2023/ 680

दिनांक:- 31.03.2023

प्रति,

श्री आशुतोष सन्यासी,
 380/25, शिव पार्क कॉलोनी,
 महादेव घाट रोड, बटालिपन पेट्रोल पंप के पास,
 अमलेश्वर, जिला दुर्ग (छ0ग0) पिन- 491111

विषय:- रेत खदानों के माइनिंग प्लान वास्तु अल्पकालिक निविदा (Selection of RQP for Preparation of mining plan of sand mines of Group RQP 3 Balaghat)

संदर्भ:- आशय पत्र दिनांक 21.03.2023

निगम द्वारा संदर्भित आशय पत्र के तहत समूह क्रमांक RQP_3 की रेत खदानों के माइनिंग प्लान बनाने वाले हेतु सुरक्षा राशि रु0 1,31,093/- दिनांक 28.03.2023 तक जमा किये जाने हेतु लेख किया गया था।

2. आपके द्वारा निविदा में भाग लेते समय जमा ई0एम्0डो0 राशि रु0 25,000/- के अतिरिक्त सुरक्षा राशि रु0 1,31,093/- देय होती है। निगम को यह राशि BG के माध्यम से दिनांक 27.03.2023 को प्राप्त हो गई है।

3. एतद द्वारा संलग्न सूची में उल्लेखित खदानों का माइनिंग प्लान विहित समयावधि में सक्षम अधिकारी के तत्त्व स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।

पूरन लाल लक्षकार
 कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
 दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.
 जिला कार्यालय-बालाघाट

4. निविदा की निम्न शर्तें अंकृत हैं:-

छ(iv) समय -सीमा-

सफल आर0क्यू0पी0 द्वारा समूह में सम्मिलित 5 हे0 से कम रकबे की खदानों खनन योजनाएँ, कार्यादेश जारी किये जाने की तिथि से निम्नानुसार धरणबद्ध तरीके से सक्षम अधिकारी के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करनी होगी।

क. 50 प्रतिशत खदानों की खनन योजना अधिकतम 15 दिन में एवं

ख. शेष खदानों की खनन योजना 30 दिवस में


सफल आर0क्यू0पी0 द्वारा समूह में सम्मिलित 5 हे0 से अधिक रकबा की खदानों की खनन योजना, कार्यादेश जारी किये जाने के अधिकतम 45 दिन में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

सफल निविदाकार द्वारा किसी खदान विशेष की विहित समयावधि में कार्य निष्पादन में विलंब, उसके नियंत्रण के परे के कारणों से होने की स्थिति में, लिखित सूचना निगम को पूर्व में दी जावेगी एवं निगम के प्रबंध संचालक द्वारा गुण दोष के आधार पर उसके कार्य निष्पादन की समयावधि में वृद्धि पर विचार किया जा सकेगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा खनन योजना के संबंध में कोई स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी चाहे जाने पर सतोपजनक स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी 02 दिवस के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

छ(vii) फ़ीस का भुगतान - 50 प्रतिशत माईनिंग प्लान सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की पावति एवं देयक निगम में प्रस्तुत करने पर। 45 प्रतिशत का भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा माईनिंग प्लान की स्वीकृति उपरांत एवं शेष 5 प्रतिशत का भुगतान खदान की जल-वायु सम्मति प्राप्त होने पर। टी0डी0एस0 आदि की कटौती नियमानुसार की जावेगी।

RQP Work Orders



पूरन लाल लक्षकार
 कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
 दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.
 जिला कार्यालय-बालाघाट

स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी वैधानिक अथवा तकनीकी कारणों से खदान की आगामी वैधानिक स्वीकृतियों के प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो उक्त के कारणों का परीक्षण किया जायेगा। माइनिंग प्लान में ब्रुटि होने की स्थिति में सफल निविदाकार को उक्त ब्रुटि सुधार कर सक्षम प्राधिकारी से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा। जिसके विरुद्ध उसे पृथक से कोई भुगतान टैब नहीं होगा। यदि आगामी वैधानिक स्वीकृतियों के प्राप्त न होने के कारण माइनिंग प्लान की ब्रुटि सही है, तो शेष भुगतान किया जा सकेगा। इसका अंतिम निर्णय निगम के प्रबंध संचालक का होगा।

कृपया निहित समयावधि में कार्य सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।

(प्रबंध संचालक महादय द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



(अतुल शर्मा)

मुख्य सहायक (वित्त/लेखा)



पूरन लाल लक्षकार

कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)

दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट



क्र. RQP/DGM/

दिनांक

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के अंतर्गत
खनन योजना/खनन स्कीम/पूर्वक्षण रिपोर्ट/पर्यावरण प्रबंधन योजना/
खान बंद करने की योजना बनाने हेतु मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति का

प्रमाण पत्र



भौमिकी तथा खनिकर्म
मध्यप्रदेश (म.प्र.)

श्री आशुतोष सन्यासी, पिता श्री माखन सन्यासी, पता 380/25, शिवपार्क कालोनी
जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, जिनकी फोटो तथा हस्ताक्षर अभिप्रमाणित हैं, को मध्यप्रदेश गौण
खनिज नियम 1996 के अंतर्गत खनन योजना/खनन स्कीम/पूर्वक्षण रिपोर्ट/पर्यावरण
प्रबंधन योजना/खान बंद करने की योजना बनाने हेतु योग्य व्यक्ति के रूप में मान्यता
प्रदान करते हुए पंजीयन क्रमांक RQP/DGMMP/155/2016 आवंटित किया गया है।

एम्सिस बैंक लि. पन्डी रायपुर द्वारा प्रदत्त 50,000 रुपये की बैंक गारंटी क्रमांक
01390100000963 दिनांक 17.03.2021 से 27.03.2026 की अवधि हेतु प्रस्तुत की गई है।

यह मान्यता दिनांक 29.03.2021 से 27.03.2026 तक स्थानीय है।

मान्यता प्राप्त व्यक्ति के हस्ताक्षर -

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य)
दि. अ. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट

संचालक
भौमिकी तथा खनिकर्म
मध्यप्रदेश, भोपाल

CONSENT LETTER

The Sand Quarry Plan along with Progressive Quarry Closure Plan with Environmental Management Plan of Sand Quarry has been prepared by Shri Ashutosh Sanyashi, RQP/DGMMP/155/2016 under Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996 for approval. The lease hold area is located in Village- Chieholi Tehsil - Khairlanji, District Balughat, Madhya Pradesh covering an area of 4.990 ha.

The Director Geology and Mining, Madhya Pradesh / competent Authority is hereby requested to make further correspondence regarding this Quarry Plan with the person and address mentioned below-

Ashutosh Sanyashi (Geologist, RQP)
380/25 Shiv park colony
Mahadev Ghat Road
Amleshwar, Durg (C G)
Chhattisgarh
Registration No RQP/DGMMP/155/2016

An undertaking in this regard is being submitted that the Quarry Plan so prepared by the recognized person is with my knowledge and consent and shall be acceptable to me in all respects. I have clearly understood the contents of the Quarry Plan and agree to implement.

Place- Bhopal

Applicant

Date:

M/s MP State Mining Corporation
Bhopal


Ashutosh Sanyashi
(Geologist)
RQP/DGMMP/155/2016
M.P. State Mining Corporation, Bhopal
0715, 09406310043


पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट

27

CERTIFICATE FOR FULL CONSULTATION

This is to certify that the Quarry Plan along with Progressive Quarry Closure Plan with Environmental Management Plan of Sand Quarry of the applicant M/s MP State Mining Corporation, Bhopal, located in village-Chicholi, Tehsil - Khairlanji, District - Balaghat of Madhya Pradesh State covering lease hold area 4.990 Ha. has been prepared in full consultation with me and I have understood its contents and agree to implement the same in accordance with the law.

Place- Bhopal

Date:

Applicant

M/s MP State Mining Corporation
Bhopal



Ashutosh Sanyashi
(Geologist)

ROP/DGMMP/155/2013

886000756715, 09406318043



पूरन लाल लक्षकार

कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)

दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट

29

CERTIFICATE OF COMPLIANCE AND CORRECTNESS

1. Certified that the provisions of related Act and rules have been considered in the Sand Quarry Plan of M/s MP State Mining Corporation, Bhopal, Sand Quarry area of 4.990 Ha in village-Chicholi, Tehsil - Khairlanji, district- Balaghat of Madhya Pradesh State, which belongs to the applicant M/s MP State Mining Corporation, Bhopal.
2. Certified further that the provisions mentioned in Act, Rules and Regulations have been considered in the Quarry Plan and wherever specific permissions are required, the applicant will approach to the concerned competent authorities including D.G.M.S. for the same.
3. There is no violation against provision of Rules, Regulations of MMR, 1961 and there is no danger to human life.
4. The information furnished in the Quarry Plan is true and correct to the best of our knowledge.

Place- Amleshwar

Date



Ashutosh Sanyashi

RQP/DGMMP/155/2016

Ashutosh Sanyashi

(Geologist)

RQP/DGMMP/155/2016

[09406315756715, 09406315043]



पूरन लाल लक्षकार

कनिष्ठ प्रबन्धक (साधारण)

दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि,

जिला कार्यालय-बालाघाट

CONTENTS

Chapter no	CONTENTS OF QUARRY PLAN	PAGE No.
1	INTRODUCTION	1
2	GENERAL	2
3	LOCATION AND ACCESSIBILITY	3-4
4	TOPOGRAPHY AND GEOLOGY	5-7
5	ESTIMATION OF RESERVE	8-9
6	DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAMME	10-11
7	MAN POWER DEPLOYMENT	12
8	USE OF MINERALS	12
9	CONCEPTUAL MINE PLAN	12
10	ENVIRONMENT MANAGMENT PLAN	13-14
11	MINE CLOSURE PLAN	15
12	STRATEGY FOR PROTECTION OF RIVER COURSE, NALAS, WATER TANK, VILLAGES, IMPORTANT MONUMENTS, IF ANY	16
13	ANY OTHER RELEVANT INFORMATION	17

Plates:

Plate No	Map	Scale
Plate no-1	Khasra map	1:4000
Plate no-2	Key Plan	1:50000
Plate No-3	Location Plan	Not to scale
Plate no-4	Surface Geological Plan and Section	1:2000
Plate no-5	Production Plan and Section	1:1000
Plate no-6	Environment Plan	1:5000
Plate no-7	Googe Earth Image Map	Not to Scale

Enclosures:

Annexure I	Consent letter and Certificate
Annexure-II	Sand Replenishment Study Report
Annexure III	Sanction Order
Annexure-IV	DI O NOC
Annexure V	Tashildar NOC
Annexure-VI	Mining Inspector Report
Annexure-VII	Panchyat Prastav
Annexure-VIII	Surveyor Prativadan
Annexure-IX	Naksha, Khasra
Annexure-X	


 पूरन लाल लक्षकार
 कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
 दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.
 जिला कार्यालय-बालाघाट


 Ashutosh Sanyashi
 (Geologist)
 ROP/DGMMP/155/2016
 9790715, 93406319013

25

CHAPTER-1

INTRODUCTION

The Chicholi Vhawanthari river sand mine located at: Chicholi village at khasra no-463 thesil-Khairlanji at district-Balaghat. The area of the mine is 4.99 haect. The Chicholi Vhawanthari river sand mine had been auctioned by the collector Balaghat mining section from several years. The mine has been granted in favour of M/s MP State Mining Corporation, Bhopal.

The Chicholi Wawanthari river sand mine is located in the Chicholi village. The mining plan has prepared to Collector order made under MP MINOR MINER AULE 1996 M/s MP State Mining Corporation, Bhopal. The sand of the Chicholi Wawanthari river sand mine is used in bualking construction and road only.

There exists some factors which make the river sand rich. The R.L. of the origin of the river and mine site are 1048m at Mundara 209 km arial distance from the mine .the so much level difference makes easier to transport the sand by water from its incatement areas . The river an carry much quantity of aggregates / gravel and boulders. The length of the mine site from the river origin is approximately 345km. It means the incatement area is much more. The rock type of the region is Tirodi gneissic complex which is medium to course grained. The topography, and climate condition is very much helpful to the generation, transportation, deposition and even erosion too. The topography is hilly in upper part of river where slope is approximately 30° and in the lower parts the topography is small plateau type which is undulating. The slope of the lower parts approximately $10-15^{\circ}$. The slope give momentum to the rain water and momentum of water increases the generation of sand /gravel. The climatic condition assist in breaking of rock. There are much temperature difference in the region to initiate and increase the rate of weathering of rock. There are highest temperature remains in summer season approximately 45° and lowest temperature in winter season approximately 4° . The average rainfall of the is 1600 mm. The heavy rainfall provides plentiful water for the transport of sand. As the GDP of the area is growing the living standard is also growing. There factors increases the demand of sand, it is the duty of sand mining personal and mining agencies to fulfil the demand. It is necessary to stop illegal and unscientific mining.

The river not only deposits the sands but also gravels. The gravels is the best quantity of aggregate. The compressive strength of the gravel concerted is much more than other aggregate.

The objections of the environmentalist raise time to time have been considered and tried to choose that mining method which has less impact on the objections. The main anxieties are top soil conservation river bank subsidence or erosion, development structure stability, preservation of fish and tortoises, ghariyals (Indian crocodiles) etc. We considered on the above anxieties. The mining plan has been prepared and submitted in accordance to and in compliance to MINOR MINERALS RULE 1996 and ORDERE made there under.


पूरन लाल लक्षकार
 कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
 दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.
 जिला कार्यालय-बालाघाट


Ashutosh Sanyashi
 (Geologist)
 RQP/DGMMP/155/2016
 (Co. No. 13755715, 08406318043)

26

CHAPTER-2
GENERAL

	Name of the Applicant	M/s MP State Mining Corporation, Bhopal
1	Address	M/s MP State Mining Corporation, Bhopal
2	District	Bhopal
3	State	Madhya Pradesh
4	Pin Code	
5	Phone	
6	Gram/Telex	
7	Status of the applicant	Project Proponent
8	Mineral occurring in the area to be mined	River sand
9	Period for which mining lease is granted/renewed/proposed to be applied	As per the Sustainable sand policy of Rule the area is notified for sand mining vide Mining Corporation Bhopal notification.
10	Name of the ROP preparing the plan	Ashutosh Sanyashi, ROP/DGMMP/155/2016



Ashutosh Sanyashi
(Geologist)

ROP/DGMMP/155/2016

09406310043



पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बलाघाट


CHAPTER-3
LOCATION AND ACCESSIBILITY

A		Details of the area (with location map)	
1	District and state		Balaghat, Madhya Pradesh
2	Tehsil		Khairlanji 14 km
3	Village		Chicholi 1.0 km north Panchayat Chicholi
4	Khasra nos		463
5	Lease area (ha)		4.99 ha.
	Patwari Halka No.		7
6	Whether the lease area is recorded to be in forest (protected or reserved)		No
7	Ownership/occupancy		Government land river bed
8	Existence of public road/railway line if any nearby and approximate distance)		Tirodi-Tumsar Rilway line around 13 km from area and Waraseoni-Tumsar road about 4 km.
9	Topo sheet no		550/14
10	Corners	Latitude	Longitude
	A	21°31'51.33"N	79° 52'07.01"E
	B	21°31'53.54"N	79° 51'55.78"E
	C	21°31'48.75"N	79° 51'54.73"E
	D	21°31'46.96"N	79° 52'06.13"E
B	Land use pattern (forest, agriculture, grazing, barren etc)		Government revenue land. River bed Area of sand removal is 4.99 ha. The sand removal area is 10 m away from the river bank, For safe and systematic working it is proposed to remove only 59880 cubic meters sand. The area under study is non forest, non agricultural situated. Scanty small shrubs and bushes are on the bank of the river.

C Infrastructures near the proposed sand mine area



पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट


जिला-बालाघाट


Ashutosh Ganyashi
(Geologist)

ROP/DGMMP/155/2015

Phone: 07715, 09406318043

(28)


1	District head quarter	Balaghat 45 km
2	Tehsil	Khairlanji 14 km
3	Nearest Road NH SH	SH-271 at 4 km
4	Nearest Railway Station	Sitasawangi Railway Station at 13 km
5	Nearest Airport	Nagpur Airport 150 km
6	Nearest Reserve Forest	Not available near the area
7	Nearest River / Nala	Vhawanthari River Sand quarry
8	General location and vicinity map (1:5000)	Attached



Ashutosh Sanyashi
(Geologist)

RQP/DGMMP/155/2016

Mo.9845758715, 09406319043



पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. अ. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट

CHAPTER-4

TOPOGRAPHY AND GEOLOGY

4.1 Topography of the region: - As the generation, transportation, and deposition of the sand is very much influenced by the regional topography it is necessary to explain the regional topography. The length of the river from origin to mine site is approximately 345 km. The major part of the length of the river through which it passes is hilly terrain. The slope of the hilly terrain is approximately 30°. As the lower part of the region has several small plateaus, the region is undulating. The average slope of the region is approximately 15°. The topmost MSL of the area where the river is originated is 1048 m. The highest MSL of the region is 1048m. The MSL of the edge of the bank are 275 m and 271m respectively. The highest MSL of the sand heap is 271 m. The edge slope of the bank of the river are 29° and 44° respectively. The channel width and depth of the river other than rainy season are 20m and 3.0m respectively.

4.2 Physiography: - The region is semi acid. The summer starts from March. The highest temperature remains during the summer. It is approx 45° c. The summer season continue till June. In June rain starts and continue up to September -October. The average rain fall in this region is 1600mm in year. The winter start in October and remains till February. The lowest temperature remains in winter season is approximately 2° c. The population density is low in comparison to the other area. The cultivating land is low.

4.3 Regional Stratigraphy: - The stratigraphic sequence of the region is as follows-

S.No	Hilly Portion	Lower Plateau Portion
1	Tirodi Gneissic Complex (upper eretaceous)	Soil (sub recent)
2	Malajkhand Granite (lower eretaceous)	Morrum (recent)
3		Tirodi Gneissic Complex(upper eretaceous)
4		Malajkhand Granite (lower eretaceous)

- 1. Top soil:** - The thickness of top soil 0.10m in river average. The colour of the soil is reddish. It is sandy.
- 2. Morrurum:** - It is reddish colour. The morrum is course grained.
- 3. Tirodi Gneissic Complex:** - The major part of the ineachment area has been covered by these type of rock. The exposed portion of this rock has been severely weathered and fragmented. It is medium to course grained. It comprises metapelite, quartzite, banded magnetite quartzite, calc silicate rocks, amphibilite and meta-ultramafites. The life of the rock is more than 2 billion years.

4.4 Malajkhand Granite: - The origin portion of the river has been covered by the rock. It has been in the below of Tirodi Granite complex in the river. It is massive compact and hard.

4.5 Local Geology:- The Stratigraphic sequence of the region is as follow-

Lower Plateau portion	Age
Soil	sub recent
Morrurum	Recent

पुरुज लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट

Ashutosh Sanyashi
(Geologist)
ROP/DGMMP/155/2016
No. 66/18758715, 08406318043


Iirodi Gneissic Complex	upper cretaceous
Malajkhand Granite	lower cretaceous

4.6 . Detail of Exploration: - There exists some factors which make the river sand rich. The RI of origin of the river and mine site are 1048m and 271 m. The so much level difference makes easier to transport the sand by water from its incathment areas. The river an carry much quantity of aggregates/ gravel and boulders. The length of mine site from the river origin is approximately 345 km. It means the incathment area is much more. The rock type of the region is Iirodi Gneissic complex is medium to course grained. The topography, and climate condition is very much helpful to generation, transportation, deposition and erosion too. The topography is hilly in upper part of the river where slope is approximately 30° and the lower part of the topography is small plateau type which is undulating. The slope of the lower parts approximately $10-15^{\circ}$. The slope give momentum to the rain water and momentum water increases the generation of sand/gravel. The climate condition assists in breaking of rock. There are much temperature difference in the region to initiate and increase the rate of weathering of rock. There are highest temperature remains in summer approximately 45° and lowest temperature in the winter season approximately 4° . The average rainfall of the is 1600 mm. The heavy rainfall provides plentiful water for the transport of sand. Instead of the river transport and deposit the sand every year we calculate the quantity of sand present in the area. Trail pits have been done to estimate the reserve.

There are not any mine in a distance of 1 km in upside of the river. The sand deposited in the up side of the river had been transported and deposited on mine pit every year during rainy season. Every years river sand deposit in different place and many more sand deposit along the river band and their thickness high.



Ashutosh Sanyashi
(Geologist)
RQP/DGMMP/155/2016
M.C. No. 75715, 09406310043



पूरुव लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन् लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट

(31)

CHAPTER-5
ESTIMATION OR RESERVE

Unlike other mineral deposits, sand deposits are not in-situ deposits. The deposition of sand takes place every year during monsoon. The amount of sand sediment deposition in a particular river stretch may vary year to year depending upon a number of factors like rain fall in the catchment area, bed slope, amount of sand excavated from that area etc. Also the thickness of the sand bed in a particular stretch of a river is not of uniform thickness. So the methods of reserve estimation generally used for estimation of other mineral deposit which are in situ deposits cannot be used to estimate the sand reserve.

Sand deposition in the area is not of uniform thickness, the thickness of the sand bed varies from 1.6 m to 2.0 m. The water level in the proposed mining area goes up to 2.5 m below the general sand level in the area during summer.

The reserve of sand in the proposed mine is estimated based on the following facts and assumptions:

1. The lease area is 49900 m². Average width of Vhawanthari River is 100 m; Average length of lease area is about 515 m.
2. Sand deposition in the area is not of uniform thickness. In most of the area it is 2.0 m. So, the average thickness of sand bed is considered to be 2.0 m for reserve estimation.
3. Movable reserve is estimated after leaving a layer of 2.0 m along the river bed.

Considering the above facts and assumptions,

Average Thickness of sand = 2.0 m

Total Lease Area in M ²	49900M ²
Total width of river in Mining Area	349 m
Minimum Distance of mining area from Right river bank	184 m
Minimum Distance of mining area from Left river bank	20 m
Total Geological Reserve	49900 x 2.0 = 94810 m ³
Area for sand mine which has to be left as no mining zone so as to comply the provisions of maintain minimum distance of mine from river bank.(10% of river width or 7.5 mtr non mining zone)	0.00 hect.
Total 40 % Blocked Area as per Enforcement and Monitoring Guidelines January 2020	4.99 x 40% = 1.996 hect.
60 % of the total area for sand extraction (As per the 4.3 of (r) page24 of Guidelines of Enforcement and Monitoring Guidelines for sand mining, Ministry of Environment, Forest and Climate Change January 2020)	4.99 x 60 % = 2.994 hect.


पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट


Ashutosh Sanyasi
(Geologist)
ROP/DGMMP/155/2016
1234567891011, 1234567891011

Total Mineable Reserve as per Enforcement and Monitoring Guidelines January 2020	$29940 \times 2.0 = 59880 \text{ m}^3$
Total Blocked Reserve as per Enforcement and Monitoring Guidelines January 2020	$19960 \times 2.0 = 39920 \text{ m}^3$

The thickness of sand is 2.0 mtr. The calculation details are as under:-

Total Sand Available – $29940 \times 2.0 \text{ m}$ (Average thickness) = 59880 cubic meter

Total Mineable Sand – 59880 cubic meters

Thus from mineable sand only 59880 cubic meter sand per year will be extracted. Every year area will get replenished easily during monsoon season. The proposed production of the sand is 59880 cum/Annum.

5.1 Method of removal of Sand:

The removal of sand will be done by Open-cast Semi Mechanized or Manual Mining method, as per rule 3 of 6 Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Policy 2019. The approach road up to the working site and ramp will be made for the smooth shipment of

sand from the site. During a year about 59880 cubic meter of sand may only be removed for smooth transportation.

5.2 Annual Replenishment of Sand in the Lease Area:

As per the Ministry and Environment and Forest OM No. J-13012/12/2013-IA-11 (I) dated 24.12.2013, the annual replenishment of the sand in the lease area should be sufficient to sustain the mining operation at level prescribed in the Mine plan.

The replenishment of sand depends mainly upon the catchment area of the river, annual rainfall in the catchment area erosion of rocks in the catchment area etc. The proposed area falls under the river bed of Vhawanthari River.

As stated earlier, the proposed area for sand mining falls under the river bed of Vhawanthari River. It has a large catchment area. The average rain fall of the catchment area of the river varies from 1400 to 1600 mm. All these factors indicate that the annual sediments replenishment capacity of the Vhawanthari River is good enough to sustain the proposed production.

5.3 Anticipated life of the mine:

As the quantity of sand that will be mined every year will get replenished every year during monsoon, the sand reserve will not get depleted.


 पूरन लाल लक्षकार
 कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य)
 दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि.
 जिला कार्यालय-बालाघाट


 Ashutosh Sanyasi
 (Geologist)
 ROP/DGMMP/155/2016
 (No. 730715, 03405310043)

CHAPTER-6

DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAMME

6.1 Method and Development:

Mining will be by Open-cast Semi Mechanized or Manual Mining method as per as per rule 3 of 6 Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Policy 2019. Skimming in layer of 2.0 m. The excavation of sand will be restricted to 2.0 m carried out Open-cast Semi Mechanized or Manual Mining method due to water table touch in 2.0 m. Open east method adopting a system of shallow pit in sand.

The loading of the sand will be done Open-cast Semi Mechanized or Manual Mining method.

Maximum depth of sand mining in the Vhawanthari Rive bed – 2.0 meter from surface without disturbing the water table.

The mine is a river sand mine and does not require much development work. Only a ramp will be constructed from approach road at the river bank to approach the mine and ramp will be maintained to connect the approach road to the mining area.

There is no bench needed in river sand mining hence bench wise mining can not be proposed.

As per the restrictions imposed by Madhya Pradesh Minor Mineral Rules 1996, Madhya Pradesh Gond Khanij Ret Ka Utthan and Vaksaya Vinnyaman Niradesh 2006 and the additional conditions imposed by Govt. of Madhya Pradesh and as the Ministry and Environment and Forest OM No. J-13012/12/2013-1A-11 (I) dated 24.12.2013 and as per rule 3 of 5 Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Policy 2019 The Government of Madhya Pradesh has imposed the following restrictions on river bed sand mining.

1. Mining shall not be carried out within 200 m of any bridge/ National Highway/ State highway.
2. Mining shall not be carried out within 200 m of any natural water recourse, dam etc
3. Mining shall not be carried out within 10.0 m from the banks of the river
4. Mining shall be carried out up to maximum 3.0 m depth or bed rock in the river

The Ministry and Environment and Forest OM No. J-13012/12/2013-1A-11 (I) dated 24.12.2013 imposed the following restrictions on river bed mining.

1. The mining activity shall be done Open-cast Semi Mechanized or Manual Mining method as per rule 3 of 5 Madhya Pradesh Sand (Mining, Transportation, Storage and Trading) Policy 2019.
2. The depth of mining shall be restricted to 3m water level, whichever is less.
3. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone shall be worked out on case to case basis to the satisfaction of SEAC/SEIAA, taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate etc., and no mining shall be carried out in the safety zone so worked out.
4. In case of transportation by road, the transport vehicles will be covered with tarpoline to minimize dust/sand particle emissions.



पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट

Ashwini Senyashi
(Geologist)
RCPI/DGMMP/155/2016
1715, 05495310013

6.2 Production Programme:

Sand deposition in the area is not of uniform thickness, the thickness of the sand bed 2.02 m. The water level in the proposed mining area goes up to 2.0 m below the general sand level in the area during summer. It is proposed to skimmed the sand leaving a 2.0 m thick layer on river bed. Excavation will be restricted above water level which will not affect the turbidity of the water and no heavy vehicles and machine will be used.

In order to protect the natural permeability and porosity of the filter material due to compaction of filter zone of river bed, no heavy vehicles and machine will be used.

Year wise production

Year	Total Area (m ²)	Depth (m)	Geological Reserve (m ³)	60% area Mineable of total area as per Guidelines	Depth (Removal Sand)	Proposed Production of sand, m ³ /year
1 st year	49900	2.0	94810	29940	2.0 m	59880
2 nd year	49900	2.0	94810	29940	2.0 m	59880
3 rd year	49900	2.0	94810	29940	2.0 m	59880
4 th year	49900	2.0	94810	29940	2.0 m	59880
5 th year	49900	2.0	94810	29940	2.0 m	59880

6.3 Transportation Infrastructure:

The sand is generally transported by the tractors, tippers/dumpers/Loader/Excavator. The capacity of the dumpers generally used is 10 m³. The mining of sand is mostly carried out in 8 months from November to June. The mining will be carried out only during the day time i. e. from 8 am to 5.0 pm. The estimation of average requirement of dumper trips per day and per hour is given below:

Details		59880 m ³
Sand Production year		240 days
No of working days in a year	8X30	249.5 m ³
Av. Sand Production/day	59880/240	10 m ³
Carrying capacity of dumper		24.95
Av number of trips required/day	249.5/10	9 hrs
No of working hours/ day		2.77
Average no of trips/hour	24.95/9	1m ³
Loader/Excavator	1 x 1	

The mine is well connected to all weather from village Chicholi via a kachacha approach road which joins to Chicholi road by 1.0 km long village road. The approach road is connected to the mine through a ramp.


 पूरन लाल लडाकार
 कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
 दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.
 जिला कार्यालय-बालाघाट


 Ashutosh Sanyoshi
 (Geologist)

RQP/DGMMP/155/2016
 0715, 004/0312013

35


CHAPTER-7
MAN POWER DEPLOYMENT

The average daily employment is tabulated below:

1	Supervisor	Skilled	02
2	Loaders	Unskilled	38(considering an OMS of 10 m ³)
		Total	40

CHAPTER-8
USE OF MINERAL

Sand is a very important mineral for our society due to its many uses. It can be used for making concrete, filling roads, building sites, brick-making, making glass, sandpapers, etc. The sand mined from the mine will be mainly used in construction industry as a fine aggregate.



पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट




Ashutosh Sanyashi
(Geologist)
ROP/DGMMP/155/2016
En.No. 19756715, 02-105315043

CHAPTER-9
CONCEPTUAL MINE PLAN

There exists some factors which make the river sand rich. The RL. of the origin of the river and mine site are 1048m and 271m. The so much level difference makes easier to transport the sand by water from its incatchment areas. The river and carry much quantity of aggregates/ gravel and boulders. The length of mine site from the river origin is approximately 30 km. It means the incatchment area is much more. The rock type of the region is Tirodi Gneissic complex which is medium to course grained. The topography and climatic condition is very much helpful to the generation, transportation, deposition and even erosion too. The topography is hilly is upper part of the river where slope is approximately 30° and in the lower part the topography is small plateau type which is undulating. The slope of the lower parts approximately 10-15°. The slope give momentum to the rain water and momentum of water increases the generation of sand/gravel. The climatic condition assist in breaking of rock. There are much temperature difference in the region to initiate and increase the rate of weathering of rock. There are highest temperature remains in summer season approximately 45° and lowest temperature in winter season approximately 4°. The average rainfall of the is 1600mm. The heavy rainfall provides plentiful water for the transport of sand. Instead of the river transport and deposited the sand every years. The above of sand may be deposited in every years, there fore the mining may be continue several years, indeed the production may be increase as mining pits provide deposition space to the sand. As the RL. difference is much more the current velocity of water is more it erodes much quantity of sand.

Land Use-	Total Area	- 49900 m ²
	Mineable Area	- 29940 m ²
	Blocked area	- 19960 m ²



Ashutosh Sanyashi
(Geologist)

ROP/DGMMP/155/2016

MOA/01/10756715, 09406310043



पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन् लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट

(37)

CHAPTER-10
ENVIRONMENT MANAGMENT PLAN

Base Line Information:-

- (1) **Existing land use:** - The present land use is nothing except every years sand is deposited and eroded.
- (2) **Water regime:** - The width of the water channel is 10m. The depth of the water is 1.0m except rainy season. In rainy season the maximum flood level in last 10 year is 299m. The quantity of water is not so good to drink it without filtering and treating. The water is utilized in agriculture proposed only.
- (3) **Muman Settlement:** - Location of the village from the area is 1.0 km. The population of the village is 3979 no. The most of the villager belong to ST/SC. The villagers are dependent on agriculture work.
- (4) **Flora:** - There is not any tree in the area where mining will be done. There are sagon and satkatta tree on the river bank along the area.
- (5) **Fauna:** - There are monkey, fox etc. In the region. There is aquatic organism such as fish in the river.

10.1 ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT

10.1.1. IMPACT ON LAND: - Indeed the land is waste land, the mining activity will not pollute the Land but haphazard of sand may pollute the land due to spreading of sand over the land. The stepes will be taken to stop spreading of sand here and there.

10.1.2. IMPACT ON AIR

The impact on the air will be negligible. As the production is only 249.5 m³ per day. The traffic movement is only one source of air pollution. In the mining process there will not require blasting. The loading of sand will be done Open-cast Semi Mechanized or Manual Mining method.

10.1.3. IMPACT ON WATER

As under water sand mining will not be done. The impact on quantity and quality of water will be very less. As mining will be done approx 10m away from water channel the possibility of sand mixing on water will be minimum. Through we use environment management scheme.


10.1.4. IMPACT ON FLORA

There are not any advance impact on the flora because the threes are not directly effected due to mining activity. The sand mining will be done 10m distance from river bank and slope will be 22.5°. Therefore possibility of falling of tree is minimum.

10.1.5. IMPACT ON FAUNA

The mining work will be done in day time only. Therefore the mining activity will not interlere in the movement of wild fauna. The aquatic organism may affected on the aquatic organism will be minimize by implementing environment management scheme.

10.1.6. IMPACT ON SOCIAL STRUCTURE:- All the worked will be nearby village. Therefore the social structure will not change. The migration of the worker will stop in some level. The yearly income of some 40 person may increase.


पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट म्हाडमिन्ग कारपोरेशन् लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट


Ashutosh Sanjayshi
(Geologist)
ROP/DGMMP/1E5/2016
Mo. No. 769715, 09406310043

38

10.2 ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN**10.2.1 LAND POLLUTION**

Indeed the land is waste land, the mining activity will not pollute the land but haphazard of sand may pollute the land due to spreading of sand over the land. The steps will be taken to stop spreading of sand here and there.

- (a) Provision will be made to stop spreading of sand on ground. The carrier of the tractor will be well maintained.
- (b) Over loading will be strictly stopped
- (c) Maintenance of the tractor will be done on specified place. It has been shown environment plan.
- (d) The plantation will be done along the river bank.

10.2.2. RECLAMATION

The proposed mine is of river bed sand mining and only involves scrapping of thin layers of sand from the river bed. No pits are proposed to be dug that need backfilling. Also there will no change in the post mining land pattern. Plantation is not possible within the lease area as the mine is in the river bed. However, it is proposed to do some plantation of local species of trees along the approach road and along the river banks where ever possible.

Sr. No	Year	No of Plant
1	1 st Year	1000
2	2 nd Year	500
3	3 rd Year	500
4	4 th year	500
5	5 th year	500

10.2.3. AIR POLLUTION

There will be negligible air pollution due to mining activity.

10.2.4. MEASURE TO CONTROL AIR POLLUTION

- (a) Water sprinkling on road will be done.
- (b) before handling or transporting the material water sprinkling will be done.

10.2.5. WATER POLLUTION: - There will be negligible water pollution due to mining activity.

10.2.6. MEASURES TO CONTROLS WATER POLLUTION

- (a) Oil grease should be stored separately.
- (b) Contaminate water should not through in the stream of water.



पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन् लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट



Ashutosh Sanyashi
(Geologist)
ROP/DGMMP/155/2016
13/07/2016, 09/08/2016

(39)

CHAPTER-11

MINE CLOSURE PLAN

The details of mining is as follow. Bench parameter- Bench of top soil 0.10m height x 2.0 m . there are layer of deposit soil 1.5m thickness only. The slope will be 23°.

Bench of sand:- The height of the bench will be 2.0 m. The width of the bench will be 2.0 m. the slope will be 23°. The increase in the depth of the river will be 2.0 m which will be fill by the river on rainy season. Sides will be stabilizing passage of rain water. The mining area will be fenced.

Land Use-	Total Area	- 49900 m ²
	Mineable Area	- 29940 m ²
	Blocked area	- 19960 m ²



Ashutosh Sanyashi
(Geologist)

RQP/DGMMP/155/2016

Mo. No. 10756716, 09406319043



पूरन लाल लक्षकार

कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य)

दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.

जिला कार्यालय-बालाघाट

CHAPTER-12

STRATEGY FOR PROTECTION OF RIVER COURSE, NALAS, WATER TANK, VILLAGES, IMPORTANT MONUMENTS IF ANY


(40)

The sand mining is proposed in the river bed of Vhawanthari River. Chicholi village, important monuments in the close vicinity of the mine which not get affected due to mining activity.

The following measures shall be taken to mitigate the adverse impact of mining on the river:

1. River bed sand mining may erode river banks, which may affect the riparian flora and fauna. To prevent the bank erosion, it is proposed to leave a safety zone of 10.0 m along the river bank.
2. To control the excessive excavation of sand and bed digging loading shall be done Semi Mechanized.
3. Mining will be carried out above the water level and will be restricted to maximum 2.0m depth above water level without disturbing the water flow, hence any strategy for protection to save river course is not required.
4. Due precautions shall be taken to maintain the channel slope so that upstream erosion as a result of an increase in channel slope and changes in flow velocity will not take place.
5. Plantation is not possible in the river bed; however local species of plants shall be planted along river bank and along the approach road
6. In stream mining shall not be carried out. The sand removal will carried out only from the Vhawanthari River.
7. Sand mining area is sufficiently away from man made land uses like water tanks etc.
8. The project will have no affect on the habitants of village as sand removal area is sufficiently away from the villages and, no wastes will be generated.
9. Sand will be transported in tarpaulin covered vehicle to avoid emission of dust during transportation.
10. Water spraying shall be done in the access road for suppression of dust during summer.
11. Mining and transportation of sand shall be carried out only during the day time.
12. There is no important monument is present near the proposed area.


 पूरुन लाल लक्षकार
 कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
 दि. न. प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि.
 जिला कार्यालय-बालाघाट


 Ashutosh Sanyashi
 (Geologist)
 ROP/DGMMP/155/2016

11: 11715, 02406319043

CHAPTER-13
ANY OTHER RELEVANE INFORMATION

41

No other relevant information is required.

Applicant

M/s MP State Mining Corporation
Bhopal

Prepared by RQP

Ashutosh Sanyashi
RQP/DGMMP/155/2016
Shiv Park Colony
Amleshwar, Mahadev Ghat Road,
Durg-491111
Mob-08319756715, 9406319043


Ashutosh Sanyashi
(Geologist)
RQP/DGMMP/155/2016
Mo. No. 08319756715, 09406319043


पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबंधक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट

42

KHASRA MAP


PLATE No.- 1



काठगंज की खेती
 गाँव विधानसभा
 पंचायत क्षेत्र
 जिला बलरामपुर

प्लॉट नं. १६६६-६६
 क्षेत्रफल १६५० वर्ग मी


A	21°31'51.33"N	79°52'07.01"E
B	21°31'53.54"N	79°51'55.78"E
C	21°31'48.75"N	79°51'54.73"E
D	21°31'46.96"N	79°52'06.13"E



पूजा लाल साहू
 जिला प्रमुख (आयुक्त)
 जिला कार्यालय-बलरामपुर

आयुक्त
 जिला कार्यालय-बलरामपुर

खेती-संग खेती क्षेत्र
 प्लॉट नं. १६६६-६६
 क्षेत्रफल १६५० वर्ग मी
 प्लॉट नं. १६६६-६६
 क्षेत्रफल १६५० वर्ग मी



भारत के महासर्वेक्षक के निदेशन में प्रकाशित,
 Published under the direction of Surveyor General of India,
 Survey of India, Hāthībarkala Estate, Post Box No 37, Dehra Dūn-248001 (Uttarākhānd)
 Department of Science & Technology, Government of India.

PLATE No.- 2

KEY PLAN

CHICHOLI SAND MINE

Khasra No-463 Area-4.990 ha.

VILLAGE & PANCHAYAT-CHICHOLI,
 TAHSIL-KHAIRLANJI, DIST-BALAGHAT,(M.P.)

Prepared by:

ASHUTOSH SANYASI
 RQP/DGMMP/155/2016


Applicant

PURN LAL LAKSHAR
 M.P. STATE MINING CORPORATION
 डि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि.
 जिला कार्यालय-बलघाट

SCALE 1: 50,000



(Geologist)
 RQP/DGMMP/155/2016
 No. 001/2015, 00406319043



MADHYA PRADESH
TEHSIL MAP

LOCATION PLAN

CHICHOJI SAND MINE	April 1997 to
SILVAGANJANGIYAT-CHICHOJI	
TALUKA, DISTRICT BHOPAL, M.P.	
TALUKA, DISTRICT BHOPAL, M.P.	

SCALE No. 3




LEGEND

	State Boundary
	District Boundary
	Tehsil Boundary
	State Capital

पूरा ताला तक्षकार
कर्मिण प्रवाणक (सामान्य)
डि. प्र. ३२८ तालुका कार्यालय लि.
ताला कार्यालय-बालाघाट

Copyright © 2012 www.mapsofindia.com
Last Updated on 22nd Sep 2015

45



SCALE 1 : 2000
0 20 40 60 80 100m

COORDINATES

A	21°31'18.23"N	78° 52'01.01"E
B	21°31'52.54"N	78° 51'55.78"E
C	21°31'44.78"N	78° 51'54.59"E
D	21°31'46.86"N	78° 52'06.13"E

INDEX

BOUNDARY OF SAND MINE LEASE	—
RIVER SAND	
BOUNDARY PILLAR	⊗
MINE APPROACH ROAD	—
CONTOUR	27 (m)
SECTION LINE	X

सुरवा तालि तसतकार
कलियुध प्रसन्नक (सामान्य)
डि. प्र. म. स्टेट मारुतिना कारपोरेशन लि.
बिला कायाजिरा-बालाजिरा

SURFACE PLAN

CHICHOLI SAND MINE

Area-4 990 ha

Khasra No-63
VILLAGE & PANCHAYAT-CHICHOLI,
TASIL-KHAIRLANJI, DIST-BALAGHAT (M.P.)




DATE OF SURVEY 24/03/2023

Prepared by: **Arvind Kumar Sarveshi**
(Geodetic)

Applicant:

Approved by: **Arvind Kumar Sarveshi**
District Surveyor, Balaghat
N.O. (Survey) No. 15, dated 31/03/2023

PLATE No. 44



SCALE 1 : 2000
0 20 40 60 80 100m

INDEX

BOUNDARY OF SAND MINE LEASE	—
SAND PRODUCTION	
BOUNDARY PILLAR	⊗
MINE APPROACH ROAD	—
CONTOUR	27 (m)
SECTION LINE	X

मूल तालिकाकार
कालिदास प्रसाद (ताम्रबुध्)

डि. ए. ए. स्टेट यूनिवर्सिटी कानपुर (ताम्रबुध्)
जिला कार्यालय-बालाघाट

PRODUCTION PLAN

CHICHOLI SAND MINE

PLATE NO. 5

Kuma No-43

VILLAGE & PANCHAYAT-CHICHOLI

TARSI-SHARLANJI, DIST-BALAGHAT(M.P.)

Area-1990 ha

DATE OF SURVEY 24/03/2023


Prepared by: *(Signature)* (Geologist)

Applied by: *(Signature)*

NO. OF MAPS/155/2023 STATE MINING CORPORATION, BHOPAL

NO. OF SHEETS 7715, 03 05315003

MAP SHEET NO. 7715, 03 05315003



SCALE 1 : 7000



River Flow →

पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट

INDEX

BOUNDARY OF SAND MINE LEASE		PROPOSED PLANTATION	
RIVER BANK		AGRICULTURE FARMS	
SAND		VILLAGE ROAD	
RADIUS 500M		BOUNDARY PILLAR	
MINE APPROACH ROAD		VILLAGE HUTS	

PLATE No. 6

ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN
CHICHOLI SAND MINE


Khasra No-463 Area-4.990 ha.
VILLAGE & PANCHAYAT-CHICHOLI,
TAHSIL-KHAIRLANJI, DIST-BALAGHAT,(M.P.)

Prepared by:
Applicant:

M.P. STATE MINING CORPORATION BHOPAL

ASHUTOSH SENEJHA
ROKIMDIP/155016
(Geologist)
ROP/DC/MMP/155/2016
REG. NO. 1775715, 09A06315043

ap
for your map.



पुणे जिल्हा तहसिल
 तहसील कार्यालय
 पुणे जिल्हा तहसिल कार्यालय
 पुणे जिल्हा तहसिल कार्यालय

© 2018
 10/05/2018

310 m

ANNUAL REPLENISHMENT AND WATER LEVEL IN THE LEAN
SEASON

OF

CHICHOLI SAND DEPOSIT

VILLAGE- CHICHOLI TEHSIL- KHAIRLANJI

DISTRICT- BALAGHAT , STATE-Madhya Pradesh

KHASRA NO. 463, TOTAL AREA-4.990 Hect. (VHAWANTHARI RIVER)

APPLICANT

M/s MP State Mining Corporation

Bhopal

PREPARED BY

Ashutosh Sanyashi (Geologist, RQP)

380/25 Shiv park colony

Mahadev Ghat Road

Amleshwar, Durg (C.G.)

Chhattisgarh

Registration No. RQP/DGMMP/155/2016

CHAPTER NO.	SUBJECT	PAGE NO.
1	Introduction	02
2	Geology/Lithostratigraphy	02
3	Geomorphology/Slope/Gradient/Depth of water channel & Grain size	03
4	Type/Stage and flow of water /Flood plain	04
5	Climatic condition/Annual precipitation	04
6	Erosion/Weathering	06
7	Activity near river banks	07
8	Drainage/Tributaries and its confluences	07
9	Replenishment	07
10	Water level in the lean season	08
11	Conclusion	08


पूरन लाल लक्षकार

कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट


Ashutosh Sanyashi
(Geologist)

RQP/DGMMP/155/2016

3713, 07406319043

INTRODUCTION

Replenishment of mined out area is the most important activity. As a result of mining operation as the original profile of land will be altered. The proposed mining area is river/nala bed sand mine. Topography of the area is almost flat. Since the mine is a Declared River Bed Sand mine.

Sand is an essential minor mineral used extensively across the country as a useful construction constituent and variety of other uses in sports, agriculture etc. It is common knowledge that minerals are non-renewable but this form of mineral naturally gets replenished from time to time in a given river system and is very much interrelated to the hydrological cycle in a river basin. Sand mining has become a widely spread activity and does not require a huge set up or technology, the number of ventures has increased extensively and it has become a foot loose industry in itself but the backward-forward linkages are becoming stronger as many are getting employed as well as the construction activity / industry requires this mineral at consistent rates. This mine is providing work to many rural people and it is good for employment.

Proponent /applicant M/s MP State Mining Corporation, Bhopal had applied for Chicholi Sand quarry of sand to the as per consent M/s MP State Mining Corporation, Bhopal. As per compliance of the order RQP has to submit Mine Plan as per River / Stream Bed Mining Policy Guidelines of the area prepared in accordance to the Mining Plan Format. The applied area is on Vhawanthari River..

The Sand as geologically siliceous in nature and fine grained and mainly used in the construction of building & road etc As per the gazette notification of Madhya Pradesh Govt. All non working and fresh sand deposit grant of M/s MP State Mining Corporation, Bhopal. The existing and fresh quarry RQP has to submit approved mining plan and progressive mine closure plan.

Therefore the RQP submitting the mining plan and progressive mine closure plan for approval to the competent authority by utilizing the services registered RQP Ashutosh Sanyashi. The area is Govt. Bhujal land of Govt. of MP. Area presently not use in agriculture activity. No forest land involve in area.

Common factors of sand replenishment for the replenishment of sand the flowing study reveal the actual potential of deposit of sand in river course after completion of potential mining activity per annum.

1. GEOLOGY/LITHOSTRATIGRAPHY
2. GEOMORPHOLOGY/SLOPE/GRADIENT/DEPTH OF WATER CHANNEL AND GRAIN SIZE/MEANDERS
3. TYPE/STAGE AND FLOW OF WATER / FLOOD PLAIN
4. CLIMATIC CONDITION/ANNUAL PRECIPITATION
5. EROSION/WEATHERING
6. ACTIVITY NEAR RIVER BANK
7. ENGINEERING STRUCTURE STOP DAM / CHEAK DAM / BARRAGE/ HYDLE DAMS.
8. DRAINAGE/TRIBUTARIES AND ITS CONFLUENCES
9. ANNUAL REPLEISHMENT
10. WATER LEVEL IN THE LEAN SEASON


पूरन लाल लक्षकार

कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट


Ashutosh Sanyashi

(Geologist)

RQP/DGMMP/155/2016

155/2016/155715, 09408310043

11. CONCLUSION

01. GEOLOGY/LITHOSTRATIGRAPHY

1. **Topography of the region:** - As the generation, transportation, and deposition of the sand is very much influenced by the regional topography it is necessary to explain the regional topography. The length of the river from origin to mine site is approximately 345 km. The major part of the length of the river through which it passes is hilly terrain. The slope of the hilly terrain is approximately 30° . As the lower part of the region has several small plateaus, the region is undulating. The average slope of the region is approximately 15° . The topmost MSL of the area where the river is originated is 1048 m. The highest MSL of the region is 1048m. The MSL of the edge of the bank are 271m and 270 m respectively. The highest MSL of the sand heap is 275 m. The edge slope of the bank of the river are 29° and 44° respectively. The channel width and depth of the river other than rainy season are 20m and 2.82m respectively.

2. **Physiography:** - The region is semi acid. The summer starts from March. The highest temperature remains during the summer. It is approx 45° c. The summer season continue till June. In June rain starts and continue up to September -October. The average rain fall in this region is 1600mm in year. The winter start in October and remains till February. The lowest temperature remains in winter season is approximately 2° c. The population density is low in comparison to the other area. The cultivating land is low.

4.3 **Regional Stratigraphy:** - The stratigraphic sequence of the region is as follows-

S.No	Hilly Portion	Lower Plateau Portion
1	Tirodi Gneissic Complex	Soil
2	Malajkhand Granite	Morrum
3		Tirodi Gneissic Complex
4		Malajkhand Granite

1. **Top soil:** - The thickness of top soil 0.10m in river average. The colour of the soil is reddish. It is sandy.

2. **Morrum:** - It is reddish colour. The morrum is course grained.

3. **Tirodi Gneissic Complex:** - The major part of the incatchment area has been covered by these type of rock. The exposed portion of these rocks has been severely weathered and fragmented. It is medium to course grained. It comprises metapelite, quartzite, banded magnetite quartzite, calc silicate rocks, amphibilite and meta-ultramafites. The life of the rock is more than 2 billion years.

4. **Malajkhand Granite:** - The origin portion of the river has been covered by the rock. It has been in the below of Tirodi Granite complex in the river. It is massive compact and hard.

5. **Local Geology:-** The Stratigraphic sequence of the region is as follow-

Lower Plateau portion	Age
Soil	sub recent


पूरन लाल लक्षकार

कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट


Ashutosh Sanyashi 3
(Geologist)

RQP/DGMMP/155/2016
MSP/2017/0715, 09406310043

Morum	recent
Tirodi Gneissic Complex	upper cretaceous
Malajkhand Granite	lower cretaceous

02. GEOMORPHOLOGY/SLOPE/GRADIENT/DEPTH OF WATER CHANNEL AND GRAIN SIZE/MEANDERS

The district lies on a part of Tirodi Gneissic Complex at a general elevation between 303 and 299m msl with an elevation of about 271m. The entire district is characterized by a typical Trappean geomorphology comprising extensive plain, low lying hills and hills clusters with gentle northerly slope. Western, south, south-eastern parts are highly undulated with broad flat topped hills, cluster terraces and isolated hills. A number of hills capped by laterite are noticed in the north-western, western part. The central area is plain with scattered hillocks. The highest point 608m msl occurs a few kilometres south-west of Balaghat and the lowest part is about 271m in the Vhawanthari and Wawanthari river valleys. Bad land topography along small nalah courses and scarp development up to maximum of 20m are quite common along the rivers. The general slopes are from south to north marked by a number of small rivers which later join the Vhawanthari River.

2.1 Soils

The soil in Balaghat district is of mixed type and there is no distinct boundary in between any two types of soils. There are three categories of soils identified in the district area-

(a) Black cotton Soil

These soils are dark grey to black in color, composed of clay and are plastic & sticky in nature. These soils are fertile in nature and derived from decomposition of trapping rocks having thickness of 15 cm to 2m. These soils cover major part of the district.

(b) laterite soil

These soils consist of sandy loam to clayey loam and brick red to red in colour.

These soils are derived from weathered ferruginous basalt and are found around Amgaon and Tirodi blocks.

(c) Alluvium soil

The alluvium is of mixed origin & comprises of silt & clay and admixtures of these in varying properties. The occurrence of alluvium is confined to the bank of stream and rivers and usually 3 to 4m in thickness.

03. TYPE/STAGE AND FLOW OF WATER / FLOOD PLAIN



पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट



Ashutosh Sanyashi
(Geologist)

ROP/DGMMP/155/2016
750715, 09406310043

53

The Viharwanthari are the main rivers of the district, flow along the northern direction respectively while independent small river system of the Balaghat with its numerous tributaries flow in south central part of the district.

04. CLIMATIC CONDITION/ANNUAL PRECIPITATION

The climate of Balaghat district MP characterized by hot summer and general dryness except during the south west monsoon season. The year may be divided into four seasons. The cold season, December to February is followed by the hot season from March to about the middle of June. The period from the middle of June to September is the south west monsoon season. October and November form the post monsoon or transition period. The normal annual rainfall of Balaghat District is 1020.2 mm. Balaghat district receives maximum rainfall during south west monsoon period i.e. June to September. About 92.3% of the annual rainfall received during monsoon season. Only 7.7% of the annual rainfall takes place between October to May period. Thus surplus water for ground water recharge is available only during the south west monsoon period. The maximum rainfall received at Balaghat is 987.3 mm and minimum at Susner 865.4 mm.

The normal maximum temperature recorded during the month of May is 39.90 C and minimum during the month of January 9.60 C. The normal annual means maximum and minimum temperature of Balaghat district is 31.30 C & 35.50 C respectively.

During the south-west monsoon season the relative humidity generally exceeds 88% (July / August month). The rest of the year is drier. The driest part of the year is the summer season, when relative humidity is less than 33%. April is the driest month of the year.

The wind velocity is higher during the pre monsoon period as compared to post monsoon period. The maximum wind velocity is 27.0 km / hr. observed during the month of June and minimum 7.1 km/hr during the month of November. The average normal annual wind velocity of Balaghat district is 15.9 km / hr.



Ashutosh Sanyashl
(Geologist)

ROP/DGMMP/155/2016

REG. NO. 173715, 08406319043



पूरुन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)

दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट

55

Working together they create and reveal marvels of nature from tumbling boulders high in the mountains to sandstone arches in the parched desert to polished cliffs braced against violent seas.

Water is nature's most versatile tool. For example, take rain on a frigid day. The water pools in cracks and crevices. Then, at night, the temperature drops and the water expands as it turns to ice, splitting the rock like a sledgehammer to a wedge. The next day, under the beating sun, the ice melts and trickles the cracked fragments away.

Repeated swings in temperature can also weaken and eventually fragment rock, which expands when hot and shrinks when cold. Such pulsing slowly turns stones in the arid desert to sand. Likewise, constant cycles from wet to dry will crumble clay.

Bits of sand are picked up and carried off by the wind, which can then blast the sides of nearby rocks, buffing and polishing them smooth. On the seashore, the action of waves chips away at cliffs and rakes the fragments back and forth into fine sand.

Weathering- Weathering is the interaction between the elements in the atmosphere and the rocks exposed at Earth's surface. The atmosphere can mechanically break down the rock through processes such as ice wedging, and it can chemically decompose the rock by a variety of reactions. Note that weathering is the first step in the genesis of sedimentary rock. The atmosphere breaks down and decomposes pre-existing solid rock and forms a layer of loose, decayed rock debris, or soil. This unconsolidated material can then be transported easily by water, wind, and glacial ice.

Transportation- Running water is the most effective form of sediment transport. All rivers carry large quantities of sediment toward the sea. This fact is readily appreciated if you consider the great deltas of the world, each formed from sediment transported by a river. Indeed, sediment is so abundant in most rivers that a river might best be thought of as a system of water and sediment rather than simply a channel of flowing water. As elastic sediment is transported by a river, it is sorted and separated according to grain size and composition. Large particles accumulate in high-energy environments as gravel, medium-sized grains are concentrated as sand, and finer material settles out as mud. The grain size of the sediment correlates with the energy of the transporting medium. Thus, large particles are carried by rapidly moving streams with high amounts of kinetic energy; only small particles are transported by slowly moving streams. Wind, glaciers, and shoreline currents also transport sediment, but their activity is somewhat restricted to special climate zones. Components from dissolved minerals are carried in solution and are ultimately precipitated to form limestone or salt, for example.

Deposition- Probably the most significant factor in the genesis of sedimentary rocks is the place where the sediment is deposited. The idealized diagram in Figure 1.7 shows the major depositional systems. The most important continental systems are river (fluvial) systems, alluvial fans, desert dunes, and margins of glaciers. The major sedimentary systems are represented in this idealized diagram. Most sediment moves down slope from continental highlands toward the oceans, so the most important sedimentary systems are found along the shores and in the shallow seas beyond. Sedimentary systems can be categorized in three groups: continental, shoreline (transitional), and marine. Systems include the shallow marine, which cover parts of the continental platform, reefs, submarine fans, and the floors of the deep-ocean basins. Between continental areas and marine areas are the transitional, or mixed, environments that occur along the coasts and are influenced by both marine and non marine processes. These include deltas, beaches, barrier islands, tidal flats, and lagoons. Each



पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट भाइनिंग कॉम्पेरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट



Ashutosh Sanyashi
(Geologist)
ROP/IDG/MMP/155/2016

(56)

depositional system imprints specific characteristics on the rocks formed within it. A small depositional area within a system creates a facies—a body of rock with distinct chemical, physical, and biological characteristics created by the environment. Thus, a delta system produces many different facies, for example, sediment deposited in channels, between channels, and at the mouths of channels. Distinctive textures, compositions, sedimentary structures, and fossil assemblages develop in each facies. 17 Compaction and Cementation
The final stage in the formation of sedimentary rocks is the transformation of loose, unconsolidated sediment into solid rock. Compaction occurs when the weight of overlying material, which continually accumulates in a sedimentary environment, compresses the sediment buried beneath into a tight, coherent mass. Wet mud consists of 60 to 80% water, most of which is driven out during compaction. Cementation occurs when dissolved ions, carried by water seeping through pores, are precipitated. Common cementing minerals are calcite, quartz, and iron oxides. This post depositional crystallization of cement holds the grains of sediment together and is a fundamental process in transforming sediment into solid rock.

06. ACTIVITY NEAR RIVER BANK

Any man made activity such as mining/trenching/channelling/canal etc. produce large quantity of fines of exiting rocks which transports in river bed may deposited nearby the area in river course.

07. ENGINEERING STRUCTURE STOP DAM / CHECK DAM / BARRAGE/ HYDLE DAMS

Man made structure like stop dam/ check dam /barrage and hydle project/ huge dam. Also affects the sand flow and act as check over the sand deposition in downstream area. Near to these structure sand deposited aand huge silting maybe observed in mainstream along with catchment. This check is major cause of retaining sand from place to another devoid of sand.

08. DRAINAGE/TRIBUTARIES AND ITS CONFLUENCES

Entire Balaghat district lies within Vain Ganga basin, Wawanthari sub basin and is drained by prominently southerly flowing rivers Bag. These rivers and their streams give dendritic drainage. H River, Kanhan River The district area is located between surface elevation 225 and 608 msl.

09. ANNUAL REPLEISHMENT: - Annual replenishment is as-

Table - 7 - ANNUAL REPLENISHMENT CAPACITY OF THE SAND IN BARDALA SAND QUARRY

Quarry name	Total Area (m ²)	Replenishment area (m ²)	Depth (m)	Quantity of sand (m ³)
CHICHOLI SAND DEPOSIT	49900	29940	2.0	49880

(In Cubic Meter)



पूरन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट



Ashutosh Sanyasi
(Geologist)

ROP/DGMMP/155/2016

715, 09406319043

57

10. WATER LEVEL IN THE LEAN SEASON

Variation of ground water levels in a area is an important component of Hydrological cycle because of its is a physical reflection of aquifer system. As the change in ground water level is directly related to ground water balance and its continuous records provide direct information of sub surface geo environmental changes due to withdrawal of ground water. To monitor the seasonal & annual fluctuation, change in quantity and quality of ground water, CGWB has established. Ground water monitoring wells and piezometers in entire Balaghat district. The monitoring of ground water levels in these wells is being carried out by CGWB during the month of May, August, November and January. High frequency ground water level monitoring is being carried out at many places deep piezometers using automatic water level recorders. To study ground water regime of the area pre monsoon and post monsoon maps of the Balaghat district has been prepared.

10.1 Pre Monsoon (May 2022)

In pre monsoon period, May 2022, depth to water level ranges between 6.90mbgl to 23.40 mbgl. The most part of the district have water level in the range of 8.0 to 12.0 m bgl uring the pre monsoon water level.

10.2. Post Monsoon (November 2022)

During Post monsoon period November 2022, the water level ranges from 1.07 m bgl to 15.08 mbgl. It is observed that in most part of the district the water level lies within 5.00 mbgl. During post monsoon period water level between 5-10moccures in N-W & south-eastern part of the district.

11. CONCLUSION:-

Vhawanthari Traverse a long path and its path contact with broad belt of sedimentary and metamorphic rocks at the monsoon river erode and transport large amount of eroded material (sand, gravel, silt etc) and deposit at meandering points of river. In the Chicholi sand deposit only 2.0 m thickness with 29940 m² area take for production so it is easily replenished at the time of monsoon.

Place : Amleshwar

Date :



RQP

Ashutosh Sanyshi (Geologist, RQP)
RQP/DGMMP/155/2016

Ashutosh Sanyshi
(Geologist)

RQP/DGMMP/155/2016

CGWB/16758715, 00406310013

पूरुन लाल लक्षकार
कनिष्ठ प्रबन्धक (सामान्य)

दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लि.
जिला कार्यालय-बालाघाट

(58)

Date wise e-TP Report				
SNo	Transportation date	Transportation date	Number of ETP	Sand Quantity (Cu. M.)
1	Balaghat	07-06-2020	1	3
2	Balaghat	08-06-2020	94	609.73
3	Balaghat	09-06-2020	213	861.2
4	Balaghat	10-06-2020	397	2,561.02
5	Balaghat	11-06-2020	508	2,993.21
6	Balaghat	12-06-2020	637	3,598.35
7	Balaghat	13-06-2020	654	6,047.70
8	Balaghat	14-06-2020	1455	25,772.54
9	Balaghat	15-06-2020	1356	21,484.93
10	Balaghat	16-06-2020	1783	36,318.26
11	Balaghat	17-06-2020	1588	49,236.40
12	Balaghat	18-06-2020	3330	163,203.51
13	Balaghat	19-06-2020	2668	160,669.75
14	Balaghat	20-06-2020	119	1,404.85
15	Balaghat	21-06-2020	1189	7,441.62
16	Balaghat	22-06-2020	905	6,161.06
17	Balaghat	23-06-2020	690	6,129.22
18	Balaghat	24-06-2020	1094	7,941.35
19	Balaghat	25-06-2020	1192	7,256.80
20	Balaghat	26-06-2020	1386	8,612.49
21	Balaghat	27-06-2020	2046	39,511.65
22	Balaghat	28-06-2020	2163	63,166.68
23	Balaghat	29-06-2020	1656	31,646.12
24	Balaghat	30-06-2020	2294	66,556.29

(59)

25	Balaghat	01-07-2020	3	30.88
26	Balaghat	01-10-2020	175	837.32
27	Balaghat	02-10-2020	40	125
28	Balaghat	03-10-2020	49	158
29	Balaghat	04-10-2020	35	105
30	Balaghat	05-10-2020	97	291
31	Balaghat	06-10-2020	229	687
32	Balaghat	07-10-2020	154	464
33	Balaghat	08-10-2020	8	24
34	Balaghat	09-10-2020	22	103.09
35	Balaghat	10-10-2020	28	84
36	Balaghat	11-10-2020	124	372
37	Balaghat	12-10-2020	256	768
38	Balaghat	13-10-2020	293	903.59
39	Balaghat	14-10-2020	342	1,068.00
40	Balaghat	15-10-2020	288	875
41	Balaghat	16-10-2020	340	1,031.00
42	Balaghat	17-10-2020	290	870
43	Balaghat	18-10-2020	164	492
44	Balaghat	19-10-2020	434	1,315.00
45	Balaghat	20-10-2020	348	1,047.92
46	Balaghat	21-10-2020	270	817
47	Balaghat	22-10-2020	327	990.77
48	Balaghat	23-10-2020	502	1,532.46
49	Balaghat	24-10-2020	430	1,294.00
50	Balaghat	25-10-2020	145	437

(60)

51	Balaghat	26-10-2020	170	516
52	Balaghat	27-10-2020	417	1,275.09
53	Balaghat	28-10-2020	310	948.59
54	Balaghat	29-10-2020	289	900
55	Balaghat	30-10-2020	414	1,415.00
56	Balaghat	31-10-2020	451	1,556.00
57	Balaghat	01-11-2020	273	966.49
58	Balaghat	02-11-2020	418	16,247.18
59	Balaghat	03-11-2020	284	1,043.00
60	Balaghat	04-11-2020	294	1,210.00
61	Balaghat	05-11-2020	156	707
62	Balaghat	06-11-2020	180	764
63	Balaghat	07-11-2020	75	311
64	Balaghat	08-11-2020	73	286.28
65	Balaghat	09-11-2020	57	173
66	Balaghat	10-11-2020	38	123.76
67	Balaghat	11-11-2020	48	144
68	Balaghat	12-11-2020	37	146
69	Balaghat	13-11-2020	19	73
70	Balaghat	14-11-2020	14	53
71	Balaghat	16-11-2020	4	12
72	Balaghat	17-11-2020	10	30
73	Balaghat	18-11-2020	20	84
74	Balaghat	19-11-2020	48	209
75	Balaghat	20-11-2020	42	247
76	Balaghat	21-11-2020	43	140

(61)

77	Balaghat	22-11-2020	52	221
78	Balaghat	23-11-2020	62	269
79	Balaghat	24-11-2020	33	203
80	Balaghat	27-11-2020	121	1,332.56
81	Balaghat	28-11-2020	413	3,735.28
82	Balaghat	29-11-2020	87	553.59
83	Balaghat	30-11-2020	55	438
84	Balaghat	01-12-2020	68	778.76
85	Balaghat	02-12-2020	45	290.49
86	Balaghat	03-12-2020	74	415
87	Balaghat	04-12-2020	195	1,911.73
88	Balaghat	05-12-2020	329	3,677.31
89	Balaghat	06-12-2020	283	3,123.68
90	Balaghat	07-12-2020	241	2,680.66
91	Balaghat	08-12-2020	264	2,898.44
92	Balaghat	09-12-2020	337	3,694.80
93	Balaghat	10-12-2020	317	3,319.38
94	Balaghat	11-12-2020	359	3,890.40
95	Balaghat	12-12-2020	378	3,740.80
96	Balaghat	13-12-2020	425	4,111.83
97	Balaghat	14-12-2020	377	3,568.69
98	Balaghat	15-12-2020	519	6,362.77
99	Balaghat	16-12-2020	429	4,012.69
100	Balaghat	17-12-2020	387	3,614.13
101	Balaghat	18-12-2020	385	3,554.07
102	Balaghat	19-12-2020	409	3,556.19

(62)

103	Balaghat	20-12-2020	320	2,776.16
104	Balaghat	21-12-2020	387	3,671.62
105	Balaghat	22-12-2020	438	3,938.07
106	Balaghat	23-12-2020	424	3,762.58
107	Balaghat	24-12-2020	402	3,907.20
108	Balaghat	25-12-2020	402	4,166.77
109	Balaghat	26-12-2020	479	4,579.51
110	Balaghat	27-12-2020	397	4,115.25
111	Balaghat	28-12-2020	379	3,984.12
112	Balaghat	29-12-2020	444	5,055.75
113	Balaghat	30-12-2020	371	4,342.02
114	Balaghat	31-12-2020	283	3,251.72
115	Balaghat	01-01-2021	221	2,571.27
116	Balaghat	02-01-2021	488	4,364.34
117	Balaghat	03-01-2021	581	5,620.22
118	Balaghat	04-01-2021	548	4,331.74
119	Balaghat	05-01-2021	621	5,727.81
120	Balaghat	06-01-2021	647	6,101.22
121	Balaghat	07-01-2021	837	7,586.56
122	Balaghat	08-01-2021	810	7,588.53
123	Balaghat	09-01-2021	950	8,031.90
124	Balaghat	10-01-2021	960	7,993.83
125	Balaghat	11-01-2021	932	7,982.81
126	Balaghat	12-01-2021	1050	8,617.79
127	Balaghat	13-01-2021	1247	9,375.87
128	Balaghat	14-01-2021	497	5,054.59

(63)

129	Balaghat	15-01-2021	823	6,978.57
130	Balaghat	16-01-2021	1209	8,874.06
131	Balaghat	17-01-2021	1053	8,045.53
132	Balaghat	18-01-2021	1357	8,938.41
133	Balaghat	19-01-2021	1454	10,033.39
134	Balaghat	20-01-2021	1595	10,473.71
135	Balaghat	21-01-2021	1582	10,574.81
136	Balaghat	22-01-2021	1440	9,982.41
137	Balaghat	23-01-2021	1671	10,582.96
138	Balaghat	24-01-2021	1315	9,027.23
139	Balaghat	25-01-2021	1429	9,813.47
140	Balaghat	26-01-2021	554	4,954.25
141	Balaghat	27-01-2021	1325	8,582.70
142	Balaghat	28-01-2021	1412	9,253.40
143	Balaghat	29-01-2021	1246	8,460.44
144	Balaghat	30-01-2021	1797	52,881.29
145	Balaghat	31-01-2021	1371	9,441.97
146	Balaghat	01-02-2021	1692	10,656.63
147	Balaghat	02-02-2021	1078	7,272.92
148	Balaghat	03-02-2021	1212	8,000.05
149	Balaghat	04-02-2021	1325	8,960.90
150	Balaghat	05-02-2021	1267	8,471.92
151	Balaghat	06-02-2021	1448	9,055.89
152	Balaghat	07-02-2021	1165	8,402.18
153	Balaghat	08-02-2021	1457	11,493.55
154	Balaghat	09-02-2021	890	6,779.70

64

155	Balaghat	10-02-2021	1296	7,260.54
156	Balaghat	11-02-2021	1157	7,064.33
157	Balaghat	12-02-2021	998	6,340.15
158	Balaghat	13-02-2021	1296	7,474.09
159	Balaghat	14-02-2021	1039	6,068.59
160	Balaghat	15-02-2021	1068	6,161.57
161	Balaghat	16-02-2021	975	5,613.75
162	Balaghat	17-02-2021	301	3,131.31
163	Balaghat	18-02-2021	715	4,122.15
164	Balaghat	19-02-2021	807	5,088.15
165	Balaghat	20-02-2021	678	5,169.53
166	Balaghat	21-02-2021	671	5,141.85
167	Balaghat	22-02-2021	934	5,891.23
168	Balaghat	23-02-2021	751	5,444.11
169	Balaghat	24-02-2021	796	5,542.18
170	Balaghat	25-02-2021	818	5,981.79
171	Balaghat	26-02-2021	855	6,575.32
172	Balaghat	27-02-2021	906	6,502.17
173	Balaghat	28-02-2021	861	6,111.23
174	Balaghat	01-03-2021	1017	6,850.51
175	Balaghat	02-03-2021	982	6,749.49
176	Balaghat	03-03-2021	1025	6,517.66
177	Balaghat	04-03-2021	838	4,475.22
178	Balaghat	05-03-2021	1010	5,256.74
179	Balaghat	06-03-2021	1166	7,023.47
180	Balaghat	07-03-2021	869	7,787.78

65

181	Balaghat	08-03-2021	980	7,627.30
182	Balaghat	09-03-2021	937	7,454.85
183	Balaghat	10-03-2021	1123	8,028.98
184	Balaghat	11-03-2021	837	6,303.22
185	Balaghat	12-03-2021	945	5,386.27
186	Balaghat	13-03-2021	1076	6,727.02
187	Balaghat	14-03-2021	1128	7,237.93
188	Balaghat	15-03-2021	1211	7,292.25
189	Balaghat	16-03-2021	1142	6,818.77
190	Balaghat	17-03-2021	1104	6,407.02
191	Balaghat	18-03-2021	1069	5,659.09
192	Balaghat	19-03-2021	610	4,197.97
193	Balaghat	20-03-2021	1057	5,937.23
194	Balaghat	21-03-2021	1038	5,768.30
195	Balaghat	22-03-2021	1198	6,533.53
196	Balaghat	23-03-2021	877	5,356.61
197	Balaghat	24-03-2021	1149	6,317.74
198	Balaghat	25-03-2021	1065	5,705.11
199	Balaghat	26-03-2021	1173	8,964.63
200	Balaghat	27-03-2021	1011	6,474.71
201	Balaghat	28-03-2021	501	2,608.95
202	Balaghat	30-03-2021	15	45
203	Balaghat	31-03-2021	444	1,927.92
204	Balaghat	01-04-2021	668	3,899.54
205	Balaghat	02-04-2021	627	4,518.59
206	Balaghat	03-04-2021	768	4,057.40

66

207	Balaghat	04-04-2021	770	5,486.63
208	Balaghat	05-04-2021	925	6,822.43
209	Balaghat	06-04-2021	956	6,395.81
210	Balaghat	07-04-2021	918	4,286.06
211	Balaghat	08-04-2021	1020	5,156.05
212	Balaghat	09-04-2021	1004	4,844.07
213	Balaghat	10-04-2021	298	2,398.73
214	Balaghat	11-04-2021	301	2,365.07
215	Balaghat	12-04-2021	729	4,006.96
216	Balaghat	13-04-2021	821	4,551.24
217	Balaghat	14-04-2021	853	4,343.13
218	Balaghat	15-04-2021	570	3,417.42
219	Balaghat	16-04-2021	898	4,316.56
220	Balaghat	17-04-2021	847	4,061.65
221	Balaghat	18-04-2021	672	3,463.68
222	Balaghat	19-04-2021	587	2,826.63
223	Balaghat	20-04-2021	562	3,114.56
224	Balaghat	21-04-2021	581	3,077.60
225	Balaghat	22-04-2021	552	2,666.43
226	Balaghat	23-04-2021	446	2,253.88
227	Balaghat	24-04-2021	508	2,289.49
228	Balaghat	25-04-2021	459	2,020.28
229	Balaghat	26-04-2021	904	15,947.07
230	Balaghat	27-04-2021	554	4,804.77
231	Balaghat	28-04-2021	552	5,123.41
232	Balaghat	29-04-2021	611	8,205.69

(67)

233	Balaghat	30-04-2021	391	1,803.19
234	Balaghat	01-05-2021	361	1,576.57
235	Balaghat	02-05-2021	378	1,817.82
236	Balaghat	03-05-2021	433	2,129.88
237	Balaghat	04-05-2021	472	4,624.50
238	Balaghat	05-05-2021	471	2,449.74
239	Balaghat	06-05-2021	470	2,498.24
240	Balaghat	07-05-2021	406	2,353.96
241	Balaghat	08-05-2021	403	2,237.39
242	Balaghat	09-05-2021	268	1,838.55
243	Balaghat	10-05-2021	369	2,136.79
244	Balaghat	11-05-2021	289	1,867.96
245	Balaghat	12-05-2021	371	2,178.86
246	Balaghat	13-05-2021	445	2,470.30
247	Balaghat	14-05-2021	534	9,901.03
248	Balaghat	15-05-2021	979	25,604.58
249	Balaghat	16-05-2021	775	16,921.70
250	Balaghat	17-05-2021	575	3,051.10
251	Balaghat	18-05-2021	578	3,431.21
252	Balaghat	19-05-2021	667	3,700.64
253	Balaghat	20-05-2021	768	4,387.18
254	Balaghat	21-05-2021	759	4,482.65
255	Balaghat	22-05-2021	750	4,481.39
256	Balaghat	23-05-2021	643	4,185.60
257	Balaghat	24-05-2021	695	4,450.28
258	Balaghat	25-05-2021	716	4,702.40

68

259	Balaghat	26-05-2021	721	4,618.72
260	Balaghat	27-05-2021	762	5,090.99
261	Balaghat	28-05-2021	662	4,241.22
262	Balaghat	29-05-2021	691	4,429.50
263	Balaghat	30-05-2021	395	2,380.43
264	Balaghat	31-05-2021	294	1,939.85
265	Balaghat	01-06-2021	285	1,193.24
266	Balaghat	02-06-2021	770	20,522.43
267	Balaghat	03-06-2021	1223	37,209.00
268	Balaghat	04-06-2021	541	7,911.96
269	Balaghat	05-06-2021	315	2,083.44
270	Balaghat	06-06-2021	346	2,014.62
271	Balaghat	07-06-2021	1077	29,470.01
272	Balaghat	08-06-2021	909	13,979.43
273	Balaghat	09-06-2021	704	4,830.03
274	Balaghat	10-06-2021	330	3,356.85
275	Balaghat	11-06-2021	706	18,007.03
276	Balaghat	12-06-2021	578	4,138.93
277	Balaghat	13-06-2021	1024	16,830.04
278	Balaghat	14-06-2021	821	6,026.98
279	Balaghat	15-06-2021	883	18,657.38
280	Balaghat	16-06-2021	959	20,281.31
281	Balaghat	17-06-2021	695	7,587.28
282	Balaghat	18-06-2021	530	3,811.78
283	Balaghat	19-06-2021	670	8,909.03
284	Balaghat	20-06-2021	547	3,793.83

(69)

285	Balaghat	21-06-2021	535	3,825.07
286	Balaghat	22-06-2021	477	3,567.80
287	Balaghat	23-06-2021	417	3,037.10
288	Balaghat	24-06-2021	395	3,979.64
289	Balaghat	25-06-2021	316	3,063.83
290	Balaghat	26-06-2021	314	2,722.36
291	Balaghat	27-06-2021	413	3,352.08
292	Balaghat	28-06-2021	508	3,741.67
293	Balaghat	29-06-2021	59	354.76
294	Balaghat	30-06-2021	84	895.62
295	Balaghat	05-10-2021	5	44
296	Balaghat	06-10-2021	68	209
297	Balaghat	07-10-2021	89	267
298	Balaghat	08-10-2021	109	327
299	Balaghat	09-10-2021	165	508
300	Balaghat	10-10-2021	135	405
301	Balaghat	11-10-2021	1	8
302	Balaghat	12-10-2021	135	458.6
303	Balaghat	13-10-2021	100	316
304	Balaghat	14-10-2021	82	262.49
305	Balaghat	15-10-2021	14	42
306	Balaghat	16-10-2021	41	145
307	Balaghat	17-10-2021	83	249
308	Balaghat	18-10-2021	156	468
309	Balaghat	19-10-2021	136	607.98
310	Balaghat	20-10-2021	252	1,368.98

(70)

311	Balaghat	21-10-2021	65	690.49
312	Balaghat	22-10-2021	254	1,744.58
313	Balaghat	23-10-2021	264	1,377.49
314	Balaghat	24-10-2021	223	1,317.04
315	Balaghat	25-10-2021	177	1,094.58
316	Balaghat	26-10-2021	123	2,564.00
317	Balaghat	27-10-2021	287	3,086.60
318	Balaghat	28-10-2021	224	1,520.96
319	Balaghat	29-10-2021	248	1,309.60
320	Balaghat	30-10-2021	274	2,380.60
321	Balaghat	31-10-2021	196	1,078.66
322	Balaghat	01-11-2021	202	1,100.00
323	Balaghat	02-11-2021	50	357.22
324	Balaghat	03-11-2021	101	511
325	Balaghat	04-11-2021	10	108
326	Balaghat	05-11-2021	9	43
327	Balaghat	06-11-2021	11	109
328	Balaghat	07-11-2021	40	369
329	Balaghat	08-11-2021	81	660.82
330	Balaghat	09-11-2021	111	818.6
331	Balaghat	10-11-2021	29	279.49
332	Balaghat	11-11-2021	163	1,329.14
333	Balaghat	12-11-2021	212	1,607.60
334	Balaghat	13-11-2021	323	3,003.96
335	Balaghat	14-11-2021	236	1,365.24
336	Balaghat	15-11-2021	266	1,905.60

(71)

337	Balaghat	16-11-2021	222	1,394.60
338	Balaghat	17-11-2021	269	2,031.47
339	Balaghat	18-11-2021	104	746
340	Balaghat	19-11-2021	298	3,012.07
341	Balaghat	20-11-2021	296	3,304.49
342	Balaghat	21-11-2021	237	1,444.09
343	Balaghat	22-11-2021	222	1,281.09
344	Balaghat	23-11-2021	341	1,808.58
345	Balaghat	24-11-2021	408	2,494.57
346	Balaghat	25-11-2021	100	615.59
347	Balaghat	26-11-2021	359	1,971.72
348	Balaghat	27-11-2021	397	2,454.13
349	Balaghat	28-11-2021	243	1,384.58
350	Balaghat	29-11-2021	380	3,120.56
351	Balaghat	30-11-2021	371	1,970.23
352	Balaghat	01-12-2021	455	3,450.55
353	Balaghat	02-12-2021	34	371
354	Balaghat	03-12-2021	441	2,570.53
355	Balaghat	04-12-2021	485	2,859.56
356	Balaghat	05-12-2021	339	2,278.74
357	Balaghat	06-12-2021	463	2,780.60
358	Balaghat	07-12-2021	450	2,762.11
359	Balaghat	08-12-2021	474	3,014.28
360	Balaghat	09-12-2021	547	3,461.34
361	Balaghat	10-12-2021	535	3,373.28
362	Balaghat	11-12-2021	535	3,345.26

(72)

363	Balaghat	12-12-2021	381	2,917.36
364	Balaghat	13-12-2021	416	2,867.84
365	Balaghat	14-12-2021	610	6,123.01
366	Balaghat	15-12-2021	654	7,443.33
367	Balaghat	16-12-2021	590	3,476.84
368	Balaghat	17-12-2021	574	3,728.26
369	Balaghat	18-12-2021	524	3,431.02
370	Balaghat	19-12-2021	405	2,931.96
371	Balaghat	20-12-2021	401	2,720.02
372	Balaghat	21-12-2021	403	2,620.40
373	Balaghat	22-12-2021	476	2,930.98
374	Balaghat	23-12-2021	512	3,218.94
375	Balaghat	24-12-2021	453	2,917.91
376	Balaghat	25-12-2021	567	3,618.65
377	Balaghat	27-12-2021	183	1,196.04
378	Balaghat	28-12-2021	613	3,680.74
379	Balaghat	29-12-2021	283	2,027.37
380	Balaghat	30-12-2021	444	2,669.35
381	Balaghat	31-12-2021	345	2,194.47
382	Balaghat	01-01-2022	510	9,662.18
383	Balaghat	02-01-2022	542	9,797.96
384	Balaghat	03-01-2022	614	8,377.06
385	Balaghat	04-01-2022	493	3,779.10
386	Balaghat	05-01-2022	576	4,180.21
387	Balaghat	06-01-2022	755	9,134.45
388	Balaghat	07-01-2022	678	5,313.04

73

389	Balaghat	08-01-2022	650	5,063.68
390	Balaghat	09-01-2022	463	4,218.37
391	Balaghat	10-01-2022	584	4,643.30
392	Balaghat	11-01-2022	431	4,303.96
393	Balaghat	12-01-2022	468	4,289.14
394	Balaghat	13-01-2022	573	4,812.85
395	Balaghat	14-01-2022	274	3,111.50
396	Balaghat	15-01-2022	352	3,331.52
397	Balaghat	16-01-2022	712	12,362.85
398	Balaghat	17-01-2022	749	8,343.04
399	Balaghat	18-01-2022	704	7,584.20
400	Balaghat	19-01-2022	669	4,608.44
401	Balaghat	20-01-2022	703	4,339.48
402	Balaghat	21-01-2022	721	4,734.38
403	Balaghat	22-01-2022	676	4,236.63
404	Balaghat	23-01-2022	529	3,880.91
405	Balaghat	24-01-2022	679	4,279.91
406	Balaghat	25-01-2022	691	4,230.25
407	Balaghat	26-01-2022	342	2,444.78
408	Balaghat	27-01-2022	547	2,916.54
409	Balaghat	28-01-2022	524	3,819.14
410	Balaghat	29-01-2022	662	4,420.18
411	Balaghat	30-01-2022	519	4,021.98
412	Balaghat	31-01-2022	702	5,223.53
413	Balaghat	01-02-2022	642	5,028.22
414	Balaghat	02-02-2022	859	6,362.15

(74)

415	Balaghat	03-02-2022	813	5,186.74
416	Balaghat	04-02-2022	779	5,296.38
417	Balaghat	05-02-2022	737	4,911.69
418	Balaghat	06-02-2022	628	4,854.45
419	Balaghat	07-02-2022	787	8,201.31
420	Balaghat	08-02-2022	800	8,429.06
421	Balaghat	09-02-2022	726	4,712.36
422	Balaghat	10-02-2022	643	4,548.07
423	Balaghat	11-02-2022	630	4,427.98
424	Balaghat	12-02-2022	610	4,509.49
425	Balaghat	13-02-2022	506	3,898.24
426	Balaghat	14-02-2022	555	4,050.09
427	Balaghat	15-02-2022	606	7,262.82
428	Balaghat	16-02-2022	678	9,180.99
429	Balaghat	17-02-2022	505	4,011.06
430	Balaghat	18-02-2022	475	3,747.21
431	Balaghat	19-02-2022	475	3,745.75
432	Balaghat	20-02-2022	379	3,548.84
433	Balaghat	21-02-2022	394	3,137.56
434	Balaghat	22-02-2022	378	3,338.26
435	Balaghat	23-02-2022	415	3,231.53
436	Balaghat	24-02-2022	486	6,777.72
437	Balaghat	25-02-2022	371	3,292.14
438	Balaghat	26-02-2022	384	3,284.95
439	Balaghat	27-02-2022	340	3,095.10
440	Balaghat	28-02-2022	490	8,221.69

(75)

441	Balaghat	01-03-2022	316	4,449.90
442	Balaghat	02-03-2022	455	7,243.09
443	Balaghat	03-03-2022	403	3,474.54
444	Balaghat	04-03-2022	417	3,833.28
445	Balaghat	05-03-2022	406	3,814.44
446	Balaghat	06-03-2022	359	3,699.29
447	Balaghat	07-03-2022	343	3,751.55
448	Balaghat	08-03-2022	368	3,722.19
449	Balaghat	09-03-2022	431	3,927.14
450	Balaghat	10-03-2022	632	9,173.60
451	Balaghat	11-03-2022	635	9,221.35
452	Balaghat	12-03-2022	526	4,111.31
453	Balaghat	13-03-2022	441	3,862.86
454	Balaghat	14-03-2022	435	3,700.39
455	Balaghat	15-03-2022	436	3,771.74
456	Balaghat	16-03-2022	342	2,996.42
457	Balaghat	17-03-2022	209	1,669.46
458	Balaghat	18-03-2022	1	12
459	Balaghat	19-03-2022	8	67.78
460	Balaghat	20-03-2022	74	607.64
461	Balaghat	21-03-2022	173	1,611.26
462	Balaghat	22-03-2022	293	2,400.87
463	Balaghat	23-03-2022	348	2,867.34
464	Balaghat	24-03-2022	385	3,134.08
465	Balaghat	25-03-2022	351	3,024.53
466	Balaghat	26-03-2022	376	2,971.83

76

467	Balaghat	27-03-2022	318	2,644.34
468	Balaghat	28-03-2022	354	2,743.11
469	Balaghat	29-03-2022	341	2,477.04
470	Balaghat	30-03-2022	366	2,674.70
471	Balaghat	31-03-2022	335	2,458.32
472	Balaghat	01-04-2022	325	2,537.50
473	Balaghat	02-04-2022	333	2,595.78
474	Balaghat	03-04-2022	275	2,382.56
475	Balaghat	04-04-2022	328	2,474.28
476	Balaghat	05-04-2022	316	2,423.77
477	Balaghat	06-04-2022	348	2,587.77
478	Balaghat	07-04-2022	378	2,686.21
479	Balaghat	08-04-2022	353	2,724.51
480	Balaghat	09-04-2022	322	2,524.97
481	Balaghat	10-04-2022	190	1,863.92
482	Balaghat	11-04-2022	278	2,180.09
483	Balaghat	12-04-2022	315	2,473.06
484	Balaghat	13-04-2022	269	2,237.78
485	Balaghat	19-04-2022	133	4,055.29
486	Balaghat	20-04-2022	450	10,692.04
487	Balaghat	21-04-2022	293	5,331.47
488	Balaghat	22-04-2022	482	12,409.48
489	Balaghat	23-04-2022	692	20,813.75
490	Balaghat	24-04-2022	408	11,748.68
491	Balaghat	25-04-2022	278	9,198.57
492	Balaghat	26-04-2022	488	12,210.60

493	Balaghat	27-04-2022	396	8,585.27
494	Balaghat	28-04-2022	225	2,103.95
495	Balaghat	29-04-2022	250	2,150.59
496	Balaghat	30-04-2022	258	2,293.60
497	Balaghat	01-05-2022	327	6,978.74
498	Balaghat	02-05-2022	240	2,036.82
499	Balaghat	03-05-2022	647	20,516.60
500	Balaghat	04-05-2022	67	1,948.27
501	Balaghat	05-05-2022	665	20,050.53
502	Balaghat	06-05-2022	530	15,377.74
503	Balaghat	07-05-2022	272	4,397.71
504	Balaghat	08-05-2022	790	26,050.26
505	Balaghat	09-05-2022	453	11,770.58
506	Balaghat	10-05-2022	185	1,779.72
507	Balaghat	11-05-2022	233	2,083.99
508	Balaghat	12-05-2022	243	2,901.54
509	Balaghat	13-05-2022	236	2,030.60
510	Balaghat	14-05-2022	245	2,263.51
511	Balaghat	15-05-2022	186	1,697.56
512	Balaghat	16-05-2022	407	10,409.10
513	Balaghat	17-05-2022	544	15,773.92
514	Balaghat	18-05-2022	563	15,983.35
515	Balaghat	19-05-2022	1045	34,521.04
516	Balaghat	20-05-2022	1096	35,326.12
517	Balaghat	21-05-2022	869	25,918.82
518	Balaghat	22-05-2022	658	20,190.94

77

519	Balaghat	23-05-2022	668	18,816.72
520	Balaghat	24-05-2022	627	15,509.91
521	Balaghat	25-05-2022	477	8,721.17
522	Balaghat	26-05-2022	296	2,713.66
523	Balaghat	27-05-2022	545	11,637.78
524	Balaghat	28-05-2022	706	17,571.57
525	Balaghat	29-05-2022	875	27,821.32
526	Balaghat	30-05-2022	612	14,988.52
527	Balaghat	31-05-2022	1069	31,829.19
528	Balaghat	01-06-2022	314	8,730.20
529	Balaghat	02-06-2022	808	26,973.16
530	Balaghat	03-06-2022	679	20,406.81
531	Balaghat	04-06-2022	1025	32,076.67
532	Balaghat	05-06-2022	746	22,046.79
533	Balaghat	06-06-2022	605	14,417.82
534	Balaghat	07-06-2022	486	12,944.45
535	Balaghat	08-06-2022	266	2,944.89
536	Balaghat	09-06-2022	255	2,735.06
537	Balaghat	10-06-2022	211	2,439.97
538	Balaghat	11-06-2022	275	3,139.80
539	Balaghat	12-06-2022	276	3,050.37
540	Balaghat	13-06-2022	284	3,169.74
541	Balaghat	14-06-2022	387	4,506.34
542	Balaghat	15-06-2022	412	4,944.05
543	Balaghat	16-06-2022	472	5,585.23
544	Balaghat	17-06-2022	342	4,170.46

78

545	Balaghat	18-06-2022	569	11,810.03
546	Balaghat	19-06-2022	838	24,808.73
547	Balaghat	20-06-2022	854	25,429.68
548	Balaghat	21-06-2022	448	9,238.86
549	Balaghat	22-06-2022	342	4,221.52
550	Balaghat	23-06-2022	320	3,846.27
551	Balaghat	24-06-2022	288	3,565.21
552	Balaghat	25-06-2022	247	3,007.45
553	Balaghat	26-06-2022	973	32,242.85
554	Balaghat	27-06-2022	649	18,395.40
555	Balaghat	28-06-2022	240	2,905.76
556	Balaghat	29-06-2022	263	3,184.49
557	Balaghat	30-06-2022	574	15,003.30
558	Balaghat	06-10-2022	3	18
559	Balaghat	08-10-2022	7	21
560	Balaghat	09-10-2022	35	239
561	Balaghat	10-10-2022	59	639.52
562	Balaghat	11-10-2022	87	930.14
563	Balaghat	15-10-2022	1	3
564	Balaghat	16-10-2022	43	214
565	Balaghat	17-10-2022	54	162
566	Balaghat	18-10-2022	12	137.14
567	Balaghat	19-10-2022	81	1,151.17
568	Balaghat	20-10-2022	141	1,650.06
569	Balaghat	21-10-2022	106	675.53
570	Balaghat	22-10-2022	175	2,164.49

(79)

(80)

571	Balaghat	23-10-2022	131	1,946.48
572	Balaghat	24-10-2022	45	733.91
573	Balaghat	25-10-2022	24	510
574	Balaghat	26-10-2022	45	661.7
575	Balaghat	27-10-2022	125	1,706.44
576	Balaghat	28-10-2022	128	1,324.53
577	Balaghat	29-10-2022	159	1,307.71
578	Balaghat	30-10-2022	148	1,024.80
579	Balaghat	31-10-2022	174	1,507.74
580	Balaghat	01-11-2022	192	1,825.61
581	Balaghat	07-11-2022	219	5,444.59
582	Balaghat	08-11-2022	435	8,658.18
583	Balaghat	09-11-2022	358	6,435.13
584	Balaghat	10-11-2022	490	8,357.16
585	Balaghat	11-11-2022	366	6,775.58
586	Balaghat	12-11-2022	453	8,917.39
587	Balaghat	13-11-2022	315	4,460.31
588	Balaghat	14-11-2022	393	5,185.67
589	Balaghat	15-11-2022	469	8,371.76
590	Balaghat	16-11-2022	382	4,852.66
591	Balaghat	17-11-2022	507	9,069.00
592	Balaghat	18-11-2022	375	4,635.31
593	Balaghat	19-11-2022	394	4,691.62
594	Balaghat	20-11-2022	327	4,219.24
595	Balaghat	21-11-2022	278	3,639.97
596	Balaghat	22-11-2022	320	3,979.47

(81)

597	Balaghat	23-11-2022	298	4,041.68
598	Balaghat	24-11-2022	256	3,659.39
599	Balaghat	25-11-2022	262	3,658.29
600	Balaghat	26-11-2022	255	3,695.77
601	Balaghat	27-11-2022	272	3,686.64
602	Balaghat	28-11-2022	259	3,280.50
603	Balaghat	29-11-2022	272	3,642.10
604	Balaghat	30-11-2022	302	3,831.10
605	Balaghat	01-12-2022	253	3,199.28
606	Balaghat	04-12-2022	211	5,904.98
607	Balaghat	05-12-2022	304	3,969.12
608	Balaghat	06-12-2022	368	5,003.62
609	Balaghat	07-12-2022	340	4,476.29
610	Balaghat	08-12-2022	368	5,118.42
611	Balaghat	09-12-2022	361	4,780.17
612	Balaghat	10-12-2022	369	4,909.94
613	Balaghat	11-12-2022	330	4,364.12
614	Balaghat	12-12-2022	331	3,910.69
615	Balaghat	13-12-2022	272	3,383.77
616	Balaghat	14-12-2022	258	3,122.82
617	Balaghat	15-12-2022	298	3,819.50
618	Balaghat	16-12-2022	289	3,726.79
619	Balaghat	17-12-2022	116	880.03
620	Balaghat	18-12-2022	50	203
621	Balaghat	19-12-2022	71	259.46
622	Balaghat	20-12-2022	84	296.13

82

623	Balaghat	21-12-2022	79	359.61
624	Balaghat	22-12-2022	74	268.36
625	Balaghat	23-12-2022	70	220.95
626	Balaghat	24-12-2022	1	5
627	Balaghat	25-12-2022	58	243.95
628	Balaghat	26-12-2022	72	231.95
629	Balaghat	27-12-2022	86	346.54
630	Balaghat	28-12-2022	77	263.77
631	Balaghat	29-12-2022	80	268.91
632	Balaghat	30-12-2022	73	242.54
633	Balaghat	31-12-2022	78	293.13
634	Balaghat	01-01-2023	43	245.8
635	Balaghat	02-01-2023	1	12.07
636	Balaghat	03-01-2023	66	427.44
637	Balaghat	04-01-2023	157	1,507.53
638	Balaghat	05-01-2023	257	3,337.92
639	Balaghat	06-01-2023	283	3,147.84
640	Balaghat	07-01-2023	278	3,263.42
641	Balaghat	08-01-2023	289	3,532.44
642	Balaghat	09-01-2023	274	3,051.69
643	Balaghat	10-01-2023	294	3,434.24
644	Balaghat	11-01-2023	333	3,912.44
645	Balaghat	12-01-2023	253	2,708.34
646	Balaghat	13-01-2023	298	3,431.89
647	Balaghat	14-01-2023	214	3,078.03
648	Balaghat	15-01-2023	267	3,765.69

83

649	Balaghat	16-01-2023	315	3,585.48
650	Balaghat	17-01-2023	356	4,290.02
651	Balaghat	18-01-2023	425	4,709.02
652	Balaghat	19-01-2023	442	5,041.58
653	Balaghat	20-01-2023	541	6,304.63
654	Balaghat	21-01-2023	558	6,458.67
655	Balaghat	22-01-2023	547	7,003.54
656	Balaghat	23-01-2023	616	7,441.86
657	Balaghat	24-01-2023	651	7,894.04
658	Balaghat	25-01-2023	646	7,692.42
659	Balaghat	26-01-2023	430	5,724.08
660	Balaghat	27-01-2023	623	7,128.77
661	Balaghat	28-01-2023	635	7,748.62
662	Balaghat	29-01-2023	563	6,783.36
663	Balaghat	30-01-2023	587	7,000.48
664	Balaghat	31-01-2023	534	7,011.16
665	Balaghat	01-02-2023	587	7,231.03
666	Balaghat	02-02-2023	624	7,379.71
667	Balaghat	03-02-2023	604	7,392.24
668	Balaghat	04-02-2023	723	8,497.86
669	Balaghat	05-02-2023	632	8,187.19
670	Balaghat	06-02-2023	617	7,569.83
671	Balaghat	07-02-2023	573	7,490.07
672	Balaghat	08-02-2023	708	8,660.21
673	Balaghat	09-02-2023	627	7,832.88
674	Balaghat	10-02-2023	637	8,092.62

84

675	Balaghat	11-02-2023	620	7,707.32	
676	Balaghat	12-02-2023	500	6,020.96	
677	Balaghat	13-02-2023	618	7,995.09	
678	Balaghat	14-02-2023	574	7,191.59	
679	Balaghat	15-02-2023	592	7,651.55	
680	Balaghat	16-02-2023	563	7,498.29	
681	Balaghat	17-02-2023	550	6,878.18	
682	Balaghat	18-02-2023	305	4,704.18	
683	Balaghat	19-02-2023	387	5,208.02	
684	Balaghat	20-02-2023	416	5,077.71	
685	Balaghat	21-02-2023	489	6,493.35	
686	Balaghat	22-02-2023	608	7,983.51	
687	Balaghat	23-02-2023	553	7,189.09	
688	Balaghat	24-02-2023	574	7,323.81	
689	Balaghat	25-02-2023	612	7,953.18	
690	Balaghat	26-02-2023	561	7,178.56	
691	Balaghat	27-02-2023	626	7,429.04	
692	Balaghat	28-02-2023	639	7,695.18	
693	Balaghat	01-03-2023	674	8,171.69	
694	Balaghat	02-03-2023	682	8,238.37	
695	Balaghat	03-03-2023	681	7,812.82	
696	Balaghat	04-03-2023	608	6,808.87	
697	Balaghat	05-03-2023	562	6,919.75	
698	Balaghat	06-03-2023	297	3,267.22	
699	Balaghat	07-03-2023	69		572
700	Balaghat	08-03-2023	19		179

85

701	Balaghat	09-03-2023	107	1,248.48
702	Balaghat	10-03-2023	313	3,625.24
703	Balaghat	11-03-2023	472	5,414.70
704	Balaghat	12-03-2023	529	6,483.69
705	Balaghat	13-03-2023	448	6,042.78
706	Balaghat	14-03-2023	511	7,343.09
707	Balaghat	15-03-2023	496	6,878.39
708	Balaghat	16-03-2023	648	8,547.03
709	Balaghat	17-03-2023	588	8,846.67
710	Balaghat	18-03-2023	483	7,229.35
711	Balaghat	19-03-2023	454	6,329.91
712	Balaghat	20-03-2023	483	6,692.71
713	Balaghat	21-03-2023	405	5,506.52
714	Balaghat	22-03-2023	596	7,761.58
715	Balaghat	23-03-2023	519	7,312.29
716	Balaghat	24-03-2023	535	6,921.48
717	Balaghat	25-03-2023	544	7,287.71
718	Balaghat	26-03-2023	453	6,975.71
719	Balaghat	27-03-2023	438	5,725.34
720	Balaghat	28-03-2023	735	19,351.33
721	Balaghat	29-03-2023	682	16,403.48
722	Balaghat	30-03-2023	386	6,385.89
723	Balaghat	31-03-2023	486	6,844.46
724	Balaghat	01-04-2023	474	6,416.82
725	Balaghat	02-04-2023	534	7,898.28
726	Balaghat	03-04-2023	451	6,207.12

(86)

727	Balaghat	04-04-2023	408	6,044.63
728	Balaghat	05-04-2023	531	7,767.85
729	Balaghat	06-04-2023	477	6,765.85
730	Balaghat	07-04-2023	427	6,336.55
731	Balaghat	08-04-2023	684	14,821.26
732	Balaghat	09-04-2023	320	7,595.10
733	Balaghat	10-04-2023	477	7,100.88
734	Balaghat	11-04-2023	483	7,474.75
735	Balaghat	12-04-2023	539	7,752.29
736	Balaghat	13-04-2023	537	8,221.21
737	Balaghat	14-04-2023	450	7,118.50
738	Balaghat	15-04-2023	669	13,581.57
739	Balaghat	16-04-2023	676	13,716.16
740	Balaghat	17-04-2023	554	11,269.11
741	Balaghat	18-04-2023	637	12,011.12
742	Balaghat	19-04-2023	517	8,546.87
743	Balaghat	20-04-2023	652	12,739.95
744	Balaghat	21-04-2023	516	10,089.34
745	Balaghat	22-04-2023	569	10,217.68
746	Balaghat	23-04-2023	481	9,915.83
747	Balaghat	24-04-2023	511	10,410.70
748	Balaghat	25-04-2023	494	8,505.26
749	Balaghat	26-04-2023	501	9,154.48
750	Balaghat	27-04-2023	516	9,488.78
751	Balaghat	28-04-2023	649	14,467.85
752	Balaghat	29-04-2023	621	14,160.41

87

753	Balaghat	30-04-2023	445	10,649.43
754	Balaghat	01-05-2023	404	8,806.70
755	Balaghat	02-05-2023	426	9,458.24
756	Balaghat	03-05-2023	527	13,982.57
757	Balaghat	04-05-2023	255	3,967.05
758	Balaghat	05-05-2023	317	4,549.35
759	Balaghat	06-05-2023	679	15,543.17
760	Balaghat	07-05-2023	620	13,761.23
761	Balaghat	08-05-2023	426	5,765.90
762	Balaghat	09-05-2023	616	13,409.44
763	Balaghat	10-05-2023	658	14,292.32
764	Balaghat	11-05-2023	448	5,949.72
765	Balaghat	12-05-2023	645	14,576.14
766	Balaghat	13-05-2023	640	12,973.87
767	Balaghat	14-05-2023	464	8,562.98
768	Balaghat	15-05-2023	597	12,876.52
769	Balaghat	16-05-2023	872	23,012.86
770	Balaghat	17-05-2023	805	21,133.62
771	Balaghat	18-05-2023	801	20,662.36
772	Balaghat	19-05-2023	854	23,210.60
773	Balaghat	20-05-2023	783	19,365.23
774	Balaghat	21-05-2023	649	16,170.94
775	Balaghat	22-05-2023	774	19,732.99
776	Balaghat	23-05-2023	821	20,780.93
777	Balaghat	24-05-2023	949	26,435.15
778	Balaghat	25-05-2023	852	22,141.11

88

779	Balaghat	26-05-2023	1012	29,265.93
780	Balaghat	27-05-2023	420	5,677.96
781	Balaghat	28-05-2023	303	4,551.64
782	Balaghat	29-05-2023	237	4,223.00
783	Balaghat	30-05-2023	388	5,205.78
784	Balaghat	31-05-2023	363	4,815.97
785	Balaghat	01-06-2023	390	5,385.25
786	Balaghat	02-06-2023	394	5,611.95
787	Balaghat	03-06-2023	420	5,834.80
788	Balaghat	04-06-2023	417	6,154.85
789	Balaghat	05-06-2023	465	6,393.95
790	Balaghat	06-06-2023	454	6,708.78
791	Balaghat	07-06-2023	481	7,031.95
792	Balaghat	08-06-2023	419	5,546.83
793	Balaghat	09-06-2023	480	6,093.35
794	Balaghat	10-06-2023	491	6,024.68
795	Balaghat	11-06-2023	401	5,474.04
796	Balaghat	12-06-2023	654	14,971.98
797	Balaghat	13-06-2023	663	15,120.00
798	Balaghat	14-06-2023	602	11,666.11
799	Balaghat	15-06-2023	850	25,353.27
800	Balaghat	16-06-2023	734	21,309.22
801	Balaghat	17-06-2023	991	27,639.05
802	Balaghat	18-06-2023	1186	34,700.99
803	Balaghat	19-06-2023	977	24,559.38
804	Balaghat	20-06-2023	1231	35,975.80

89

805	Balaghat	21-06-2023	1140	32,677.16
806	Balaghat	22-06-2023	868	20,763.75
807	Balaghat	23-06-2023	1095	33,067.12
808	Balaghat	24-06-2023	876	22,855.26
809	Balaghat	25-06-2023	484	7,650.28
810	Balaghat	26-06-2023	479	9,161.50
811	Balaghat	27-06-2023	422	8,035.74
812	Balaghat	28-06-2023	351	6,792.87
813	Balaghat	29-06-2023	15	289
814	Balaghat	30-06-2023	32	514.05
815	Balaghat	02-11-2023	1	3
816	Balaghat	03-11-2023	187	3,355.41
817	Balaghat	04-11-2023	230	4,084.09
818	Balaghat	05-11-2023	177	3,424.49
819	Balaghat	06-11-2023	217	4,039.33
820	Balaghat	07-11-2023	245	4,469.22
821	Balaghat	08-11-2023	202	3,779.44
822	Balaghat	09-11-2023	199	3,661.09
823	Balaghat	10-11-2023	155	2,962.45
824	Balaghat	11-11-2023	91	1,716.75
825	Balaghat	12-11-2023	15	280.13
826	Balaghat	13-11-2023	6	135.18
827	Balaghat	14-11-2023	49	982.98
828	Balaghat	15-11-2023	68	1,271.31
829	Balaghat	16-11-2023	117	2,330.89
830	Balaghat	17-11-2023	58	1,150.69

90

831	Balaghat	18-11-2023	107	1,978.03
832	Balaghat	19-11-2023	126	2,363.12
833	Balaghat	20-11-2023	106	1,794.80
834	Balaghat	21-11-2023	141	2,448.38
835	Balaghat	22-11-2023	121	2,170.55
836	Balaghat	23-11-2023	143	2,478.49
837	Balaghat	24-11-2023	139	2,366.21
838	Balaghat	25-11-2023	134	2,241.99
839	Balaghat	26-11-2023	130	2,003.05
840	Balaghat	27-11-2023	131	2,214.91
841	Balaghat	28-11-2023	66	1,089.14
842	Balaghat	29-11-2023	66	1,054.59
843	Balaghat	30-11-2023	80	1,157.19
844	Balaghat	01-12-2023	98	1,503.14
845	Balaghat	02-12-2023	124	1,952.05
846	Balaghat	03-12-2023	282	4,093.29
847	Balaghat	04-12-2023	109	1,769.38
848	Balaghat	05-12-2023	136	2,204.86
849	Balaghat	06-12-2023	98	1,565.43
850	Balaghat	07-12-2023	91	1,423.11
851	Balaghat	08-12-2023	136	1,463.99
852	Balaghat	09-12-2023	222	2,104.41
853	Balaghat	10-12-2023	170	1,898.36
854	Balaghat	11-12-2023	214	1,613.90
855	Balaghat	12-12-2023	262	2,167.08
856	Balaghat	13-12-2023	246	2,112.44

(91)

857	Balaghat	14-12-2023	267	2,316.94
858	Balaghat	15-12-2023	224	2,114.83
859	Balaghat	16-12-2023	292	2,403.82
860	Balaghat	17-12-2023	220	2,266.19
861	Balaghat	18-12-2023	248	2,241.82
862	Balaghat	19-12-2023	302	2,719.86
863	Balaghat	20-12-2023	315	2,477.52
864	Balaghat	21-12-2023	299	2,517.86
865	Balaghat	22-12-2023	225	2,552.13
866	Balaghat	23-12-2023	243	2,360.96
867	Balaghat	24-12-2023	238	2,732.63
868	Balaghat	25-12-2023	306	2,452.34
869	Balaghat	26-12-2023	331	2,750.87
870	Balaghat	27-12-2023	352	2,495.24
871	Balaghat	28-12-2023	341	2,368.07
872	Balaghat	29-12-2023	341	2,442.00
873	Balaghat	30-12-2023	388	2,965.91
874	Balaghat	31-12-2023	223	1,883.33
875	Balaghat	01-01-2024	26	313.37
876	Balaghat	02-01-2024	18	116.14
877	Balaghat	03-01-2024	106	816.45
878	Balaghat	04-01-2024	305	2,914.15
879	Balaghat	05-01-2024	213	1,832.81
880	Balaghat	06-01-2024	400	3,118.70
881	Balaghat	07-01-2024	345	2,985.84
882	Balaghat	08-01-2024	410	3,079.43

92

883	Balaghat	09-01-2024	450	3,172.21
884	Balaghat	10-01-2024	398	2,350.87
885	Balaghat	11-01-2024	441	2,651.36
886	Balaghat	12-01-2024	535	3,765.66
887	Balaghat	13-01-2024	534	4,160.92
888	Balaghat	14-01-2024	124	1,485.52
889	Balaghat	15-01-2024	194	2,020.01
890	Balaghat	16-01-2024	394	3,179.55
891	Balaghat	17-01-2024	425	2,940.67
892	Balaghat	18-01-2024	294	2,623.36
893	Balaghat	19-01-2024	318	2,680.30
894	Balaghat	20-01-2024	352	2,950.87
895	Balaghat	21-01-2024	259	2,436.90
896	Balaghat	22-01-2024	72	777.38
897	Balaghat	23-01-2024	147	1,396.48
898	Balaghat	24-01-2024	388	3,392.80
899	Balaghat	25-01-2024	386	3,170.18
900	Balaghat	26-01-2024	87	1,277.49
901	Balaghat	27-01-2024	361	3,499.95
902	Balaghat	28-01-2024	299	3,293.71
903	Balaghat	29-01-2024	371	3,962.72
904	Balaghat	30-01-2024	382	4,218.90
905	Balaghat	31-01-2024	376	4,378.15
906	Balaghat	01-02-2024	328	3,458.98
907	Balaghat	02-02-2024	149	2,772.15
908	Balaghat	03-02-2024	376	4,497.40

93

909	Balaghat	04-02-2024	367	5,615.56
910	Balaghat	05-02-2024	456	6,244.17
911	Balaghat	06-02-2024	448	6,040.11
912	Balaghat	07-02-2024	503	6,041.58
913	Balaghat	08-02-2024	621	6,580.72
914	Balaghat	09-02-2024	596	7,335.58
915	Balaghat	10-02-2024	584	6,859.81
916	Balaghat	11-02-2024	420	5,588.82
917	Balaghat	12-02-2024	425	5,661.34
918	Balaghat	13-02-2024	538	7,394.64
919	Balaghat	14-02-2024	490	6,662.58
920	Balaghat	15-02-2024	488	5,539.77
921	Balaghat	16-02-2024	411	5,011.28
922	Balaghat	17-02-2024	450	5,534.04
923	Balaghat	18-02-2024	328	5,191.33
924	Balaghat	19-02-2024	367	5,054.56
925	Balaghat	20-02-2024	457	5,617.77
926	Balaghat	21-02-2024	469	5,998.83
927	Balaghat	22-02-2024	465	4,833.62
928	Balaghat	23-02-2024	495	5,533.44
929	Balaghat	24-02-2024	472	4,913.89
930	Balaghat	25-02-2024	346	5,107.55
931	Balaghat	26-02-2024	405	4,448.18
932	Balaghat	27-02-2024	297	1,467.00
933	Balaghat	28-02-2024	387	3,197.60
934	Balaghat	29-02-2024	349	2,867.29

94

935	Balaghat	01-03-2024	363	3,613.58
936	Balaghat	02-03-2024	223	3,032.97
937	Balaghat	03-03-2024	247	3,356.71
938	Balaghat	04-03-2024	316	3,234.24
939	Balaghat	05-03-2024	347	4,459.16
940	Balaghat	06-03-2024	310	4,222.78
941	Balaghat	07-03-2024	460	5,526.93
942	Balaghat	08-03-2024	223	2,987.98
943	Balaghat	09-03-2024	335	3,727.95
944	Balaghat	10-03-2024	307	4,201.71
945	Balaghat	11-03-2024	427	4,434.02
946	Balaghat	12-03-2024	423	4,550.18
947	Balaghat	13-03-2024	418	4,383.04
948	Balaghat	14-03-2024	425	4,188.80
949	Balaghat	15-03-2024	412	3,871.46
950	Balaghat	16-03-2024	655	13,905.52
951	Balaghat	17-03-2024	797	24,046.85
952	Balaghat	18-03-2024	1046	34,669.80
953	Balaghat	19-03-2024	1063	34,672.90
954	Balaghat	20-03-2024	575	12,660.70
955	Balaghat	21-03-2024	453	4,496.98
956	Balaghat	22-03-2024	966	24,161.23
957	Balaghat	23-03-2024	1216	34,658.95
958	Balaghat	24-03-2024	810	26,991.96
959	Balaghat	25-03-2024	3	67
960	Balaghat	26-03-2024	779	30,786.66

95

961	Balaghat	27-03-2024	1170	44,593.93
962	Balaghat	28-03-2024	887	28,379.12
963	Balaghat	29-03-2024	549	11,143.77
964	Balaghat	07-05-2024	177	1,838.24
965	Balaghat	08-05-2024	164	1,538.44
966	Balaghat	09-05-2024	130	1,594.51
967	Balaghat	10-05-2024	156	1,541.86
968	Balaghat	11-05-2024	184	1,813.76
969	Balaghat	12-05-2024	138	1,712.83
970	Balaghat	13-05-2024	204	1,909.56
971	Balaghat	14-05-2024	220	2,149.62
972	Balaghat	15-05-2024	269	2,761.67
973	Balaghat	16-05-2024	241	2,658.48
974	Balaghat	17-05-2024	266	2,867.60
975	Balaghat	18-05-2024	328	3,506.53
976	Balaghat	19-05-2024	239	2,807.54
977	Balaghat	20-05-2024	311	3,418.74
978	Balaghat	21-05-2024	277	2,908.93
979	Balaghat	22-05-2024	303	3,114.89
980	Balaghat	23-05-2024	291	2,838.89
981	Balaghat	24-05-2024	324	3,475.93
982	Balaghat	25-05-2024	385	4,524.17
983	Balaghat	26-05-2024	299	3,871.59
984	Balaghat	27-05-2024	324	3,797.52
985	Balaghat	28-05-2024	301	3,229.92
986	Balaghat	29-05-2024	303	3,001.52

96

987	Balaghat	30-05-2024	449	8,546.52
988	Balaghat	31-05-2024	1008	29,628.99
989	Balaghat	01-06-2024	886	25,033.89
990	Balaghat	03-06-2024	315	4,463.06
991	Balaghat	04-06-2024	292	3,461.53
992	Balaghat	05-06-2024	600	14,130.85
993	Balaghat	06-06-2024	595	14,811.06
994	Balaghat	07-06-2024	230	2,822.40
995	Balaghat	08-06-2024	863	24,183.59
996	Balaghat	09-06-2024	384	5,396.98
997	Balaghat	10-06-2024	351	4,488.71
998	Balaghat	11-06-2024	379	4,946.95
999	Balaghat	12-06-2024	347	4,895.32
1000	Balaghat	13-06-2024	334	4,869.00
1001	Balaghat	14-06-2024	449	6,598.05
1002	Balaghat	15-06-2024	421	6,041.80
1003	Balaghat	16-06-2024	369	5,113.92
1004	Balaghat	17-06-2024	546	14,123.90
1005	Balaghat	18-06-2024	207	2,436.09
1006	Balaghat	19-06-2024	266	3,399.24
1007	Balaghat	20-06-2024	392	8,400.32
1008	Balaghat	21-06-2024	379	8,824.18
1009	Balaghat	22-06-2024	462	13,488.36
1010	Balaghat	23-06-2024	587	18,163.29
1011	Balaghat	24-06-2024	589	18,850.48
1012	Balaghat	25-06-2024	371	8,591.97

97

1013	Balaghat	26-06-2024	689	22,075.98
1014	Balaghat	27-06-2024	913	31,733.52
1015	Balaghat	28-06-2024	738	25,840.74
1016	Balaghat	29-06-2024	847	30,075.45
1017	Balaghat	30-06-2024	266	6,842.40
1018	Balaghat	03-10-2024	2	23
1019	Balaghat	07-10-2024	8	24
1020	Balaghat	18-10-2024	2	16
1021	Balaghat	19-10-2024	15	239.98
1022	Balaghat	20-10-2024	24	182
1023	Balaghat	21-10-2024	59	704.6
1024	Balaghat	22-10-2024	63	649.76
1025	Balaghat	23-10-2024	64	690.5
1026	Balaghat	24-10-2024	68	659.01
1027	Balaghat	25-10-2024	52	488.01
1028	Balaghat	26-10-2024	56	536
1029	Balaghat	27-10-2024	29	210
1030	Balaghat	28-10-2024	44	258
1031	Balaghat	29-10-2024	37	315.49
1032	Balaghat	30-10-2024	11	38
1033	Balaghat	02-11-2024	1	6
1034	Balaghat	03-11-2024	11	119
1035	Balaghat	04-11-2024	35	323
1036	Balaghat	05-11-2024	47	554
1037	Balaghat	06-11-2024	56	551
1038	Balaghat	07-11-2024	103	1,059.61

98

1039	Balaghat	08-11-2024	91	724.04
1040	Balaghat	09-11-2024	79	763.61
1041	Balaghat	10-11-2024	69	692.24
1042	Balaghat	11-11-2024	50	395.63
1043	Balaghat	12-11-2024	46	435
1044	Balaghat	13-11-2024	36	328
1045	Balaghat	14-11-2024	44	505.92
1046	Balaghat	15-11-2024	42	446
1047	Balaghat	16-11-2024	29	258
1048	Balaghat	17-11-2024	45	612.63
1049	Balaghat	18-11-2024	39	365
1050	Balaghat	19-11-2024	36	342
1051	Balaghat	20-11-2024	34	276
1052	Balaghat	21-11-2024	33	262
1053	Balaghat	22-11-2024	60	612.59
1054	Balaghat	23-11-2024	53	636
1055	Balaghat	24-11-2024	40	491
1056	Balaghat	25-11-2024	61	504.56
1057	Balaghat	26-11-2024	41	284
1058	Balaghat	27-11-2024	68	689.52
1059	Balaghat	28-11-2024	40	425.07
1060	Balaghat	29-11-2024	35	472.07
1061	Balaghat	30-11-2024	48	446.14
1062	Balaghat	01-12-2024	76	1,228.62
1063	Balaghat	02-12-2024	138	1,785.79
1064	Balaghat	03-12-2024	145	1,985.70

(99)

1065	Balaghat	04-12-2024	145	1,747.49
1066	Balaghat	05-12-2024	209	2,761.96
1067	Balaghat	06-12-2024	159	2,035.25
1068	Balaghat	07-12-2024	171	2,176.88
1069	Balaghat	08-12-2024	166	2,327.73
1070	Balaghat	09-12-2024	123	1,707.02
1071	Balaghat	10-12-2024	115	1,451.23
1072	Balaghat	11-12-2024	78	893.21
1073	Balaghat	12-12-2024	66	795.47
1074	Balaghat	13-12-2024	90	1,034.09
1075	Balaghat	14-12-2024	202	2,885.16
1076	Balaghat	15-12-2024	221	3,272.65
1077	Balaghat	16-12-2024	320	3,696.13
1078	Balaghat	17-12-2024	404	4,703.19
1079	Balaghat	18-12-2024	477	5,532.59
1080	Balaghat	19-12-2024	448	5,103.59
1081	Balaghat	20-12-2024	364	3,587.55
1082	Balaghat	21-12-2024	400	4,285.11
1083	Balaghat	22-12-2024	307	4,404.52
1084	Balaghat	23-12-2024	375	4,175.82
1085	Balaghat	24-12-2024	282	3,061.63
1086	Balaghat	25-12-2024	332	3,710.26
1087	Balaghat	26-12-2024	335	3,571.92
1088	Balaghat	27-12-2024	309	3,011.07
1089	Balaghat	28-12-2024	325	3,268.39
1090	Balaghat	29-12-2024	189	2,629.31

1091	Balaghat	30-12-2024	227	2,001.36
1092	Balaghat	31-12-2024	175	1,562.54
1093	Balaghat	01-01-2025	107	1,061.37
1094	Balaghat	04-01-2025	10	169
1095	Balaghat	05-01-2025	109	1,049.02
1096	Balaghat	06-01-2025	190	975.44
1097	Balaghat	07-01-2025	221	1,160.49
1098	Balaghat	08-01-2025	261	1,229.11
1099	Balaghat	09-01-2025	216	918.33
1100	Balaghat	10-01-2025	227	1,328.18
1101	Balaghat	11-01-2025	238	1,275.24
1102	Balaghat	12-01-2025	158	1,111.03
1103	Balaghat	13-01-2025	179	895.22
1104	Balaghat	14-01-2025	156	5,335.00
1105	Balaghat	15-01-2025	676	21,933.00
1106	Balaghat	16-01-2025	436	10,435.14
1107	Balaghat	17-01-2025	434	10,934.11
1108	Balaghat	18-01-2025	745	22,230.29
1109	Balaghat	19-01-2025	684	23,734.11
1110	Balaghat	20-01-2025	772	23,921.93
1111	Balaghat	21-01-2025	1041	34,464.00
1112	Balaghat	22-01-2025	905	29,661.07
1113	Balaghat	23-01-2025	846	25,245.63
1114	Balaghat	24-01-2025	879	22,683.22
1115	Balaghat	25-01-2025	357	5,804.08
1116	Balaghat	26-01-2025	95	1,741.49

(100)

(101)

1117	Balaghat	27-01-2025	217	2,308.56
1118	Balaghat	28-01-2025	1094	36,152.98
1119	Balaghat	29-01-2025	1355	44,754.36
1120	Balaghat	30-01-2025	1270	41,677.25
1121	Balaghat	31-01-2025	955	28,259.25
1122	Balaghat	01-02-2025	835	22,710.08
1123	Balaghat	03-02-2025	24	342.88
1124	Balaghat	04-02-2025	942	28,028.73
1125	Balaghat	05-02-2025	1079	33,023.93
1126	Balaghat	06-02-2025	650	16,879.35
1127	Balaghat	07-02-2025	299	2,479.55
1128	Balaghat	08-02-2025	511	10,235.88
1129	Balaghat	09-02-2025	219	2,870.45
1130	Balaghat	10-02-2025	834	24,559.91
1131	Balaghat	11-02-2025	316	2,357.52
1132	Balaghat	12-02-2025	233	2,609.42
		Total	514861	7285587.21

(102)

Date wise e-TP Report				
SNo	Transportation date	Transportation date	Number of ETP	Sand Quantity (Cu. M.)
1	Balaghat	06-04-2021	13	147
2	Balaghat	07-04-2021	7	66
3	Balaghat	08-04-2021	14	150
4	Balaghat	09-04-2021	5	42
5	Balaghat	10-04-2021	5	51
6	Balaghat	11-04-2021	3	18
7	Balaghat	12-04-2021	5	33
8	Balaghat	13-04-2021	2	6
9	Balaghat	14-04-2021	4	21
10	Balaghat	15-04-2021	3	18
11	Balaghat	17-04-2021	1	3
12	Balaghat	18-04-2021	4	48
13	Balaghat	19-04-2021	6	67
14	Balaghat	20-04-2021	13	154.04
15	Balaghat	21-04-2021	5	33
16	Balaghat	22-04-2021	3	9
17	Balaghat	23-04-2021	4	21
18	Balaghat	24-04-2021	2	15
19	Balaghat	26-04-2021	1	3
20	Balaghat	27-04-2021	2	6
21	Balaghat	28-04-2021	3	27
22	Balaghat	29-04-2021	2	24
23	Balaghat	30-04-2021	1	12
24	Balaghat	01-05-2021	1	3

(103)

25	Balaghat	02-05-2021	3	9
26	Balaghat	03-05-2021	2	15
27	Balaghat	04-05-2021	1	12
28	Balaghat	05-05-2021	1	12
29	Balaghat	06-05-2021	2	15
30	Balaghat	08-05-2021	2	6
31	Balaghat	10-05-2021	3	9
32	Balaghat	11-05-2021	1	3
33	Balaghat	13-05-2021	2	6
34	Balaghat	14-05-2021	2	6
35	Balaghat	15-05-2021	4	12
36	Balaghat	16-05-2021	3	9
37	Balaghat	18-05-2021	1	3
38	Balaghat	21-05-2021	1	12
39	Balaghat	06-06-2021	1	3
40	Balaghat	08-06-2021	1	3
41	Balaghat	14-06-2021	1	3
42	Balaghat	20-06-2021	1	3
43	Balaghat	22-06-2021	1	3
44	Balaghat	25-06-2021	2	24.78
45	Balaghat	27-06-2021	1	8
46	Balaghat	28-06-2021	2	15
47	Balaghat	30-06-2021	3	38.78
48	Balaghat	27-10-2021	1	40
49	Balaghat	20-01-2022	11	136

(109)

50	Balaghat	22-01-2022	18	224.91
51	Balaghat	23-01-2022	64	819.64
52	Balaghat	24-01-2022	83	1,094.14
53	Balaghat	25-01-2022	97	1,259.36
54	Balaghat	26-01-2022	38	497.52
55	Balaghat	27-01-2022	31	401.64
56	Balaghat	28-01-2022	95	1,207.07
57	Balaghat	29-01-2022	106	1,367.83
58	Balaghat	30-01-2022	103	1,312.41
59	Balaghat	31-01-2022	62	786.99
60	Balaghat	01-02-2022	1	12
61	Balaghat	03-02-2022	1	3
62	Balaghat	04-02-2022	57	700.35
63	Balaghat	05-02-2022	48	608.61
64	Balaghat	06-02-2022	26	330.4
65	Balaghat	07-02-2022	62	767.29
66	Balaghat	08-02-2022	71	867.8
67	Balaghat	09-02-2022	70	865.81
68	Balaghat	10-02-2022	63	771.94
69	Balaghat	11-02-2022	56	678.82
70	Balaghat	12-02-2022	61	774.5
71	Balaghat	13-02-2022	82	1,034.94
72	Balaghat	14-02-2022	87	1,083.77
73	Balaghat	15-02-2022	87	1,085.18
74	Balaghat	16-02-2022	112	1,401.27

(05)

75	Balaghat	17-02-2022	96	1,193.85
76	Balaghat	18-02-2022	87	1,094.06
77	Balaghat	19-02-2022	96	1,200.70
78	Balaghat	20-02-2022	90	1,115.14
79	Balaghat	21-02-2022	62	769.29
80	Balaghat	22-02-2022	57	724.28
81	Balaghat	23-02-2022	58	723.26
82	Balaghat	24-02-2022	59	726.92
83	Balaghat	25-02-2022	67	842.05
84	Balaghat	26-02-2022	59	729.56
85	Balaghat	27-02-2022	63	782.7
86	Balaghat	28-02-2022	56	699.12
87	Balaghat	01-03-2022	51	647.92
88	Balaghat	02-03-2022	76	958.43
89	Balaghat	03-03-2022	77	958.92
90	Balaghat	04-03-2022	73	913.43
91	Balaghat	05-03-2022	81	1,007.90
92	Balaghat	06-03-2022	97	1,233.06
93	Balaghat	07-03-2022	96	1,212.13
94	Balaghat	08-03-2022	89	1,146.01
95	Balaghat	09-03-2022	103	1,293.20
96	Balaghat	10-03-2022	94	1,181.78
97	Balaghat	11-03-2022	74	928.68
98	Balaghat	12-03-2022	69	873.48
99	Balaghat	13-03-2022	54	677.91

106

100	Balaghat	14-03-2022	42	533.12
101	Balaghat	15-03-2022	42	527.69
102	Balaghat	16-03-2022	30	376.7
103	Balaghat	17-03-2022	11	139.63
104	Balaghat	18-03-2022	1	12
105	Balaghat	19-03-2022	3	36.78
106	Balaghat	20-03-2022	19	240.09
107	Balaghat	21-03-2022	28	358.29
108	Balaghat	22-03-2022	38	476.27
109	Balaghat	23-03-2022	27	344.21
110	Balaghat	24-03-2022	28	358.7
111	Balaghat	25-03-2022	22	280.85
112	Balaghat	26-03-2022	22	285.14
113	Balaghat	27-03-2022	24	301.85
114	Balaghat	28-03-2022	23	291.07
115	Balaghat	29-03-2022	13	166.78
116	Balaghat	30-03-2022	24	303.55
117	Balaghat	31-03-2022	19	243.07
118	Balaghat	09-06-2022	1	12
119	Balaghat	11-06-2022	8	96.78
120	Balaghat	15-06-2022	26	314.3
121	Balaghat	16-06-2022	38	499.93
122	Balaghat	17-06-2022	27	415.52
123	Balaghat	18-06-2022	34	532.78
124	Balaghat	19-06-2022	19	297.52

107

125	Balaghat	20-06-2022	18	288.78
126	Balaghat	21-06-2022	13	208
127	Balaghat	23-06-2022	3	46
128	Balaghat	24-06-2022	9	126
129	Balaghat	25-06-2022	18	240.07
130	Balaghat	26-06-2022	7	116
131	Balaghat	27-06-2022	10	156.78
132	Balaghat	28-06-2022	16	217.52
133	Balaghat	29-06-2022	3	40
134	Balaghat	30-06-2022	5	66
135	Balaghat	06-10-2022	1	12
136	Balaghat	09-10-2022	10	164
137	Balaghat	10-10-2022	23	416.03
138	Balaghat	11-10-2022	29	489.95
139	Balaghat	16-10-2022	1	12
140	Balaghat	18-10-2022	9	128.14
141	Balaghat	19-10-2022	7	136
142	Balaghat	20-10-2022	18	245.06
143	Balaghat	21-10-2022	28	431.53
144	Balaghat	22-10-2022	111	1,655.87
145	Balaghat	23-10-2022	97	1,649.41
146	Balaghat	24-10-2022	40	700.91
147	Balaghat	25-10-2022	24	510
148	Balaghat	26-10-2022	33	551.84
149	Balaghat	27-10-2022	83	1,400.27

(108)

150	Balaghat	28-10-2022	69	1,047.16
151	Balaghat	29-10-2022	36	509.24
152	Balaghat	30-10-2022	33	454.12
153	Balaghat	31-10-2022	27	488
154	Balaghat	01-11-2022	16	224.49
155	Balaghat	07-11-2022	37	662.41
156	Balaghat	08-11-2022	189	3,059.05
157	Balaghat	09-11-2022	151	2,392.07
158	Balaghat	10-11-2022	114	1,814.91
159	Balaghat	11-11-2022	101	1,817.43
160	Balaghat	12-11-2022	149	2,645.66
161	Balaghat	13-11-2022	96	1,622.52
162	Balaghat	14-11-2022	116	1,991.27
163	Balaghat	15-11-2022	114	1,828.83
164	Balaghat	16-11-2022	83	1,465.19
165	Balaghat	17-11-2022	79	1,390.44
166	Balaghat	18-11-2022	106	1,876.77
167	Balaghat	19-11-2022	138	2,322.09
168	Balaghat	20-11-2022	118	2,091.80
169	Balaghat	21-11-2022	128	2,199.52
170	Balaghat	22-11-2022	128	2,224.64
171	Balaghat	23-11-2022	152	2,570.66
172	Balaghat	24-11-2022	133	2,241.61
173	Balaghat	25-11-2022	134	2,327.21
174	Balaghat	26-11-2022	138	2,504.16

(109)

175	Balaghat	27-11-2022	139	2,505.52
176	Balaghat	28-11-2022	115	1,974.04
177	Balaghat	29-11-2022	141	2,514.23
178	Balaghat	30-11-2022	125	2,117.75
179	Balaghat	01-12-2022	98	1,626.17
180	Balaghat	04-12-2022	50	983.92
181	Balaghat	05-12-2022	103	1,914.96
182	Balaghat	06-12-2022	128	2,316.42
183	Balaghat	07-12-2022	114	2,029.71
184	Balaghat	08-12-2022	133	2,530.27
185	Balaghat	09-12-2022	122	2,284.97
186	Balaghat	10-12-2022	115	2,176.57
187	Balaghat	11-12-2022	98	1,904.59
188	Balaghat	12-12-2022	40	810.23
189	Balaghat	13-12-2022	47	911.7
190	Balaghat	14-12-2022	48	865.81
191	Balaghat	15-12-2022	54	1,006.73
192	Balaghat	16-12-2022	46	931.53
193	Balaghat	17-12-2022	4	88.27
194	Balaghat	18-12-2022	3	62
195	Balaghat	19-12-2022	3	55.46
196	Balaghat	27-12-2022	2	44.36
197	Balaghat	05-01-2023	11	228.38
198	Balaghat	06-01-2023	2	38
199	Balaghat	08-01-2023	7	119.07

(110)

200	Balaghat	09-01-2023	24	474.5
201	Balaghat	10-01-2023	31	613.47
202	Balaghat	11-01-2023	13	276.3
203	Balaghat	15-01-2023	2	26
204	Balaghat	20-01-2023	2	6
205	Balaghat	22-01-2023	1	3
206	Balaghat	23-01-2023	1	24
207	Balaghat	24-01-2023	11	251.59
208	Balaghat	25-01-2023	7	142.7
209	Balaghat	28-01-2023	16	357.14
210	Balaghat	29-01-2023	37	600.94
211	Balaghat	30-01-2023	50	766.93
212	Balaghat	31-01-2023	81	1,311.52
213	Balaghat	01-02-2023	76	1,087.18
214	Balaghat	02-02-2023	30	495.59
215	Balaghat	03-02-2023	2	28.43
216	Balaghat	04-02-2023	1	22
217	Balaghat	14-02-2023	2	24
218	Balaghat	15-02-2023	2	25
219	Balaghat	18-02-2023	2	44.23
220	Balaghat	22-02-2023	17	237.7
221	Balaghat	08-05-2023	6	91
222	Balaghat	09-05-2023	58	1,084.45
223	Balaghat	10-05-2023	171	3,030.23
224	Balaghat	11-05-2023	123	2,105.47

(111)

225	Balaghat	12-05-2023	135	2,343.16
226	Balaghat	13-05-2023	140	2,481.72
227	Balaghat	14-05-2023	117	1,925.05
228	Balaghat	15-05-2023	110	1,910.67
229	Balaghat	16-05-2023	145	2,354.55
230	Balaghat	17-05-2023	148	2,523.03
231	Balaghat	18-05-2023	142	2,352.84
232	Balaghat	19-05-2023	122	2,018.73
233	Balaghat	20-05-2023	134	2,252.00
234	Balaghat	21-05-2023	127	2,275.50
235	Balaghat	22-05-2023	138	2,518.74
236	Balaghat	23-05-2023	143	2,668.55
237	Balaghat	24-05-2023	139	2,522.30
238	Balaghat	25-05-2023	138	2,543.09
239	Balaghat	26-05-2023	139	2,547.16
240	Balaghat	27-05-2023	140	2,564.68
241	Balaghat	28-05-2023	117	2,268.57
242	Balaghat	29-05-2023	116	2,272.19
243	Balaghat	30-05-2023	111	2,141.28
244	Balaghat	31-05-2023	105	1,984.83
245	Balaghat	01-06-2023	102	1,848.20
246	Balaghat	02-06-2023	86	1,703.40
247	Balaghat	03-06-2023	83	1,556.57
248	Balaghat	04-06-2023	66	1,292.59
249	Balaghat	05-06-2023	84	1,578.64

112

250	Balaghat	06-06-2023	98	1,949.66
251	Balaghat	07-06-2023	103	1,901.99
252	Balaghat	08-06-2023	115	2,082.87
253	Balaghat	09-06-2023	143	2,399.90
254	Balaghat	10-06-2023	132	2,254.20
255	Balaghat	11-06-2023	94	1,754.03
256	Balaghat	12-06-2023	49	1,018.96
257	Balaghat	13-06-2023	39	813.95
258	Balaghat	14-06-2023	48	971.69
259	Balaghat	15-06-2023	82	1,641.72
260	Balaghat	16-06-2023	112	2,131.73
261	Balaghat	17-06-2023	128	2,359.67
262	Balaghat	18-06-2023	82	1,810.53
263	Balaghat	19-06-2023	103	2,225.54
264	Balaghat	20-06-2023	116	2,521.59
265	Balaghat	21-06-2023	111	2,593.02
266	Balaghat	22-06-2023	113	2,520.22
267	Balaghat	23-06-2023	49	1,098.00
268	Balaghat	03-11-2023	77	1,709.53
269	Balaghat	04-11-2023	100	2,180.36
270	Balaghat	05-11-2023	99	2,127.10
271	Balaghat	06-11-2023	109	2,301.57
272	Balaghat	07-11-2023	121	2,510.93
273	Balaghat	08-11-2023	106	2,217.78
274	Balaghat	09-11-2023	79	1,693.22

113

275	Balaghat	10-11-2023	88	1,894.49
276	Balaghat	11-11-2023	52	1,093.20
277	Balaghat	12-11-2023	11	241.94
278	Balaghat	13-11-2023	6	135.18
279	Balaghat	14-11-2023	37	804.37
280	Balaghat	15-11-2023	49	1,035.99
281	Balaghat	16-11-2023	91	1,965.82
282	Balaghat	17-11-2023	33	704.13
283	Balaghat	18-11-2023	52	1,051.20
284	Balaghat	19-11-2023	59	1,247.57
285	Balaghat	20-11-2023	38	734.45
286	Balaghat	21-11-2023	21	430.83
287	Balaghat	22-11-2023	28	598.79
288	Balaghat	23-11-2023	32	664.81
289	Balaghat	24-11-2023	38	829
290	Balaghat	25-11-2023	28	603.67
291	Balaghat	26-11-2023	22	455.46
292	Balaghat	27-11-2023	30	627.93
293	Balaghat	28-11-2023	11	218.68
294	Balaghat	29-11-2023	7	155
295	Balaghat	30-11-2023	5	96.72
296	Balaghat	01-12-2023	6	119.9
297	Balaghat	02-12-2023	10	213.89
298	Balaghat	03-12-2023	2	38.32
299	Balaghat	04-12-2023	8	158.89

(114)

300	Balaghat	05-12-2023	17	362.31
301	Balaghat	06-12-2023	12	240.01
302	Balaghat	07-12-2023	23	481.31
303	Balaghat	08-12-2023	12	246.59
304	Balaghat	09-12-2023	9	186.3
305	Balaghat	10-12-2023	13	286.89
306	Balaghat	14-12-2023	1	26
307	Balaghat	15-12-2023	3	68
308	Balaghat	18-12-2023	1	26
309	Balaghat	24-12-2023	1	3
310	Balaghat	25-12-2023	1	3
311	Balaghat	04-01-2024	7	124
312	Balaghat	05-01-2024	7	142.3
313	Balaghat	06-01-2024	3	54.28
314	Balaghat	02-02-2024	25	483.01
315	Balaghat	03-02-2024	52	959.45
316	Balaghat	04-02-2024	90	1,765.48
317	Balaghat	05-02-2024	130	2,256.42
318	Balaghat	06-02-2024	132	2,224.59
319	Balaghat	07-02-2024	119	2,077.67
320	Balaghat	08-02-2024	181	3,071.05
321	Balaghat	09-02-2024	223	4,156.53
322	Balaghat	10-02-2024	212	3,714.49
323	Balaghat	11-02-2024	133	2,410.18
324	Balaghat	12-02-2024	89	1,655.05

115

325	Balaghat	13-02-2024	2	30
326	Balaghat	14-02-2024	12	251
327	Balaghat	15-02-2024	1	24
328	Balaghat	18-02-2024	5	141
329	Balaghat	19-02-2024	4	124
330	Balaghat	21-02-2024	1	22
331	Balaghat	07-03-2024	1	16
332	Balaghat	16-03-2024	1	27
		Total	17633	298385.57

(116)

Date wise e-TP Report				
SNo	Transportation date	Transportation date	Number of ETP	Sand Quantity (Cu. M.)
1	Balaghat	04-02-2024	1	26
2	Balaghat	28-03-2024	2	45
		Total	3	71

(117)

Date wise e-TP Report				
SNo	Transportation date	Transportation date	Number of ETP	Sand Quantity (Cu. M.)
1	Balaghat	09-05-2024	8	171.59
2	Balaghat	10-05-2024	1	12
3	Balaghat	13-05-2024	1	12.77
4	Balaghat	16-05-2024	4	66.59
5	Balaghat	21-05-2024	1	14
6	Balaghat	29-05-2024	2	32
7	Balaghat	30-05-2024	2	48
8	Balaghat	31-05-2024	12	222
9	Balaghat	14-06-2024	1	22
10	Balaghat	18-06-2024	1	20.38
11	Balaghat	19-06-2024	1	16
12	Balaghat	20-06-2024	8	140.14
13	Balaghat	22-10-2024	4	88.65
14	Balaghat	09-11-2024	2	44
15	Balaghat	10-11-2024	4	87
16	Balaghat	11-11-2024	4	88
17	Balaghat	14-11-2024	2	44
18	Balaghat	15-11-2024	2	46
19	Balaghat	16-11-2024	1	20
20	Balaghat	17-11-2024	11	246.63
21	Balaghat	22-11-2024	8	172.59

(118)

22	Balaghat	23-11-2024	2	45
23	Balaghat	24-11-2024	2	38
24	Balaghat	27-11-2024	7	118.3
25	Balaghat	28-11-2024	9	162.07
26	Balaghat	29-11-2024	7	125.07
27	Balaghat	30-11-2024	7	166.14
28	Balaghat	01-12-2024	48	859.62
29	Balaghat	02-12-2024	53	920.79
30	Balaghat	03-12-2024	63	1,125.63
31	Balaghat	04-12-2024	59	997.51
32	Balaghat	05-12-2024	94	1,562.84
33	Balaghat	06-12-2024	84	1,346.76
34	Balaghat	07-12-2024	94	1,491.72
35	Balaghat	08-12-2024	96	1,498.70
36	Balaghat	09-12-2024	76	1,222.53
37	Balaghat	10-12-2024	31	516.17
38	Balaghat	11-12-2024	17	267.21
39	Balaghat	15-12-2024	4	81.22
40	Balaghat	18-12-2024	2	42.08
41	Balaghat	20-12-2024	1	15
42	Balaghat	21-12-2024	6	142.04
43	Balaghat	22-12-2024	24	556.64
44	Balaghat	23-12-2024	14	302.4

(119)

45	Balaghat	24-12-2024	12	228.92
46	Balaghat	25-12-2024	28	588.96
47	Balaghat	26-12-2024	54	1,007.53
48	Balaghat	27-12-2024	21	370
49	Balaghat	28-12-2024	45	928.92
50	Balaghat	29-12-2024	45	912.97
51	Balaghat	30-12-2024	1	24
52	Balaghat	31-12-2024	17	378.16
53	Balaghat	01-01-2025	17	385
54	Balaghat	04-01-2025	1	22
55	Balaghat	05-01-2025	3	75.02
56	Balaghat	06-01-2025	4	63
57	Balaghat	07-01-2025	1	22
58	Balaghat	10-01-2025	1	22
59	Balaghat	11-01-2025	3	71.6
60	Balaghat	12-01-2025	3	66
61	Balaghat	13-01-2025	6	98.73
62	Balaghat	14-01-2025	2	28
63	Balaghat	15-01-2025	1	12
64	Balaghat	22-01-2025	1	40
65	Balaghat	29-01-2025	28	448
66	Balaghat	30-01-2025	22	352
67	Balaghat	31-01-2025	27	456

(120)

68	Balaghat	01-02-2025	23	374
69	Balaghat	04-02-2025	2	46
70	Balaghat	07-02-2025	6	100
71	Balaghat	08-02-2025	38	616
72	Balaghat	09-02-2025	34	563.27
73	Balaghat	10-02-2025	29	478
		Total	1355	23995.86

(121)

Date wise e-TP Report				
SNo	Transportation date	Transportation date	Number of ETP	Sand Quantity (Cu. M.)
1	Balaghat	09-05-2024	2	54
2	Balaghat	10-05-2024	4	74.46
3	Balaghat	13-05-2024	2	42
4	Balaghat	16-05-2024	6	119.78
5	Balaghat	17-05-2024	4	83
6	Balaghat	20-05-2024	6	89.56
7	Balaghat	22-05-2024	1	27
8	Balaghat	23-05-2024	1	24
9	Balaghat	25-05-2024	1	18
10	Balaghat	29-05-2024	10	214.22
11	Balaghat	30-05-2024	17	357.52
12	Balaghat	31-05-2024	35	766.58
13	Balaghat	01-06-2024	28	595.68
14	Balaghat	03-06-2024	45	931.1
15	Balaghat	04-06-2024	9	189.14
16	Balaghat	05-06-2024	24	491.78
17	Balaghat	06-06-2024	31	648.56
18	Balaghat	07-06-2024	24	518.97
19	Balaghat	08-06-2024	36	771.29
20	Balaghat	09-06-2024	49	1,062.81
21	Balaghat	10-06-2024	32	706.1

(122)

22	Balaghat	11-06-2024	45	990.19
23	Balaghat	12-06-2024	30	652.03
24	Balaghat	13-06-2024	17	377.52
25	Balaghat	14-06-2024	21	457.94
26	Balaghat	15-06-2024	20	438
27	Balaghat	16-06-2024	29	620.93
28	Balaghat	17-06-2024	19	432.88
29	Balaghat	18-06-2024	15	344
30	Balaghat	19-06-2024	3	67
31	Balaghat	29-11-2024	1	12
32	Balaghat	22-12-2024	1	20.59
33	Balaghat	29-01-2025	1	16
34	Balaghat	31-01-2025	130	5,032.00
35	Balaghat	01-02-2025	15	240
36	Balaghat	03-02-2025	4	88.64
37	Balaghat	04-02-2025	3	66
38	Balaghat	05-02-2025	3	61.01
39	Balaghat	07-02-2025	5	80
40	Balaghat	08-02-2025	8	132
41	Balaghat	10-02-2025	3	50
		Total	740	17964.28

ENVIRONMENTAL
CLEARANCE

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment
Authority (SEIAA), MADHYA PRADESH)

To,

The -1
PURAN LAKSHKAR

The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas
Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District
Bhopal (M.P.) 462011 -462011

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity
under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC)
in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number
SIA/MP/MIN/431422/2023 dated 21 Jul 2023. The particulars of the environmental
clearance granted to the project are as below.

1. EC Identification No.	EC23B001MP177803
2. File No.	10284/2023
3. Project Type	New
4. Category	B
5. Project/Activity including Schedule No.	1(a) Mining of minerals
6. Name of Project	CHICHOLI SAND QUARRY
7. Name of Company/Organization	PURAN LAKSHKAR
8. Location of Project	MADHYA PRADESH
9. TOR Date	N/A

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page
no 2 onwards.

Date: 19/10/2023

(e-signed)
Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
SEIAA - (MADHYA PRADESH)

*Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification
number & E-Sign generated from PARIVESH. Please quote identification
number in all future correspondence.*

This is a computer generated cover page.

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive,
and Virtuous Environmental Single-Window Hub)



संदर्भ: प्रस्ताव क्र.SIA/MP/MIN/431422/2023 - प्रकरण क्र. 10284/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लक्षकार निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा चिचोली रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 12247.20 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.458 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 387, ग्राम चिचोली तहसील खैरलांड़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय-समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. SIA/MP/MIN/431422/2023 एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 25.07.2023) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेजों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।


I। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्र. 638 दिनांक 03.06.2023 के अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता/ईको सेंसेटिव जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र 250 मीटर की परिधि के बाहर स्थित है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 21°36'55.93" से 21°37'03.22" और देशांतर 80°02'37.58" से 80°02'35.38" भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

II। परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 812वीं बैठक दिनांक 12.10.2023 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में प्रकरण पर की गई अनुशंसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्तें अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लक्षकार निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक-1ए, दूसरी मंजिल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा चिचोली रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 12247.20 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.458 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 387, ग्राम चिचोली तहसील खैरलांड़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों और तदुपरांत मानक शर्तों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अ) विशिष्ट शर्तें:

1. पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति मय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन सक्रियता आरंभ की जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।



4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीपोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन कराकर SEIAA एवं SEAC के अनुमोदन उपरांत ही किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव एवं भराव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं जिला खनिज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जावे।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जलभराव क्षेत्र को गैर-खनन क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखा जायेगा।
12. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन. जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रस्तावित खदान से नदी के दोनों किनारे (न्यूनतम 25 मीटर एक तरफ) की दूरी तक हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व प्रस्तावित हरित संरक्षण हेतु फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
16. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
19. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
21. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
22. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
23. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
26. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
29. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
32. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
33. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

SEAC द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तें :-

34. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
35. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
36. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
37. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
38. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
39. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
40. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
41. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.



42. नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
43. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
44. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
45. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा ।
46. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।
47. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river.....bank" shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
48. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिये बजटीय प्रावधान केपिटल राशि रु. 08.95 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.64 लाख प्रतिवर्ष प्रस्तावित है ।
49. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे ।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम चिचोली के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 04 सोलर स्ट्रीट लाइट (5000रुपये प्रति पोल) के लिये 20,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति चिचोली के खाते में भू - प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	20,000

50. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1750 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एवं स्थानीय घास एवं स्थानीय घास	450
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	150
		6 पंक्ति - गूगल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	80
2	ग्राम- चिचोली के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1070
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पौधों का रख-रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन			

समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन अवधि तक कराया जायेगा ।

- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पौधे STAGGRED (आड़े-तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा ।

51. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
52. जिला प्रशासन द्वारा वार्षिक रूप से मानसून से पहले और सितंबर के अंतिम सप्ताह में खनन पट्टा क्षेत्र में रेत के जमाव (10 एवं > 10.00 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 100 मीटर के अंतराल पर तथा <10 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 50 मीटर के अंतराल पर) का रिकॉर्ड दर्ज करे एवं आर.एल (रेड्यूस लेवल) मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड रखरखाव करे। तदनुसार जिला प्रशासन द्वारा पट्टा धारक को केवल रेत की पुनःपूर्ति की गई मात्रा की खुदाई करने हेतु आगामी वर्ष में अनुमति दी जाये ।
53. उत्खनन क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन स्थल पर अक्षांस एवं देशान्श अनुसार पिलर लगाकर किया जाये एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक सूचना व सावधानी संकेत सूचना पटल पर अंकित किये जाये ।
54. धूल के कणों का दमन करने के लिए सोलर पंपों/पानी के टैंकों के साथ ओवरहेड स्प्रिंकलर की व्यवस्था पट्टा क्षेत्र से बाहर निकले तथा निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जाये। पीपी द्वारा लॉग बुक राखी जाये जिसमें दैनिक पानी के छिड़काव और वाहनों की आवाजाही का विवरण दर्ज किया जाये ।
55. केवल पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए जिनके पास आवश्यक पंजीकरण और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनुमति और उसी के लिए बीमा कवरेज है वाले जीपीएस सहित पंजीकृत वाहन / ट्रैक्टर ट्रॉलियां का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा
56. सामग्री का परिवहन में fugitive उत्सर्जन से बचने के लिए केवल आवश्यक नमी वाले ढके हुए एवं पीयूसी प्रमाणित वाहनों का उपयोग किया जाये। खनिजों का परिवहन वन क्षेत्र से बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा
57. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का (डब्ल्यूबीएम/ब्लैक टॉप) बनाया जाएगा ।
58. प्रमुख पुलों और राजमार्गों के दोनों तरफ से 1 किलोमीटर (1 किमी) की दूरी तक रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी। और अपस्ट्रीम से इस तरह के पुल/सार्वजनिक संरचना (जल ग्रहण क्षेत्र सहित) से पांच गुना दूरी तक एवं डाउन-स्ट्रीम से ऐसे पुल से दस गुना दूरी तक, कम से कम 250 मीटर अपस्ट्रीम साइड से और 500 मीटर डाउनस्ट्रीम साइड से रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी।
59. खनन की गहराई 3 मीटर या जल स्तर, जो भी कम हो, तक सीमित होनी चाहिए और नदी के किनारे से दूरी एक चौथाई या नदी की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए और जो 7.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नदी के अंदर खनन की अनुमति नहीं है। स्थापित जल वाहक नाला धनालियों को स्थानांतरित, सीधा या संशोधित नहीं किया जायेगा।

60. खनन कार्य शुरू होने से पहले खनन क्षेत्र को पिलर से सीमांकन और भू-संदर्भित किया जाये ।
61. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष के माध्यम से पर्यावरणीय ऑडिट कराई जाये और उस ऑडिट की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन पर रखी जाये ।
62. मानसून के मौसम में कोई खनन नहीं किया जाएगा ।
63. खनन कार्य पूरी तरह से अनुमोदित खनन योजना एवं सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के अनुसार किया जाएगा तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा की खनन योजना में निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए खनन पट्टा क्षेत्र में रेत की वार्षिक पुनःपूर्ति खनन पट्टा क्षेत्र में रेत खनन कार्यों हेतु पर्याप्त है ।
64. अगर नदी की धारा सूखी है तो उत्खनन धारा के तल की सबसे निचले कम की अबाधित गहराई से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जो स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है ।
65. खनन पूरा होने के बाद, गड्ढे के किनारे को 2.5:1 के अनुपात पर प्रवाह की दिशा में ढलान पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए ।
66. एम.पी.पी.सी.बी से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाएगी और एम.पी.पी.सी.बी. की सिफारिश के अनुसार वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को स्थापित करना होगा ।
67. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए समुचित कार्य किये जायेंगे । इसके लिए आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत/सक्षम प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा ।
68. श्रमिकों के छह मासिक व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किए जाएंगे और सभी श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे । सभी खान श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशमन उपकरण और शौचालय (पुरुष और महिला के लिए अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी । खदान के स्थल कार्यालय, विश्राम गृहों आदि को सोलर लाइट से रोशन और हवादार किया जाएगा । इन सभी सुविधाओं जैसे विश्राम गृह, साइट कार्यालय आदि को लीज अवधि की समाप्ति के बाद साइट से हटा दिया जाएगा ।
69. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीनतम कार्यालीन ज्ञापन पत्र संख्या एफ.सं. 22-34/2018-आईए। III, दिनांक 16/01/2020 के अनुसार, पर्यावरण प्रबंधन योजना और कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व में अलग से बजट का प्रावधान चराई भूमि के विकास और रखरखाव के लिए बबनय जाये और ये जानकारी वार्षिक पर्यावरण विवरण में दी जाये ।
70. यदि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपायों के लिए आवंटित पर्यावरण प्रबंधन योजना बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, तो पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए बजटीय प्रावधानों के कम उपयोग के कारण को वार्षिक रिटर्न (विवरणी) में सम्मिलित किया जाये ।
71. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एसईएसी और एसईआईएए में प्रस्तुत दस्तावेदजो में विसंगति (यदि कोई) पाए जाने पर परियोजना प्रस्तावक स्वयं जिम्मेदार होगा ।
72. खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढे एवं भूमि के पुनरुद्धार की राशि का कार्य खनन विभाग के माध्यम से किया जाये । खनन विभाग द्वारा गतिविधि के लिए अनुमानित उचित राशि को खान में खनिज की समाप्ति होने के उपरांत समस्त गतिविधि का जिम्मा कलेक्टर के पास जमा करना होगा ।
73. खनन कार्य हेतु पानी की आवश्यकता के लिए ग्राम पंचायत तथा किसी भी पेड़ की कटाई से पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये ।
74. ऐसे पट्टे जो वन क्षेत्र के 250मी. की परिधि के अंदर आ रहे हैं एवं परियोजना प्रस्तावक ने संभाग स्तरीय आयुक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तो समिति द्वारा निर्धारित सभी शर्तों पालन सुनिश्चित किया जाये ।
75. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा ।

76. अस्थायी अनुज्ञा (TP) के प्रकरण में, पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता केवल टीपी की वैधता तक रहेगी एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान समापन योजना का पालन सुनिश्चित करना होगा।
77. खनन पट्टाधारक खनन कार्य को बंद करने के बाद, चरागाह के विकास एवं रख-रखाव हेतु एम.ओ.ई. एफ.एंड.सी.सी के पत्र एफ. सं. 22&34/2018-आई.ए. III दिनांक 16/01/2020 अनुसार ई.एम.पी और सी. ई.आर अंतर्गत एक अलग बजट सुरक्षित करें।
78. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या Z&11013/57/2014&IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा हैं या बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए हैं" में दिए गए मेटिगीटिव उपायों का पालन करेगा।
79. पत्राचार के पते में कोई भी परिवर्तन, के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सूचित करेगा।
80. खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबध में एक डिस्प्ले बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा :
- खदान के मालिक का नाम ,संपर्क विवरण आदि।
 - परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में) मय अक्षांश देशांश।
 - खदान की लम्बाई, चौड़ाई एवं स्वीकृत गहराई।
 - माईनेवल पोटेंशियल ऑफ रेत खदान।
 - पर्यावरण स्वीकृति एवं एमपीपीसीबी की कन्सेन्ट अनुसार परियोजना की स्वीकृत उत्पादन क्षमता।
 - खनन विधि (मैनुअल/सेमी मैकेनाईज्ड)।
81. NGT (CZ) के आदेश क. 66/20 दिनांक 19/10/2020 एवं एस.ई.आई.ए.ए का निर्देश पत्र संख्या 5084 दिनांक 09/12/2020 के अनुसार रेत खनन के मामले में पीपी द्वारा निम्नलिखित शर्तों को लागू किया जाना चाहिए :
- i. लीजधारक को परियोजना स्थल पर न्यूनतम संख्या में (02) पोक्लेन्स का उपयोग कर सकता है 02 से जादा पोक्लेन्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
 - ii. जिला प्रशासन द्वारा पहले वर्ष के अंत में पर्यावरणीय प्रभाव के लिए साइट का आकलन करने के उपरांत ही निरंतर खनन कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाये।
 - iii. कार्य की अंतिम गहराई वर्तमान प्राकृतिक नदी तल से 01 मीटर और उपलब्ध रेत की मोटाई प्रस्तावित खदान स्थल से 03 मीटर होगी।
 - iv. रेत उत्खनन किसी भी परिस्थिति में भूजल स्तर को प्रभावित नहीं किया जाए। यदि भूजल स्तर 01 मीटर पर अनुमत गहराई के भीतर होता है, तो उत्खनन कार्य तुरंत रोक दिया जाये।
 - v. रेत का खनन के दौरान किसी भी तरह से नदी के पानी की गंदलापन (टरबिडिटी), वेग और प्रवाह को प्रभावित न किया जाए।
 - vi. खनन गतिविधि की निगरानी तालुक स्तर के बल द्वारा महीने में एक बार भौतिक सत्यापन करके की जाएगी
 - vii. खनन बंद होने के बाद, लाइसेंसधारी खदान में लगाए गए सभी शेड और रेत खदान के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को तुरंत हटा दे, जहाँ तक संभव हो, बिना किसी कृत्रिम बाधा के नदी को अपना सामान्य मार्ग फिर से शुरू करने के लिए सड़कों/मार्गों को समतल किया जाये।
 - viii. खनन से किए गए गड्डों को जहाँ आवश्यक हो वहाँ वापस भर दिया जाना चाहिए और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए क्षेत्र उपयुक्त लैंडस्केप होना चाहिए

- ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खदान की सीमा और गहराई के संबंध में मानकों का पालन करे एवं खदान की सीमा का उचित रूप से सीमांकन किया जाए।
82. नदी के किनारों पर स्थिरीकरण के लिए खस स्लिप्स और नगर मोथा जैसी प्रजातियों को लगाया जाये एवं किसी भी उपयुक्त सरकार के माध्यम से गांव में खनिज निकासी सड़क और आम क्षेत्र पर मिट्टी के कटाव की जांच के लिए संबंधित डी.एफ.ओ./ग्राम पंचायत/कृषि विभाग या किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य अनुमति के उपरांत ईएमपी में किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार पर्याप्त विशेषज्ञता वाली एजेंसी (जैसे वन विकास निगम/वन समिति, वन रेंज अधिकारी की निगरानी और मार्गदर्शन में उक्त कार्य करवाया जाये।
83. पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ.बी. डंप. (Over burden) न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्यों के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हताहत/मृत पौधों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों, जीवों इत्यादि को कोई हानि न हो इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण डी.एफ.ओ के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट डी.एफ.ओ को हस्तांतरित किया जाये।
84. संबंधित ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रित प्रजातिया जैसे वार्षिक, बारहमासी घास/चारा, वृक्ष की प्रजातियाँ रोपित की जाये जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाए।
85. पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले, आस-पास के ग्रामीणों को चारा/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक वानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर वितरित किए जाएं। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की "अंकुर योजना" के अंतर्गत "वायुदूत ऐप" पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को पंजीकृत कर की जाये। पी.पी द्वारा जिन स्थानों पर औषधि वाटिका (मडिकल गार्डन) प्रस्तावित है उन स्थानों (स्कूल/आंगनवाड़ी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किया जाये कि उनका सरवाइवल 80 प्रतिशत तक हो।
86. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण के लिये पानी की उचित व्यवस्था की जाये।
87. बी-1 श्रेणी की परियोजनाओं में प्रस्तावित सी.ई.आर गतिविधियाँ जन सुनवाई के निष्कर्ष पर आधारित होने चाहिए। एवं बी-2 श्रेणी की परियोजनाओं में स्थानीय आवश्यकता मूल्यांकन और ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सी.ई.आर गतिविधि प्रस्तावित किया जाए।
88. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-
रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट - 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि।
- नोट - प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ), पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति
---	---


	खस घास बीजअर्गव आदि)	में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	0: 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 0.5 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

(ब) मानक शर्तें

1. परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल विवरण के साथ वैध डाक का पता।
2. नदी तल पर किसी भी भारी वाहन का जाना प्रतिबंधित रहेगा।
3. खनन क्षेत्र से रेत का परिवहन लदान स्थल तक केवल ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से ही किया जायेगा।
4. नदी कर्व पर किनारों को उचित बांधों द्वारा स्थिर किया जाये एवं उचित वृक्षारोपण किया जाये इसकी निगरानी कलेक्टर, के द्वारा किया जाये ताकि रेत खनन से उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभावित न हो सके।
5. खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये, खनन योजना का उल्लंघन किये जाने पर एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृत रद्द कर दी जाएगी।
6. यह सुनिश्चित किया जाए कि गौण खनिज के उत्खनन से नदी तल बेसिन, जहां खनन कार्य किया जाता है, की अंतर्निहित मिट्टी की विशेषताओं में किसी प्रकार का बदलाव तो नहीं हो रहा।
7. यह सुनिश्चित किया जाये कि खनन कार्य से नदी के पानी का गंदलापन (टरबिडिटी), वेग और प्रवाह पैटर्न को किसी भी तरह बाधित न किया जाये।
8. यह सुनिश्चित किया जाये कि नदी के तल पर अथवा खनन क्षेत्रों के निकट कोई जीव-जंतु घोंसले के लिए निर्भर तो नहीं है।
9. विचाराधीन सभी प्रस्तावों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर सटीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सीमांकन किया जाये।
10. सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
11. आसपास की बस्तियों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये। तथा गाँव की जिन सड़कों से गौण खनिजों का परिवहन किया जाना है, का नियमित रूप से रख रखाव/अनुरक्षण किया जाये।
12. मृदा अपरदन की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायें।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाये।
14. वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी. के अनुसार किया जाये एवं वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जानी चाहिए एवं पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न किया जाये।
15. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त बाड़ों से ढक दिया जाये ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण /बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।

17. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराए जाये और उनके सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
18. कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायों के प्रमुखों, (जैसा लागू हो) को भी प्रस्तुत की जाये।
20. मंत्रालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।
21. तथ्यात्मक डेटा को छुपाने अथवा झूठे / गढ़े हुए डेटा प्रस्तुत करने एवं ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर पर्यावरण मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाही कि जा सकती है।
22. पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील, करना हो, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के अंदर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की जा सकती है।


(मुजीबुर्रहमान खान) 19/10/23
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला बालाघाट (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल -
8. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला बालाघाट (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।


(राजेश मिश्रा)
कार्यपालन यंत्री

Validity unknown

Digitally signed by Mujebur
Rehman Khan
Member Secretary
Date: 10/19/2023 6:46:57 PM
Page 12 of 12



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

RED-MEDIUM

CCA-Fresh

CONSENT NO: ***

PCB ID: 158163

Outward No:-119101,26/10/2023

Consent No:AW-59117

To,
The Occupier,
M/s. M.P State Mining Corporation Ltd. (Chicholi Sand Nine-4.990 Ha. River Chandan)
Kh. No.463, Village-Chicholi, Tehsil-Khairlanji,
Distt.-Balaghat , (M.P.)Latitude : 21.5312 Longitude : 79.8756

Subject: Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref: Consent to Operate Application R No. 1312805 Dt. 13/10/2023 and last communication received on Dt.14.10.2023

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 03/10/2028, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

- Location: Kh. No.463, Village-Chicholi, Tehsil-Khairlanji, Distt.-Balaghat , (M.P.) on river Chandan
- Mining Lease area: 4.990 ha,
- Product & Production Capacity:

Activity / Product	Qty / year
Mining of Sand	59,880 Cubic Meter Per Year,

- MP State mining Corporation shall ensure uploading of the Mining lease agreement on xgn portal using the pcb id; this consent shall become operationalised thereafter only. Fresh consent shall be obtained, if there is any change of ownership / mining rights/process.
- MP State Mining Corporation shall ensure that the mine is operated with valid mining lease & as per the provisions made in the mining plan approved by Collector (mining) Distt.: Balaghat for 5 years till 2028 and PP to ensure compliance of the conditions laid by SEIAA, MP in EC granted vide EC Identification No. EC23B001MP183358 dt 04.10.2023.
- EC is approved for 59,880 Cubic meter /year capacity, so pp shall do mining up to this limit only. The maximum depth of the mine pit shall not exceed 2.0 meter & mining shall be done only in part of 2.994 hect. mineable area with average depth of mine pit not exceeding 2.0 meters; Mining to be done above water level without disturbing water flow. No in stream mining shall be done.
- As per conditions of the EC;- The PP shall plant trees in adequate width along the river banks on both sides; Provide warning signs, fencing and Munare on all sides of the mine & Construct a Bitumen/Concrete road in place of currently existing Kachha Road for sand transportation purpose before commencement of mining activity, which are not done. Recent NOC of concerned Gram Sabha with the Thahrao Prastao is also required. M P State mining Corporation shall ensure compliance of these conditions within 3 months time but before commencement of mining operation. Display Board in Compliance of Directions by Honble NGT shall also be provided.
- Mine management shall ensure the compliance of order passed by Hon'ble NGT in OA 10/2020 (CZ) on dated 01/06/2020, in OA 09/2018 on dated 12/06/2020, in NGT OA 17/2019 (CZ) on dated 26/11/2019, in OA 360/2015 on 26.02.2021 and in OA 38/2022 on dated 17.10.2022 etc pertaining to sustainable sand Mining.
- Quarry contractor shall install permanent type demarcation pillars to represent quarry lease boundary & sign Board with quarry details and mining should be done as per mine plan, EC and in accordance with the sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for sand mining, 2020.
- MP State Mining Corporation shall submit Replenishment Study Report every year after rainy season to the Board. Production capacity in following years shall be limited as per recommendation of Annual Replenishment Study Report subjected to maximum production as per EC Capacity.
- PP shall ensure intermittent water sprinkling on transportation route which shall not pass through any residential / forest area to ensure control of Dust and Noise pollution & do regular compaction of loose material of haulage road to reduce the fugitive emissions.

The Validity of the consent is up to 03/10/2028 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

- * Conditions under Water Act
- * Conditions under Air Act
- * General conditions

CC to :-

- District Mining Officer, (Mining Section), Collector office, Balaghat Dist Balaghat M.P.) for information.
- Director, Geology & Mining Khanij Bhawan 29-A, Arera Hills, , Bhopal (M.P.) for necessary action please.
- Regional officer, Regional office, MPPCB Jabalpur (M.P.)

By the order of Chairman, MPPCB

Digitally Signed with Aadhaar

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)

TPAV # MTE2RN57UL

Signature valid

Digitally Signed by : Chandra
Mohan Thakur, AS
Date: 26/10/2023 01:09:35 PM

CHANDRA MOHAN THAKUR
Member Secretary



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of trade effluent at out fall of the unit shall not exceed 0.000 KL/day, and the daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 1.000 kl/day.

2. Trade Effluent Treatment:-

The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0	TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.	Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.
BOD 3 Days 270C	Not exceed	30 mg/l.			
COD	Not exceed	250 mg/l.			
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.			

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD 3 Days 27°C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.
Total Coliform	Not exceed	1000 (MPN/100ML)

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC :	WWG :	Water Source	Remark
1	Domestic Purpose	6.000	1.000	Borewell	Toilet with septic tank soak pit to be provided
2	Plantation / Dust suppression	2.000	0.000	Borewell	

4. The effluent shall be treated up to prescribed Standards and reuse in the process, for cooling and for green belt development/gardening within premises. Hence zero discharge condition shall be practiced. In no case treated effluent shall be discharged outside of industry/unit premises.

5. Any change in production capacity, process, raw material used etc. and for any enhancement of the above prior permission of the Board shall be obtained. All authorized discharges shall be consistent with terms and conditions of this consent. Facility expansions, production increases or process modifications which result new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a fresh consent application for prior permission of the Board

6. All treatment/control facilities/systems installed or used by the applicant shall be regularly maintained in good working order and operate effectively/efficiently to achieve compliance of the terms and conditions of this consent

7. The Consent does not authorize or approve the Construction of any physical structures or facilities or the undertaking of any work in any water course or within its high flood level (HFL) area

8. The specific effluent limitations and pollution control systems applicable to the discharge permitted herein are set forth as above conditions.

9. Compilation of Monitoring data-

i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.

ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

Consent No:AW-59117



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

10. Recording of Monitoring Activities & Results-

- i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
- ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:
 - (i) The date, exact place and time of sampling
 - (ii) The dates on which analysis were performed
 - (iii) Who performed the analysis?
 - (iv) The analytical techniques or methods used and
 - (v) The result of all required analysis
- iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.
- iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

11. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

12. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to neither preclude the institution of any legal action nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

13. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

14. Disposal of Collected Solid waste/sludge-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludge, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

15. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

16. Prohibition of Bypass system of treatment facilities-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent is prohibited except:

- i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or
- ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

17. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

18. Mine management should provide toilets for labors.

Consent No:AW-59117



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-
2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis; The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:
 - a. Particulate Matter (less than 10 micron) - $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ($\text{PM}_{10} \mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
 - b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ($\text{PM}_{2.5} \mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
 - c. Sulphur Dioxide [SO_2] (24 hrs. Basis) - $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$
 - d. Nitrogen Oxides [NO_x] (24 hrs. Basis) - $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$
 - e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - $2000 \mu\text{g}/\text{m}^3$
3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.
4. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.
5. All other fugitive emission sources such as leakages, seepages, spillages etc shall be ensured to be plugged or sealed or made airtight to avoid the public nuisance.
6. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.
7. Industry shall take effective steps for extensive tree plantation preferably in 03 rows of the local tree species with minimum spacing of 2X2 meters within or around the industry/unit premises for general improvement of environmental conditions and as stated in below.
- 8) Mine management shall provide pucca road for material transportation
- 9) Mine management shall not use village road for transportation.
- 10) Mine management shall provide fugitive emission control arrangements.
- 11) The vehicle used for the transportation of sand shall be PU certified and shall be properly maintained to reduce the noise.



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

GENERAL CONDITIONS:

1. The non hazardous solid waste arising in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

Non Hazardous Solid wastes:-

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny bags etc		Sale to authorized party/As Per CPCB, MoEF Guide lines / Others.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:

- a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
- b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
- c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
- d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
- e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

3. This consent / authorisation is transferable in nature, in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.

4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation

8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :

- (a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
- (b) Obtaining this Consent by misrepresentation or failure to disclose fully all relevant facts.
- (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

10. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional condition:-

1. Tree plantation shall be carried out in open area available.

2) EC is approved for 59,880 Cubic meter /year capacity, so pp shall do mining up to this limit only. The maximum depth of the mine pit shall not exceed 2.0 meter & mining shall be done only in part of 2.994 hect. mineable area with average depth of mine pit not exceeding 2.0 meters; Mining to be done above water level without disturbing water flow. No in stream mining shall be done.

3) As per conditions of the EC;- The PP shall plant trees in adequate width along the river banks on both sides; Provide warning signs, fencing and Munare on all sides of the mine & Construct a Bitumen/Concrete road in place of currently existing Kachha Road for sand transportation purpose before commencement of mining activity, which are not done. Recent NOC of concerned Gram Sabha with the Thahrao Prastao is also not submitted. M P State mining Corporation shall ensure compliance of these conditions within 3 months time but before commencement of mining operation. Display Board in Compliance of Directions by Hon'ble NGT shall also be provided.

Consent No:AW-59117



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

4. The mining activity shall be done as per approved mining plan and environmental clearance.
5. Transportation of sand shall not be done through residential area. Village roads shall not be used for transportation.
6. The sand shall be transported by small trolleys up to the Mineral stacking yard. Proper air pollution control arrangements shall be provided at yard to prevent fugitive emission due to loading/unloading activity. Regular Water spraying on the transportation road should be practiced.
7. Transport vehicles will be covered with tarpaulin to minimize dust/sand particle emissions. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpaulins and optimally loaded.
8. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
9. Mine management shall submit the annual replenishment plan.
10. The mine Management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.
11. The mine Management shall comply with all the relevant Acts/Rules, directions, guide lines issued by MoEF/CPCB/MPPCB from time to time as required and, if applicable.

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorisation. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

By the order of Chairman, MPPCB

CHANDRA MOHAN THAKUR
Member Secretary

Reading from UIDAI
eSign
JAN 14 11:51
Digitally Sign with Aadhaar

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # MTE2RN57UL

Consent No:AW-59117



Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Jabalpur
Scheme No. 5, Plot No. 455/456,
455/456, Vijay Nagar, Jabalpur
Jabalpur
Tele : 0761- 4042780,2647878

(14-1)

RED-SMALL

CCA-Fresh

CONSENT NO: ***

PCB ID: 158669

Outward No: 23429 21/11/2023
NO: /MPPCB/JBP

Consent No: AW-117350

To,
The Occupier,
The M.P. State Mining Corporation Limited (Chicholi Sand Mine Area 1.458 Hectare) / S
Village-Chicholi, Tehsil-Khairlanji, Distt.-Balaghat,,
Dist : Balaghat,

Subject: Grant of Consent to Operate under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

Ref: Your Consent to Operate Application Receipt No. 1323757 Dt. 08/11/2023

With reference to your above application for consent to operate has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to 30/09/2028, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

- a. **Location:** Khasra No. 387 Area 1.458 Hect Village-Chicholi, Tehsil-Khairlanji, Distt.-Balaghat,...
- b. **The Mining Lease Area :** 1.458 Hect
- c. **Product & Production Capacity:**

Product	Qty / year
Mining of Sand	12247.20 Cubic Meter

Note:- For any change in above industry shall obtain fresh consent from the board.

- 1- For any change in above mining lease area, production capacity, PP shall obtain fresh consent from the Board
- 2- Mine management shall comply with the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining issued by MoEF&CC on January 2020
- 3- Mine shall ensure compliance of all the conditions mentioned in Environmental Clearance order issued by SEIAA
- 4- Mine shall comply the provisions of all the relevant Acts/Rules/Directions/Guidelines issued by MoEF/CPCB/MPPCB time to time as required and if applicable.
- 5- Mine shall comply the Directions/ Orders issued by Hon'ble Supreme Court/ High Court/ NGT time to time in the relevant Writ Petitions.
- 6- The Mine Management shall submit Sand Replenishment plan every year for revised quantity of Sand and accordingly production shall be done.
- 7- The Mine Management shall submit the mining Lease for above sand mine. After submission of above documents further renewal will be considered

The Validity of the consent is up to 30/09/2028 and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

- * Conditions under Water Act
- * Conditions under Air Act
- * General conditions

eSign
Digitally Signed with Aadhaar

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)


TPAV # 1E2E1SOR19

Signature valid

Digitally Signed by :
A.K.JAIN, S.E.

Date: 21/11/2023 02:43:01 PM

ALOK KUMAR JAIN
Regional Officer



Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Jabalpur
Scheme No. 5, Plot No. 455/456,
455/456, Vijay Nagar, Jabalpur
Jabalpur
Tele : 0761- 4042780,2647878

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of trade effluent of the unit shall not exceed 0.000 KL/day, and the daily quantity of sewage of the unit shall not exceed 0.400 KL/day

2. Trade Effluent Treatment:-

The applicant shall operate and maintain effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0	TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.	Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.
BOD ₃ Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.			
COD	Not exceed	250 mg/l.			
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.			

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall operate and maintain sewage treatment facility to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD 3 Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.
fecal coliform	Not exceed	1000 MPN/100 ml

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 1.800	WWG : 0.400	Water Source	Remark
1	Domestic Purpose	1.000	0.800	Tankers	-

4. The effluent shall be treated up to prescribed Standards and reuse in the process, for cooling and for green belt devolvement/gardening within premises. Hence zero discharge condition shall be practiced. In no case treated effluent shall be discharged outside of industry/unit premises.

5. Water meter preferably electromagnetic/ultrasonic type with digital flow recording facilities shall be installed separately for category wise consumption of water for Industrial cooling/boiler feed, mine spray, process & domestic purposes and data shall be submitted online through XGN monthly patrak/statements. The industry/unit shall also monitor the treated wastewater flow and report the same online through monthly patrak/statements.

6. Any change in production capacity, process, raw material used etc. and for any enhancement of the above prior permission of the Board shall be obtained. All authorized discharges shall be consistent with terms and conditions of this consent. Facility expansions, production increases or process modifications which result new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a fresh consent application for prior permission of the Board

7. All treatment/control facilities/systems installed or used by the applicant shall be regularly maintained in good working order and operate effectively/efficiently to achieve compliance of the terms and conditions of this consent

8. The Consent does not authorize or approve the Construction of any physical structures or facilities or the undertaking of any work in any water course or within its high flood level (HFL) area

9. The specific effluent limitations and pollution control systems applicable to the discharge permitted herein are set forth as above conditions.

10. Compilation of Monitoring data-

i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.

ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

Consent No:AW-117350



Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Jabalpur
Scheme No. 5, Plot No. 455/456,
455/456, Vijay Nagar, Jabalpur
Jabalpur
Tele : 0761- 4042780,2647878

iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

11. Recording of Monitoring Activities & Results-

i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.

ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

- (i) The date, exact place and time of sampling
- (ii) The dates on which analysis were performed
- (iii) Who performed the analysis?
- (iv) The analytical techniques or methods used and
- (v) The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.

iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

12. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

13. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

14. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

15. Disposal of Collected Solid waste/sludge-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

16. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

17. Prohibition of By pass system of treatment facilities-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent in prohibited except :

- i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or
- ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

18. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition:-

Consent No:AW-117350



Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Jabalpur
Scheme No. 5, Plot No. 455/456,
455/456, Vijay Nagar, Jabalpur
Jabalpur
Tele : 0761- 4042780,2647878


CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall operate and maintain air pollution control system to achieve the level of pollutants to the following standards:-
2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:
 - a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
 - b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
 - c. Sulphur Dioxide [SO₂] (24 hrs. Basis) - 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
 - d. Nitrogen Oxides [NO_x] (24 hrs. Basis) - 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
 - e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.
4. Industry/Unit shall provide with each stack port hole with safe platform of 1 meter width with support & spiral ladder/ Stepped ladder with hand rail up to monitoring platform as per specifications given in part-III emission regulation of CPCB. In no case monkey ladder shall be allowed as stack monitoring facility.
5. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.
6. All other fugitive emission sources such as leakages, seepages, spillages etc shall be ensured to be plugged or sealed or made airtight to avoid the public nuisance.
7. The industry/ unit shall ensure all necessary arrangements for control of odour nuisance from the industrial activities or process within premises
8. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.
9. Industry shall take effective steps for extensive tree plantation preferably in 03 rows of the local tree species with minimum spacing of 2X2 meters within or around the industry/unit premises for general improvement of environmental conditions and as stated in below..

(Minimum number of plants to be planted by the unit:-50 Nos.)

Additional Air condition:-

Consent No:AW-117350



Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Jabalpur
Scheme No. 5, Plot No. 455/456.
455/456, Vijay Nagar, Jabalpur
Jabalpur
Tele : 0761- 4042780,2647878

GENERAL CONDITIONS:

1. The non hazardous solid waste arresting in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

Non Hazardous Solid wastes:-

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny begs etc		Sale to authorized party/As Per CPCB, MoEF Guide lines / Others.

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:

- a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
- b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
- c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
- d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
- e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

3. This consent / authorisation is transferable in nature, in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.

4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

5. Industry shall install separate electric metering arrangement for running of pollution control devices and this arrangement shall be made in such fashion that any non functioning of pollution control devices shall immediately stop electric supply to the production and shall remain tripped till such time unless the pollution control device/devices are made functional. The record of electricity consumption for running of pollution control equipment shall be maintained and submitted to the Board every month

6. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

7. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

8. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not letter than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation

9. The industry/unit shall establish a separate environmental cell, headed by senior officer of the unit for reporting the environmental compliances. The industry/ Unit shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.

10. Industry shall obtain membership of Emergency Response Center of the Board if needed.

11. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

12. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :

- (a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
- (b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
- (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

13. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Consent No:AW-117350



Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Jabalpur
Scheme No. 5, Plot No. 455/456,
455/456, Vijay Nagar, Jabalpur
Jabalpur
Tele : 0761- 4042780,2647878

Additional condition:-

- 1- If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology
- 2- The mine management shall ensure the conservation of river ecology & its Natural course. Established water conveyance channels should not be relocated straightened or modified.
- 3- Tree plantation shall be carried out in open area available along the bank of River to conserve its Natural course.
- 4- The maximum depth of the mine pit shall not exceed 3.0 meter & mining shall be done above the water level. No in stream mining shall be done.
- 5- The mining activity shall be done manually. Mining will be done with the help of spade, basket & shovel by lifting & loading the sand in small trolleys .No dumper/trucks shall be used. Heavy vehicles shall not be allowed on the banks for loading/transporting of sand.
- 6- The sand shall be transported by small trolleys up to the Mineral stacking yard of 15x37 meter with 1.0 meter high & 0.5 meter broad wall all around except at two opening towards main service road will be constructed to avoid spreading and any kind of leaching effect on ground. Proper air pollution control arrangements shall be provided at yard to prevent fugitive emission due to loading/unloading activity
- 7- Transport vehicles will be covered with tarpoline to minimize dust/sand particle emissions. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpaulins and optimally loaded.
- 8- After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 9- The amount towards reclamation of the land in MLA shall be carried out though the mining department; the appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 10- The mine Management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.
- 11- The mine Management shall comply with all the relevant Acts/Rules, directions, guide lines issued by MoEF/CPCB/MPPCB from time to time as required and, if applicable

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 , The Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorisation. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board



(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 1E2E1SOR19

ALOK KUMAR JAIN
Regional Officer

Consent No:AW-117350

3



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटंगी, जिला बालाघाट म.प्र.
कमांक / 1439 / प्र.वाचक-1 / 2024
प्रति,

कटंगी दिनांक 13/12/2024

कलेक्टर महोदय,
(जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ)
जिला-बालाघाट म.प्र.

विषय:- माननीय विधायक श्री गौरव सिंह पारधी जी, विधानसभा क्षेत्र-113 कटंगी जिला बालाघाट की शिकायत पर रेत घाट पर हो रहे बड़े स्तर पर गौण खनिज रेत का अवैध उत्खनन के संबंध में जाँच प्रतिवेदन।
संदर्भ:- कार्यालय कलेक्टर (जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ) बालाघाट का आदेश क्रमांक 5624 / जि.शि.नि.प्र. / 2024 बालाघाट दिनांक 18/11/2024

—000—

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित आदेश के संबंध में माननीय विधायक श्री गौरव सिंह पारधी जी, विधानसभा क्षेत्र-113 कटंगी जिला बालाघाट की शिकायत पर स्वीकृत रेत घाटों के सीमांकित क्षेत्र के बाहर बड़े स्तर पर गौण खनिज रेत का अवैध उत्खनन भौरगढ, चिचोली, चंद्रकुआ, शंकर पिपरिया, हरदोली, बम्हनी, कोडबी, एवं अन्य रेत घाट पर किये जाने पर जाँच समिति गठित की गई है।

उक्त आदेश के परिपालन में दिनांक 01/12/2024 को निम्नांकित स्वीकृत गौण खनिज रेत घाटों (बावनथडी नदी) एवं भौरगढ (वेनगंगा नदी) स्थित का गठित दल द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

1. ग्राम-कोडबी तहसील तिरोडी :-

1. निरीक्षण में स्वीकृत रेत खदान ग्राम कोडबी तहसील तिरोडी जिला बालाघाट स्थित ख.न. 285 मे से रकबा 4.960 हे. बावनथडी नदी के सीमांकित क्षेत्र से बाहर स्वीकृत रेत खदान से लगकर सतही दृष्यांश अनुसार ट्रेक्टर ट्राली के आने-जाने के निशानात पाये गये एवं गौण खनिज रेत की निकासी किया जाना परिलक्षित होता है, जो कि अनुमानित क्षेत्रफल लम्बाई 200 मीटर × चौड़ाई 60 मीटर × गहराई 0.40 मीटर होना पाया गया है।
निरीक्षण के दौरान मौके पर स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र में स्थानिय श्रमिकों द्वारा ट्रेक्टर में रेत भरकर उत्खनन किया जाना पाया गया। जल भराव क्षेत्र से उत्खनन नहीं किया जा रहा है। मौके पर स्वीकृत क्षेत्र में निरीक्षण करते हुए फोटो ग्राफ लिये गये।
3. मौके पर स्वीकृत रेत खदान के सीमा चिन्ह के रूप में सीमांकित क्षेत्र में सीमेंट पोल लगे हुए पाये गये। स्वीकृत रकबा क्षेत्र को दर्शाने वाले डिस्पले बोर्ड स्थापित किया हुआ पाया गया है।
4. स्वीकृत रेत खदान से वैध अभिवहन पास (सायल्टी) द्वारा रेत भरकर परिवहन किया जाना पाया गया।



[Signature]

[Signature]

[Signature]

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बालाघाट (म0प्र0)

म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 23 के तहत।

// जप्तीनामा - प्रपत्र //

दिनांक ... 04/10/24

समय ... 9:46 AM

1. जप्तकर्ता अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पद सुरेश कुमार कुलस्ते (खनि निरीक्षक)
जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. जिससे जप्त किया गया उसका नाम पता दशरथ कुमार जिला फिरोजपुर
जिला कोडेगाँव (म.प्र.) वि. कुलस्ते
भंडारा
3. जप्ती स्थान का विवरण
(क) ग्राम चिचौली उर्फ गेडागिरी उर्फ
(ख) तहसील देवर खोली
(ग) थाना देवर खोली
(घ) जिला बालाघाट (म.प्र.)
4. जप्तशुदा सामग्री का विवरण
1. खनिज का नाम एवं मात्रा रेत
2. वाहन क्रमांक MP22 HD 343
3. अन्य विवरण
5. जप्ती का कारण खनिज रेत को ई.टी.पी.
से परिवहन करते की समय सीमा समाप्त होने उपरान्त परिवहन
करते पाये जाने के कारण।
6. गवाह के हस्ताक्षर
(पूर्ण नाम एवं पता सहित)
1.
2.
3.

जिससे जप्त किया गया उसका हस्ताक्षर

नाम ... दशरथ कुमार जिला फिरोजपुर

पता ... कोडेगाँव (म.प्र.) वि. कुलस्ते भंडारा

जप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम : सुरेश कुमार कुलस्ते

पद : खनि निरीक्षक जिला बालाघाट म.प्र.

पंचनामा

स्थान - चिचोली जोगीराम
मार्ग के
दिनांक - 04/04/2024

हम पंचगण कथो हला साहसी, पंचनामा लिखवा देल है कि
 लहसली करवाणी कलगत राक करी, आरगढ़ चिचोली, जोगीराम
 की करवाणी देल की अर्थ कर 1 फीसद मजालत करी
 मिले। उक्त राका लिखारे निवासी राक आरगढ़ लह करवाणी के
 द्वारा कार्यालय के उदाहित होकर लिखिल शिवालय प्रस्तुत कि
 भा कि गाँव करी निरासत निवा बाबाधर के द्वारा राक
 आरगढ़, करी चिचोली, जोगीराम की का कलगत राक कर
 गाँव किम राका। गाँव के द्वारा चिचोली जोगीराम मार्ग
 के वाहन क्रमांक MP22HD343 को रोचक गाँव किम राका।
 गाँव के द्वारा वाहन दूक के करवाणी देल अर्थ हुका वाका राका
 करी के वाहन राका गाँव के करवाणी करी वाहन के लहसली
 के वाहन दूक के अका करवाणी के करवाणी करी करवाणी
 किम राका। म.प्र. स्टेट मार्किंग कॉर्पोरेशन की फोर्टल के
 वाहन क्रमांक के राका करी गाँव किम निवासी अर्थ 3/04/2
 लह करी ही फीसद करी की समय सीमा भा। ई. टी. पी
 के करवाणी करी की समय समाप्त होके परमात करवाणी देल
 का करवाणी करी अर्थ की सेवा के अका है।
 अर्थ करवाणी की सेवा के अर्थ के करवाणी अर्थ
 करवाणी का प्रकाश राका किम राका। अर्थ पंचनामा
 लिखवा राका लह है, पठा करी हला साह किम
 राका ही लह रहे पंचनामा वाक जलगत के करवाणी।

(Signature)

(Signature)
04/04/24
S.K. Kedar
M1 Baleshwar

दीपक पिता प्रहलाद
नि. कोडेगी (वकाश) उमर
अंश

(Signature)
वि. सिपाही

पालक के बाग

श्री दीपक पिता श्री प्रहलाद मिवाली लोडेक्षरी कांबडा
 लहसुन लुसाए जिला भुजारा (MH)।

मैं आज दिनांक 20/04/2024 को मॉरिंग ट्रेनिंग में अपने पूर्ण होश एवम् में 2143 पूर्वक वापन करता हूँ कि नाहक रकम कुमंठ 00P2040343 का पालक हूँ। वापन रकम के वरिज रेल भरा है, उम्ह वरिज को भिजोली ले भरा भा वरिज परिवार लम्हा वैधानिक इन्वारेन के रकम के ई. टी. पी. कुमंठ R8533 691580 है जिले वरिज परिवार करने की लम्हा लम्हा दिनांक 21/04/2024 समय 00:24:00 तक ही वैध था। दिनांक 04/04/2024 को मेरे पाल वरिज रेल परिवार की कलुसि गरी है। बिना कलुसि के वरिज रेल का परिवार करना अवैध की श्रेणी में आता है, जानना, समझना है। उपरोक्त वापन मेरी जानकारी के कलुसि गरी है। मैंने अपने पूर्ण होश एवम् में 2143 पूर्वक लहसुन लिखा है।


 पालक के एलाइज


 20/04/2024
 S.K. Kulkarni
 1011802024

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बालाघाट (म0प्र0)

क्रमांक / 4/37-0/2024 / खनिज / 2024 / कैम्प

बालाघाट दिनांक 4/4/24

थाना / चौकी प्रभारी,

थाना / चौकी ...~~खनिज शाखा~~...

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

उपरोक्त - डम्पर / ट्रक / ट्रेक्टर / हाईवा / जे.सी.बी. / पोकलैण्ड क्रमांक MP22-H-0343

द्वारा अवैध रूप से खनिज का परिवहन / उत्खनन / भण्डारण करने के कारण उक्त वाहन पुलिस अभिरक्षा में खड़ा रखने बावत।

खनिज ...~~रेल~~...

---X-X-X---

दिनांक 4/4/24 को आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उक्त वाहन द्वारा अवैध शासकीय पार पत्र के खनिज का अवैध परिवहन / उत्खनन / भण्डारण करते पाया गया। जिसका अवैध परिवहन / उत्खनन / भण्डारण का प्रकरण तैयार किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय / कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बालाघाट के आदेश तक मय खनिज के उक्त वाहन को आपके अधीनस्थ पुलिस थाना / चौकी में अभिरक्षा में खड़ा करने का कष्ट करें।

रक प्रति

कलेक्टर
Nis
04/04/2024


4/4/24
खनिज कमीश्नर
जिला बालाघाट (म.प्र.)
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

में वाहन चालक

वाहन की देखरेख स्वयं करूंगा।




Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh



Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	01010112042024008124		
Total E-Stamp Amount	100		
Govt. Stamp Duty (Rs.)	100	Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0	Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0		



E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	12/04/2024 13:51:46
Service Provider or Issuer Details	BHEMENDRA MARTHE/SP010116610202200165
SP/SRO/DRO/HO Details	DINDAYAL PURAM BALAGHAT BALAGHAT BALAGHAT

Deed Details

Deed Type	Copy or Extract
Deed Instrument	Copy or Extract, certified to be a true copy or extract by or order of an public officer under section 76 of the Indian Evidence Act 1872 (1 of 1872) and not chargeable under the law for the time being in force relating to court fees- One hundred rupees.
Purpose	Copy or extract

First Party Details

Name	महादेव पारधी S/O D/O W/O C/O दयाराम पारधी
Address	बाई नं०02 ग्राम पो० देवलापार तह० रामटेक जिला नागपुर महा० BALAGHAT Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	कलेक्टर कार्यालय खनिज शाखा बालाघाट
Address	कलेक्टर कार्यालय खनिज शाखा बालाघाट BALAGHAT Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1




CERTIFICATE

As Ashok Gupta, Notary Balaghat being duly sworn under the Notaries Act, 1952 and the rules made thereunder in the year 1956, here certify that the document have being received and made understood the contents of this document here after they signed and affixed their signatures on the document along with the date.


Hence I attested this document under my signature in my office at Balaghat.

12/4/24

12/4/24



Digitally signed by
BHEMENDRA MARTHE
Date: 2024.04.12 13:51:57
IST



—:— शपथ पूर्वक कथन —:—

समक्ष:- श्रीमान नोटरी पब्लिक महोदय, बालाघाट (म.प्र.)
प्रति,

श्रीमान खनिज अधिकारी महोदय,
खनिज शाखा बालाघाट

मैं शपथकर्ता महादेव दयाराम पारधी आयु 35 वर्ष पिता श्री दयाराम पारधी जाति कलार, निवासी ग्राम + पोस्ट देवलापार तहसील रामटेक जिला नागपुर (महा0) पिन नं. 441401 निम्नानुसार शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि :-

- 1- यह कि मैं उपरोक्त वर्णित स्थान की निवासी हूँ।
- 2- यह कि मेरे स्वयं के नाम पर दर्ज टाटा दस चका 2515 एल.पी. ट्रक जिसका नं. MP 22 H 0343 जिसका गाडी लोड करने के बाद गाडी का हेंगर टुट गया इस कारण से गाडी रेत खदान मोवाड़ में ही खडी थी।
- 3- यह कि गाडी का काम दिनोंक 02/04/2024 को ब्रेक डाउन हुआ था गाडी का काम पूर्ण दिनोंक 04/04/2024 को हुआ इसमें बिल साथ में लगा हुआ है। जिसमें म.प्र. की रायल्टी e-TP No 8533691580 तथा की दिनोंक 01/04/2024 समय 13.39.27 से 02/04/2024 समय 00.24.00 तक की थी तथा महा. की रायल्टी e-TP No 16748947 दिनोंक 02/04/2024 से दिनोंक 03/04/2024 तक इस रायल्टी के बीच गाडी ब्रेक डाउन हुई थी। जो यह गाडी सुपर कन्ट्रक्शन यवतमाल (महा.) के लिए रेत भरी गई थी जो गाडी खराब होने के कारण गाडी रेत खदान में ही खडी रही।
- 4- यह कि घाट मालिक को शंका हुई तो उसने बिना कोई जानकारी उठाये या ट्रक मालिक को बिना बताये ही पुलिस थाना खैरलॉजी को सूचना देकर गाडी थाने में खडी करवा दी गई एवं इसकी सूचना खनिज अधिकारी को दे दी गई।
- 5- यह कि मेरे द्वारा पूर्णतः सत्य कथन किये गये हैं, अतः मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी दस्तावेज एवं शपथ पत्र-कथन के अनुसार मेरे स्वयं के नाम पर दर्ज टाटा दस चका 2515 एल.पी. ट्रक जिसका नं. MP 22 H 0343 को छोडा जाना उचित होगा

सबब शपथ पत्र प्रस्तुत है।

बालाघाट/दिनोंक:-12/04/2024

—:—सत्यापन—:—

मैं शपथकर्ता शपथ पूर्वक कथन करती हूँ कि शपथ पत्र की कंडिका 01 से 05 तक में दी गई जानकारी सत्य व सही है जिसे मैंने पढकर समझकर अपने हस्ताक्षर कर सत्यापित किया।

बालाघाट/दिनोंक:-12 अप्रैल 2024

शपथकर्ता

शपथकर्ता

CERTIFICATION

I Yogesh Jain, Notary Balaghat being empowered by Notaries Act, 1952 and the rule made this under in the year 1956, here I certify that the document have being read over and made understood the contents of this documents their after they signed / affixed thumb impression on this document along with the witnesses.

Hence I attested this document under my seal and signature in my office at Balaghat, dated.....

Balaghat (M.P.)

Date: 12/04/2024

Notary
Yogesh Jain





Mineral Resources Department, Govt. Of Madhya Pradesh
खनिज साधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन

mining.mp.gov.in

Electronic Transit Pass(e-TP) for Sand Mine (For Contractor Rajsat/Stock)

इसकी वैधता जाचने के लिये QR Code स्कैन करें।



Travel time exceeded

Lease Details & Sand QTY to be Transported:

e-TP No. R8533691580	Date & Time of Transportation 01-04-2024 13:40:00	District Balaghat	Tehsil Khairlanji
Lessee RAJESH RAMLAL PATHAK (RAJESH PATHAK)	Sand Quantity 13.49 Cubic Meter		
Purpose Sale	Stock Address Village Dongariya Tah Khairlanji Kh No 201/1		
Buyer's Details Super Construction Yavatmal	State Maharashtra	Destination To YAVATMAL	
Route Details/Via Yavatmal	Distance (Approx) 262.32 KM	Travelling Duration (Approx) 10 hours 44 mins	
e-TP Generated On 01-04-2024 13:39:27	e-TP Valid Upto 02-04-2024 00:24:00	Driver Name Sukhchand	Driver Mobile No. 9131145412

Details of Registered Vehicle:

Vehicle No MP22H0343	Carrier Type Truck	Load Capacity (Cubic Meter): 13.49	Registered With RTO SEONI
State MADHYA PRADESH	Owner Name & Address MAHADEO PARDHE-BARAPATTHAR KHAWASA SEONI		
Registered With MRD District KATNI	MRD Registraion ID No 23964/KATN/2013	Registration Date 17-10-2013	

1. This eTP is valid, for Transportation of declared Mineral QTY on the date & time issued for
2. The Vehicle registered with MRD for Mineral Transportation & for which this eTP is generated, may only be used for the transportation of the specified Mineral QTY
3. It is mandatory to carry the eTP with the Vehicle during transportation of mineral.

Points to be Noted:

- The authenticity of an eTP may be checked/verified from the website of the department (mining.mp.gov.in) using its unique eTP NO.
- The required Mineral quantity is booked in advance by paying Royalty & Other charges. Out of this quantity specified mineral is transported against eTP
- In reference to the gazette notification, issued by the Mineral Resource Department (MRD), GoMP for Prevention of Illegal Mining, Illegal Transportation & Storage Rules 2006 dated 6th April 2012, all the Vehicles engaged/being used for mineral transportation are required to be registered with MRD for Mineral Transportation.
- The procedure of Vehicle Registration is simple & Vehicle Registration may be obtained ONLINE from the Official website (ekhanij.mp.gov.in) of the department
- It is mandatory to carry out the documents of Vehicle Registration, with the vehicle during transportation of mineral.
- Overloading a Vehicle is against the transportation rules. Use the Vehicle to transport the Mineral Quantity as per its loading capacity.
- The Amount paid for booked mineral QTY, includes Royalty, DMF, NMET and Income Tax as applicable for the Lease.

eTP NO : 16748947

Vehicle Number	MP2740143
Vehicle Driver Name	Rajesh
Driver Mobile Number	9190948022
Owner Name	Manoj Kumar
Owner Mobile Number	9191141670
Fax Name	Sundar 984371
Destination	Digai (N) CH Karnal
Distance (km)	14.000
Created date and time of eTP	21/04/2024 08:50 PM
eTP validity date and time	21/04/2024 08:50 PM
Vehicle status type	End



155



THE UNION OF INDIA
MAHARASHTRA STATE MOTOR DRIVING LICENCE

DL No : MH36 J220000213
 Valid Till : 31-12-2033 (NT)

DOI : 12-01-2022
 11-01-2027 (TR)
 12-01-2022



FORM 7
 RULE 16 (2)



AUTHORISATION TO DRIVE FOLLOWING CLASS
 OF VEHICLES THROUGHOUT INDIA
 COV DOI
 LMV-TR 12-01-2022
 MCWG 12-01-2022



DOB : 01-01-1994 BG :

Name : DEEPAK KUMAR TUMDAM
 S/DW of : PRAHLAD
 Add : LENDEZARI LAWADA
 Lawada
 Tumsar, Bhandara, MH
 PIN : 441912

Signature & ID Of
 Issuing Authority : MH36

Signature/Thumb
 Impression of holder

Maharashtra Motor Vehicles Department
 LEGEND FOR CLASS OF VEHICLES (COV)

S.No	COV	DESCRIPTION	S.No	COV	DESCRIPTION
1	MCWOG	M.C W/o Gear	13	MCWOGT	M.C W/o Gear TR
2	MCWG	M.C With Gear	14	MCWGT	M.C With Gear TR
3	LMV	LMV-NT-Car	15	LMVPVT	LMV-Private
4	3W-NT	LMV-3 WheelerNT	16	PSVBUS	TRV-PSV-Bus
5	TRACTOR	LMV-Tractor	17	PVTBUS	TRV-Private Bus
6	LMV-TR	LMV-Transport	18	LDRXCV	OTH-Loadr/xcvtr
7	3W-TR	LMV-3 WheelerTR	19	CRANE	OTH-Cranes
8	TRANS	Transport	20	FLIFT	OTH-Fork Lift
9	INVCRG	Inv Carriage	21	BRIGS	OTH-Boring Rigs
10	RDRLR	Road Roller	22	CNEQP	OTH-ConstEqmmt
11	LMV-TT	LMV-TractorTh	23	INVCG2	INV-Carriage-2
12	OTHVEH	Others	24	INVCG3	INV-Carriage-3

LMV - LIGHT MOTOR VEHICLE

TRV - TRANSPORT VEHICLE

• DRIVE CAREFULLY - AVOID ACCIDENTS •

156

CERTIFICATE OF REGISTRATION

MP22H0343 REGD. DATE 07/12/2007 CLASS TRUCK

TRFR. DATE OWNER SRL 1 MFG. DATE 2007 REF. MFG TATAMOTOR

Name: MAHADEO PARDHE MAKE LPT2515

Form 23A  NO. OF CYL 6

SHOW of SHRI DAYARAM PARDHE UNLADEN WT. 2200

Address: A-1 - BARAPATTHAR KHAWASA SEATING CAP. 145

SEON FUEL USED DIESEL

E. NO. 597TC57K5Z14825A CC. 5675

CH. NO. 444026LS2137253 BODY TYPE OPEN BODY

WHEEL BASE 0

TAX 30/06/2015

PURPOSE: DUPLICATE COLOUR: N/P

Auth. By: ANIL JOGANPITRA

AXLE	NO. & SIZE	WEIGHT
Front	2X10.00X20-16	7000
Rear	8X10.00X20-16	21000
Other	0X	0
Tandem	0X	0

Issuing Authority: SEONLTO

5311917035820160

28/11

(157)

// शपथ पत्र //

प्रति,

श्रीमान खनिज अधिकारी महोदय,
कार्यालय (खनिज शाखा) जिला बालाघाट (म0प्र0)।

शपथकर्ता :- महादेव पारधी पिता श्री दयाराम पारधी निवासी वार्ड नं0 02 ग्राम पो0 देवलापार
तहसील रामटेक जिला नागपुर महाराष्ट्र

मैं शपथकर्ता निम्नानुसार शपथपूर्वक कथन करता हूँ।

- 1 यह कि मैं उपरोक्त वर्णित स्थान का निवासी हूँ।
- 2 यह कि मेरा वाहन टाटा ट्रक है, जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर MP22H0343 है जो कि मेरे स्वामित्व का वाहन है।
- 3 यह कि उक्त वाहन क्रमांक MP22H0343 जो कि मेरे नाम से जिला परिवहन कार्यालय सिवनी म0प्र0 में पंजीकृत है।
- 4 यह कि मैं शपथकर्ता नियम अनुसार अधिरोपित राशि को जमा करने को तैयार हूँ।

अतः शपथ पत्र प्रस्तुत है।

शपथकर्ता

बालाघाट/दिनांक :- 12.04.2024

सत्यापन

मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक घोषित करता हूँ कि शपथपत्र में वर्णित समस्त कथन मेरे स्वज्ञान, विवेक व प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्य है। अतः शपथपत्र पढ़कर व समझकर अपने हस्ताक्षर कर सत्यापित किया।




सत्यापनकर्ता

बालाघाट/दिनांक :- 12.04.2024



ASHOK GUPTA
NOTARY PUBLIC

158



GST INVOICE

159

JAIN AUTO AGENCY SHOP-NO.A-13, WARDHAMAN NAGAR, TRANSPORT NAGAR, NAGPUR GSTIN/UIN: 27ABSPJ1700B1Z3 State Name : Maharashtra, Code : 27 E-Mail : jainautoagency15@gmail.com	Invoice No.	Dated
	JAA/100824250083	4-Apr-24
Buyer (Bill to) M D Pardi Building Material Supply Ward No: 02, Ramtek, Nagpur GSTIN/UIN : 27AURPP7347N3ZH State Name : Maharashtra, Code : 27	Delivery Note	
	Reference No. & Date.	Other References
	Buyer's Order No.	Dated
	Dispatch Doc No.	Delivery Note Date
	Dispatched through	Destination
	Bill of Lading/LR-RR No.	Motor Vehicle No. MP22H0343

SI No.	Description of Goods	HSN/SAC	GST Rate	Quantity	Rate	per	Amount
1	Double Pin Hanger Tata BS6 8H JMP 1601 / 1602	8708	28 %	1 PCS	3,350.00	PCS	3,350.00
2	Bell Crank Wiser 2416	7318	18 %	10.00 PC	35.00	PC	350.00
							3,700.00
							C GST
							S GST
							500.50
							500.50
							Total
							₹ 4,701.00

Amount Chargeable (in words)

₹ 4,701.00

E. & O.E

Indian Rupees Four Thousand Seven Hundred One Only

Taxable Value	Central Tax		State Tax		Total Tax Amount
	Rate	Amount	Rate	Amount	
3,350.00	14%	469.00	14%	469.00	938.00
350.00	9%	31.50	9%	31.50	63.00
Total:		500.50		500.50	1,001.00

Tax Amount (in words) : Indian Rupees One Thousand One Only

Company's Bank Details

Bank Name : Union Bank of India

A/c No. : 517201010036531

Branch & IFS Code : SHANTI NAGAR & UBIN0551724

Declaration

We declare that this invoice shows the actual price of the goods described and that all particulars are true and correct.

for JAIN AUTO AGENCY

Authorised Signatory

SUBJECT TO NAGPUR JURISDICTION

This is a Computer Generated Invoice

बासिने ट्रक रिपेअरिंग सेंटर

हमारे यहाँ अमीक लेलड, बाटा, और सभी प्रकार के ट्रक रिपेअर किये जाते है.

एच.पी.पेट्रोल पंप, जगनाथ चौक, कट्टी, भंडारा रोड

विल नं.

श्री/श्रीमती.

165 MP 92 H0343

दिनांक 4/4/23

अ. क्र.	विवरण	नग	रेट	रुपये पैसे
1	लभावा हेगड	1 नग		2400
2	हेगर कोर	6 नग		450
3	लभावा पल	2 नग		3500
4	रिफेरींग			3500
5	गॉडी भाडा			1000
				7
धन्यवाद...			टोटल	7350

(Signature)

::कारण बताओ नोटिस::

म.प्र. गौण खनिज नियम 2022 म.प्र. राजपत्र दिनांक 08.04.2022 देखिए नियम 19(2)

कमांक/431/खनिज/2024

बालाघाट दिनांक 23/04/2024

प्रति,

वाहन चालक- श्री दीपक कुमार पिता श्री प्रहलाद

निवासी लेडेजारी लबादा तुमसर जिला भंडारा (महा.)

वाहन मालिक- श्री महादेव पारधी पिता श्री दयाराम पारधी

निवासी वार्ड न. 02 देवलापार तहसील रामटेक जिला नागपुर (महा.)

विषय :- ग्राम चिचोली से डोंगरिया मार्ग में वाहन ट्रक क्र. MP22H0343 से खनिज रेत का अवैध परिवहन किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :- खनि निरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 22.04.2024।

-----000-----


उपरोक्त विषयांतर्गत कलेक्टर महोदय द्वारा जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में दिये गये निर्देशानुसार तथा शिकायतकर्ता जितेन्द्र उर्फ राजा लिल्हारे निवासी ग्राम भौरगढ तह. खैरलांजी द्वारा किये गये शिकायत के संबंध में आकस्मिक भ्रमण दौरान ग्राम चिचोली से डोंगरिया मार्ग में वाहन ट्रक क्र. MP22H0343 को खनिज रेत का परिवहन किये जाने पर जांच हेतु रोका गया। वाहन चालक द्वारा खनिज रेत परिवहन के संबंध में मौके पर कोई भी वैध दस्तावेज/ई-टी.पी. प्रस्तुत किये जाने से उक्त वाहन को जप्त कर पुलिस थाना खैरलांजी की अभिरक्षा में खडा किया गया।

अनावेदक का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 03 का उल्लंघन होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 19(1) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही हेतु विवरण निम्नानुसार है -

क्र1	वाहन का प्रकार	ट्रक
2	वाहन क्रमांक	ट्रक क्र. MP22H0343
3	गौण खनिज का नाम	रेत
4	खनिज की मात्रा	16 घ.मी.
5	खनिज की रायल्टी	2000 (125/घ.मी. की दर से)
6	रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि	30000
7	पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि	200000
8	अधिरोपित कुल शास्ति राशि	30000+200000=230000 (दो लाख तीस हजार रु.)

उक्त प्रकरण में आपके द्वारा प्रशमन शुल्क की राशि 1000/- रु. का खनिज मद में भुगतान कर मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 19(1) के तहत कुल अर्थशास्ति राशि 30000+200000=230000 (दो लाख तीस हजार रु.) खनिज मद में जमा कर प्रशमन किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त के संबंध में अपना लिखित जवाब 15 दिवस के भीतर समक्ष में/कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 19(4),(6), (7) तथा (5) के तहत दुगुनी शास्ति राशि 460000/- (चार लाख साठ हजार रु.) अधिरोपित की जावेगी।



कलेक्टर



जिला बालाघाट (म.प्र.)

बालाघाट दिनांक 23/04/2024

पृ0 कमांक/431-A / खनिज/2024

प्रतिलिपि:-

खनि निरीक्षक, जिला बालाघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर

जिला बालाघाट (म.प्र.)

प्रति,

खनिज अधिकारी,
खनिज विभाग
बालाघाट,

आवेदन के संबंध में उल्लिखित दिनांक 01/06/24 को आवश्यक रूप से न्याय के समक्ष पेश करें।
न्यायालय श्रीमान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथमश्रेणी बालाघाट

सु0आ0पत्र क0

सन 2024 (सुपरीम कोर्ट के आदेश पर)

महादेव पिता दयाराम पारधी जाति कलार, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी जिला-बालाघाट (म.प्र.)
ग्राम देवलापार तहसील रामटेक जिला नागपुर (महा0).....

.....आवेदक/सुपूरुददार

बनाम

खनिज शाखा बालाघाट अनावेदक

आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिताआवेदक/सुपूरुददार निम्नानुसार निवेदन करता है :-

1 यह कि आवेदक/सुपूरुददार के कब्जे मालकी व स्वामीत्व का वाहन टाटा दस चक्का 2515 एल0पी0 ट्रक क्रमांक एम.पी.22 एच. 0343 है जिसका चेचिस न0-444026LSZ137253 इंजन न0-697TC57KSZ148252 है जिसे खनिज शाखा बालाघाट द्वारा अपराध क्रमांक /2024 में जप्त कर अपनी अभिरक्षा में रखा है,

2 यह कि आवेदक/सुपूरुददार उक्त दस चक्का वाहन ट्रक का पंजीकृत स्वामी है आवेदक को उक्त वाहन की प्रतिदिन आवश्यकता पडती है। आवेदक का यह एक मात्र वाहन है जिसके अभाव में आवेदक के अनेको कार्य प्रभावित हो रहे है। जिसे वह स्वयं के सुपूरुदनामें पर प्राप्त करना चाहता है।

3 यह कि आवेदक/सुपूरुददार का उक्त दस चक्का वाहन ट्रक क्षयशील प्रकृति का है तथा खनिज शाखा बालाघाट में खडा रहने से उसमे तकनिकी खराबी आने की संभावना है, तथा प्रकरण के विचारण में भी समय लगेगा।

(सुपरीम कोर्ट के आदेश पर)
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला-बालाघाट

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट (म.प्र.)

Office e-mail -modgmbal@mp.gov.in

169

बालाघाट, दिनांक 31/05/2024

क्रमांक / 562 / खनि / 2024

प्रति,

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रथम श्रेणी वारासिवनी जिला बालाघाट

विषय :- ग्राम चिचोली से डोंगरिया मार्ग तहसील खैरलांजी में खनिज रेत के अवैध परिवहन में जप्त वाहन ट्रक क्रमांक MP22-H-0343 के संबंध में।

संदर्भ :- माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वारासिवनी की अंकित टीप

00000

उपरोक्त विषयांतर्गत आवेदक/भूमि स्वामी श्री महादेव पिता दयाराम पारधी जाति कलार उम्र लगभग 38 वर्ष ग्राम देवलापार तहसील रामटेक जिला नागपुर (महा.) द्वारा ग्राम चिचोली से डोंगरिया मार्ग तहसील खैरलांजी में खनिज रेत के अवैध परिवहन में जप्त वाहन ट्रक क्रमांक MP22-H-0343 को सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वारासिवनी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 01.06.2024 को प्रस्तुत किये जाने का लेख किया गया है।

अनावेदक/वाहन मालिक द्वारा वाहन सुपुर्दगी हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा वांछित जानकारी के संबंध में प्रकरण की वस्तुस्थिति निराकरण हेतु विधि अनुसार प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

1. अनावेदक/वाहन चालक श्री दीपक कुमार पिता प्रहलाद निवासी लेडेजारी लबादा तुमसर जिला भण्डारा (महा.) द्वारा ग्राम चिचोली से डोंगरिया मार्ग तहसील खैरलांजी में वाहन ट्रक क्रमांक MP22-H-0343 से खनिज रेत का अवैध परिवहन किये जाने पर दिनांक 04.04.2024 को जप्त किया जाकर थाना खैरलांजी की अभिरक्षा में खड़ा किया गया तथा म.प्र. खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 19 के प्रावधानों अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।
2. यह कि उक्त उल्लंघन के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्र./431/खनिज /2024 दिनांक 29.04.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जप्तशुदा वाहन के संबंध में वाहन मालिक श्री महादेव पारधी पिता दयाराम पारधी निवासी वार्ड नं. 02 ग्राम पोस्ट देवलापार तहसील रामटेक जिला नागपुर द्वारा श्री अशोक गुप्ता बालाघाट, नोटरी म.प्र. शासन रजि. क्र. MP/17 (ई) 172 21-ब (दो) 2015 द्वारा नोटरीज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत कर अधिरोपित राशि जमा करने को तैयार हूँ, लेख किया गया है, किन्तु अनावेदक द्वारा अधिरोपित कुल शास्ति राशि 230000/- रु. जमा नहीं किया गया है, जिस कारणवश प्रकरण का निराकरण लंबित है।
3. म.प्र. राजपत्र (असाधारण) 08.04.2022 को प्रकाशित नियम म.प्र. खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के उपनियम 21. समपद्धत वाहन, और मशीनरी आदि की सुपुर्दगी- "प्रकरण प्रचलन के दौरान अथवा प्रचलन के पूर्व यदि उल्लंघनकर्ता द्वारा समपद्धत वाहन, मशीनरी आदि को सुपुर्दगी में दिए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तब अनुसूची-एक में यथा विहित वाहन/मशीनरी की रकम प्राप्त कर, इन्हें वाहन/मशीनरी के स्वामी को सुपुर्दगी में कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न पद श्रेणी का न हो द्वारा दिया जा सकेगा। प्रावधानित है। अनावेदक द्वारा उपरोक्त के अनुक्रम में कलेक्टर महोदय के समक्ष कोई प्रशमन आवेदन मय शासन द्वारा निर्धारित प्रशमन शुल्क के जमा नहीं किया गया है।
4. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 22 अपराधो का संज्ञान- कोई न्यायालय इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्ही नियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किये गये लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं, प्रावधानित है।

अतएव प्रकरण के संबंध में वांछित जानकारी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित है।

उपरोक्तानुसार



(Signature)
स्वी. अधिकारी

जिला बालाघाट (म.प्र.)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

CN 573804

समक्ष :-

श्रीमान कलेक्टर महोदय, कार्यालय (खनिज शाखा) जिला बालाघाट (म0प्र0)।

शपथ पत्र

1. यह कि मैं महादेव पारधी पिता श्री दयाराम पारधी निवासी वार्ड नं0 02 देवलापार तहसील रामटेक जिला नागपुर महाराष्ट्र, वाहन ट्रक कमांक MP22H0343 का मालिक हूँ।
2. यह कि वाहन चालक दीपक पिता श्री प्रहलाद निवासी ग्राम लेण्डेझरी, लवादा तुमसर जिला भण्डारा महाराष्ट्र द्वारा वाहन ट्रक कमांक MP22H0343 से ग्राम चिचोली डोंगरिया मार्ग से खनिज रेत का अवैध परिवहन किये जाने पर खनिज विभाग द्वारा जप्त किया गया है। जिसके संबंध में खनिज विभाग द्वारा दिनांक 29/04/2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है एवं राशि 2,30,000/- (दो लाख तीस हजार रुपये) जुर्माना लगाया गया है।
3. यह कि मेरे द्वारा जप्तशुदा वाहन के संबंध में पूर्व में दिनांक 12/04/2024 को नोटरीज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में नियमानुसार अधिरोपित शास्ति राशि जमा करने को तैयार हूँ लेख किया गया है।
4. यह कि मेरे पिता जी का लम्बे समयवाधि से स्वास्थ्य खराब होने के कारण वसंत हास्पिटल नागपुर महाराष्ट्र में एडमिट है। जिनके उपचार में अधिक रुपये खर्च हो जाने के कारण मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी जिसके कारणवश: मेरे द्वारा नियत समयवाधि में जुर्माना राशि जमा नहीं की जा सकी।
5. यह कि प्रार्थी विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी है मेरे द्वारा वर्तमान में जुर्माना राशि 2,30,000/- (दो लाख तीस हजार रुपये) जमा कर दिये गये हैं। तथा प्रशमन शुल्क 1000/- भी जमा कर दिया गया है।



-2-

6. यह कि मेरे द्वारा सिविल न्यायालय वारासिवनी में उक्त वाहन को सुपुर्दगी हेतु आवेदन दिया गया था जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण प्रचलित नहीं है, न ही भविष्य में मेरे द्वारा प्रचलित किया जावेगा।

7. यह कि मेरे विलंब को माफ करते हुए प्रार्थी द्वारा अधिरोपित जुर्माना राशि जमा किये जाने से जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक MP22H0343 को मुक्त करने का विनय है।

अतः महोदय जी से करबद्ध निवेदन है कि जप्तशुदा वाहन को मुक्त करने की कृपा करें।

अतः शपथ पत्र प्रस्तुत है।

बालाघाट दिनांक - 13.06.2024



शपथकर्ता

सत्यापन

मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि शपथपत्र में वर्णित समस्त कथन मेरे स्वज्ञान, विवेक एवं प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्य है। अतः शपथ पत्र पढ़कर समझकर अपने हस्ताक्षर कर सत्यापित किया।

बालाघाट दिनांक - 13.06.2024


सत्यापनकर्ता




I Yogesh Jain, Notary Balaghat being empowered by Notaries Act, 1952 and the rule made thereunder in the year 1956, here I certify that the document have being read over and made understood the contents of this documents their after they signed / affixed thumb impression on this document along with the witnesses.

Hence I attested this document under my seal and signature in my office at Balaghat Dated.....

Balaghat (M.P.)

Date-.....

13/6/2024


Notary
Yogesh Jain

Dr. Suhas V. Salpekar
MS. DMB(Urol.), D.Urol. (Lon.), FAIS
Urologist & Andrologist
Reg. No. 50769

Vasant Nursing Home
86, Shivaji Nagar, Nagpur-10
Tel.: 2248363, 2248832

No. 8767

Date: 12-06-24

Received with thanks from Mr. Dayaram Pandit

the sum of Rupees one thousand seven hundred fifty
only

By Cash / Cheque No. Cash
towards Colmetu removal of Colmetu charges

Rs. 1,750/-

M. K. K.
For Vasant Nursing Home

991

DANDE HOSPITAL

NEAR RAVI NAGAR SQ., RAMNAGAR, NADAPUR
 PH. : (0712) 2543999, 2543781

Name MR. Payayamji Pawdehi Date 12/6/24

R_x

Silicone catheter - 14/140

①

Uro bag ——— ①

10ml syringe — ①

Distal water — ①

Lignopain Jelly — ①

BRIDE MEDICALS

1000 W. 10th St. S.W.
Tulsa, Okla. 74106

BRIDE MEDICALS

1000 W. 10th St. S.W.

1000 W. 10th St. S.W.
Tulsa, Okla. 74106

1000 W. 10th St. S.W.
Tulsa, Okla. 74106

1000 W. 10th St. S.W.

1000 W. 10th St. S.W.
Tulsa, Okla. 74106

1000 W. 10th St. S.W.

1000 W. 10th St. S.W.

1000 W. 10th St. S.W.
Tulsa, Okla. 74106

1000 W. 10th St. S.W.
Tulsa, Okla. 74106

1000 W. 10th St. S.W.

1000 W. 10th St. S.W.
Tulsa, Okla. 74106

DANDE MEDICALS
W.R. ST. H.H. 50.8.H.1.

HILL ROAD, NEW NAG, MUMBAI

Phone 198230714, 253590

QTY. 144 PRODUCTS

13000 101 24311

M/S. BHARATI PHARM

M. P. BARK

W/O. SILL H. SHE

1201 100 1203204

100 100 100 100

100 100 100 100

GST TIN 27BCE14627411

11.10.20 - 23813 / 21-27514

L.A.O.E. 15.01

FOR DANDE MEDICALS

Dr. Suhas V. Salpekar
MS. DMB(Urol.), D.Urol. (Lon.), FAIS
Urologist & Andrologist
Reg. No. 50789

Vasant Nursing Home
86, Shivaji Nagar, Nagpur-10
Tel. : 2248363, 2248832

No. 8767

Date: 12-06-24

Received with thanks from Mr. Dayaram Pandit

the sum of Rupees one thousand seven hundred fifty Rupees

by Cash / Cheque No. Cash

towards Colmets removal & Cosmetic charges.

Rs. 1,750/-

M. S. Salpekar

For Vasant Nursing Home

1201

171

VASANT PHARMACY

Plot No. 88, Opp. HDFC Bank,
Dussehra Nagar, Shivajinagar, Mumbai
Mumbai No. 400005, 774123466

GST No. 27AAOEV2924Q1ZB, D.L. No. 20-MH-NGP-171432, 21-MH-NAG-171433, 20C-MH-NAD-171934

Dr. Dhanraj P. Bhat, Consultant
Dr. Dhanraj P. Bhat, MBBS, DNB
Dr. Dhanraj P. Bhat, MBBS, DNB
Dr. Dhanraj P. Bhat, MBBS, DNB

Sl. No.	Description	QTY	Batch No.	Exp. Date	MRP	MRP Amt
---------	-------------	-----	-----------	-----------	-----	---------

1	DEPT. CAT. 1005550	150	1111111	03/28	117.00	17.55
2	DEPT. CAT. 1005550	150	1111111	03/28	117.00	17.55
3	DEPT. CAT. 1005550	150	1111111	03/28	117.00	17.55
4	DEPT. CAT. 1005550	150	1111111	03/28	117.00	17.55
5	DEPT. CAT. 1005550	150	1111111	03/28	117.00	17.55
6	DEPT. CAT. 1005550	150	1111111	03/28	117.00	17.55
7	DEPT. CAT. 1005550	150	1111111	03/28	117.00	17.55
8	DEPT. CAT. 1005550	150	1111111	03/28	117.00	17.55
9	DEPT. CAT. 1005550	150	1111111	03/28	117.00	17.55
10	DEPT. CAT. 1005550	150	1111111	03/28	117.00	17.55

100 Series of Quantities

GST: 27AAOEV292 101185.00 of G.P.

0.11
685.00

Printed & Exported By: Vasant Computer Graphics Pvt. Ltd. 902716021, Mumbai 400005

DANDE HOSPITALNEAR RAVI NAGAR SQ., RAMNAGAR, NAGPUR
PH. : (0712) 2543999, 2543781

12/6/24.

Name MR. Dayaram, Parathi Date _____

R

silicone catheter 14 No

urobag ——— (1)

10ml syringe ——— (1)

Distal water ——— (1)

Lignopain Jelly ——— (1)

173

LANDE MEDICALS
R.P. H.N. SHOPPING
HILL ROAD, FOR WARE, MUMBAI

M/S. SHARDA PARIKH

M. P. J. J. J.

RECD BILL NO. DATE

CASH 4000 12/08/02

PHONE : 982397254, 2536596

CITY. PAX. FRENCH

AFB INTD EP. MED

1 BAG 1002. 1111

100 550 1000 350

GST TIN 27ACDF14627017

35.00

C.A. D.E. FOR PRICE MEDICALS

21-11-2002

215813

21-11-2002

174

DONDE MEDICALS
U.S. MAIL, SIOUX FALLS, S.D.
SIOUX FALLS, S.D. 57104

MR. DANIEL PASQUA

1000 S. 10TH ST.
SIOUX FALLS, S.D. 57104

ATTN: DANIEL PASQUA

ATTN: DANIEL PASQUA

1000 S. 10TH ST.
SIOUX FALLS, S.D. 57104

1000 S. 10TH ST.
SIOUX FALLS, S.D. 57104

1000 S. 10TH ST.

1000 S. 10TH ST.



Department of Finance, Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government



TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	
Depositor/Dealer Name	MAHADEV PARDHI
Address	Gadi No - MP22H0343, GRAM-BHAURGARH, TAH KHAIRLANJI, Balaghat, Madhya Pradesh - 481001
District selected for Payment	Balaghat
Unique Registration Number (URN)	MPTURN130620240008830
Department and Office Name	Mineral Resources, MINING OFFICE BALAGHAT
Challan Payment Period	2024-2025

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT085313062024000038	2024-06-13 to 2024-07-12	0853-00-800-0278 (Other Receipts- Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	SBIN0006159085313062024910455	051/9999999/0853/06/24/007093	230000.00

Total Amount(In figures)	2,30,000.00
Total Amount(in words)	Two Lakh Thirty Thousand Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	IKOCUGMZD5
Scroll No	91039
Scroll Date	13/06/2024
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	13/06/2024 14:38:12
Transaction Status	Success

176



Department of Finance, Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government



TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	
Depositor/Dealer Name	MAHADEV PARDHI
Address	Gadi No - MP22H0343, GRAM-BHAURGARH, TAH KHAIRLANJI, Balaghat, Madhya Pradesh - 481001
District selected for Payment	Balaghat
Unique Registration Number (URN)	MPTURN130620240008830
Department and Office Name	Mineral Resources, MINING OFFICE BALAGHAT
Challan Payment Period	2024-2025

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT085313062024000038	2024-06-13 to 2024-07-12	0853-00-800-0278 (Other Receipts- Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	SBIN0006159085313062024910455	051/9999999/0853/06/24/007093	230000.00

Total Amount(In figures)	2,30,000.00
Total Amount(in words)	Two Lakh Thirty Thousand Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	IK0CUGM2D5
Scroll No	91039
Scroll Date	13/06/2024
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	13/06/2024 14:38:12
Transaction Status	Success

177



Department of Finance, Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government



TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	
Depositor/Dealer Name	MAHADEV PARDHI
Address	Gadi No- MP22H0343, Gram-Bhaurgarh, Tah-Khairlanji, Balaghat, Madhya Pradesh - 481001
District selected for Payment	Balaghat
Unique Registration Number (URN)	MPTURN130620240008988
Department and Office Name	Mineral Resources, MINING OFFICE BALAGHAT
Challan Payment Period	2024-2025

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT085313062024000039	2024-06-13 to 2024-07-12	0853-00-800-0278 (Other Receipts- Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	SBIN0006159085313062024911259	051/9999999/0853/06/24/007096	1000.00

Total Amount(In figures)	1,000.00
Total Amount(In words)	One Thousand Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	IK0CUGNBW4
Scroll No	91124
Scroll Date	13/06/2024
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	13/06/2024 14:41:18
Transaction Status	Success

Print Receipt



Department of Finance, Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government



TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	
Depositor/Dealer Name	MAHADEV PARDHI
Address	Gadi No- MP22H0343, Gram-Bhaurgarh, Tah-Khairlanji, Balaghat, Madhya Pradesh - 481001
District selected for Payment	Balaghat
Unique Registration Number (URN)	MPTURN130620240008988
Department and Office Name	Mineral Resources, MINING OFFICE BALAGHAT
Challan Payment Period	2024-2025

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT085313062024000039	2024-06-13 to 2024-07-12	0853-00-800-0278 (Other Receipts- Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	SBIN0006159085313062024911259	051/9999999/0853/06/24/007096	1000.00

Total Amount(in figures)	1,000.00
Total Amount(in words)	One Thousand Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	IK0CUGNBW4
Scroll No	91124
Scroll Date	13/06/2024
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	13/06/2024 14:41:18
Transaction Status	Success

Print Receipt



सरकार



महादेव दयाराम पारधी
Mahadev Dayaram Pardhi
जन्म तिथि / DOB : 14/08/1985

मि.स.सं. ४४५५५५५५



महान प्राधिकरण
GOVERNMENT OF INDIA

पता:
S/O दयाराम पारधी, वॉर्ड क्र.०२, मु.पोस्ट.देवलाप
तह.रामटेक, रामटेक, नागपूर,
महाराष्ट्र - 441401

Date: 8/29/2019
Address
S/O Dayaram Pardhi At.Post.Deorabar

1947
1800 300 1947

mail@uldai.gov.in

www.uldai.gov.in

P.O. Box No. 1947
Bangalore-560 001

(180)

CERTIFICATE OF REGISTRATION

MP 221003214

Form 23A

AXLE	NO. & SIZE	WEIGHT
Rear	2X10.00X20-16	7000
Other	3X10.00X20-16	21000
Tandem	0X	0

Issuing Authority

(Signature)

2014

कार्यालय कलेक्टर (खनिज विभाग) जिला बालाघाट (म.प्र.)

Office e-mail -modgmbal@mp.gov.in.

कमांक / 615/खनिज/2024
प्रति,

बालाघाट दिनांक 13/06/2024

थाना प्रभारी
पुलिस थाना खैरलांजी
जिला-बालाघाट (म.प्र.)विषय :- ग्राम चिचोली से डोंगरिया मार्ग तह. खैरलांजी जिला बालाघाट में वाहन ट्रक क्र. MP22-H-0343 से खनिज रेत का अवैध परिवहन किये जाने के संबंध में।
संदर्भ :- खनि निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 22.04.2024।

-:000:-----

उपरोक्त विषयांतर्गत मौका स्थल ग्राम चिचोली से डोंगरिया मार्ग तह. खैरलांजी जिला बालाघाट में वाहन ट्रक क्र. MP22-H-0343 से खनिज रेत का अवैध परिवहन किये जाने पर जप्त किया जाकर आपकी अभिरक्षा में खडा किया गया है। वाहन का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-


क्र.	वाहन का प्रकार	वाहन क्रमांक	वाहन चालक	वाहन मालिक
1	ट्रक	MP22-H-0343	श्री दीपक कुमार पिता श्री प्रहलाद, निवासी लेंडेझरी लबादा तुमसर जिला भंडारा (महा.)	श्री महादेव पारधी पिता श्री दयाराम पारधी निवासी वार्ड न. 02 देवलापार तहसील रामटेक जिला नागपुर (महा.)


उपरोक्त प्रकरण का म.प्र. खनिज नियम 2022 के नियम 19 के तहत निराकरण किया गया है। अतएव जप्तशुदा वाहन को मय खनिज मुक्त किया जाकर सुपुर्दगी उपरांत पावती की अभिस्वीकृति इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

पृ0क0 / 615-A /खनिज/2024
प्रतिलिपि :-

- 1- खनि निरीक्षक, बालाघाट की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- वाहन मालिक श्री महादेव पारधी पिता श्री दयाराम पारधी निवासी वार्ड न. 02 देवलापार तहसील रामटेक जिला नागपुर (महा.) की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आपके द्वारा खनि नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी।


खनि, अधिकारी,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)
बालाघाट दिनांक 13/06/2024


खनि, अधिकारी,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)



182

प्रति,

श्रीमान खनिज अधिकारी महोदय,

खनिज शाखा बालाघाट, जिला बालाघाट म0प्र0।

आवेदक :- महादेव पिता दयाराम पारधी उम्र लगभग 38 वर्ष, जाति कलार, निवासी ग्राम देवलापार तह0 रामटेक जिला नागपुर, (महाराष्ट्र)

विषय:- वाहन क्रमांक **MP22H0343** के संबंध में न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

महोदय जी,

विनम्र निवेदन है कि मैं उपरोक्त वर्णित पते का स्थाई निवासी हूँ मेरे कब्जे मालकी व स्वामित्व के वाहन टाटा दस चक्का 2515 एल.पी. जिसका रजिस्ट्रेशन न0 एम.पी.22 एच.0343 को आपके कार्यालय द्वारा जप्त कर अपनी अभिरक्षा में रखा गया है और 2,30,000/-रूपये (दो लाख तीस हजार) का जुर्माना मुझ पर अधिरोपित किया गया है मेरे द्वारा उक्त वाहन से कोई चोरी नहीं की गई है और मैं अधिरोपित राशि का जुर्माना अदा करने में सक्षम नहीं हूँ और मैं प्रकरण लडना चाहता हूँ और आपके कार्यालय के आदेशानुसार वाहन के संबंध के कम्पाउंडिंग राशि जो आपके द्वारा विधि अनुसार निर्धारित है अदा करने तैयार हूँ ऐसी स्थिति में मेरे उक्त वाहन के संबंध में अविलंब परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे, एवं कम्पाउंडिंग राशि जो तय हो को लेक्य गये काल

2. ग्राम-बम्हनी तहसील तिरोडी :-

1. निरीक्षण में ग्राम बम्हनी तहसील तिरोडी जिला बालाघाट स्थित भूमि ख.नं. 418/1/1 मे से स्वीकृत रकबा 3.402 हे. बावनथडी नदी रेत खदान के सीमांकित क्षेत्र से बाहर स्वीकृत रेत खदान से लगकर सतही दृष्यांश अनुसार ट्रेक्टर ट्राली के आने-जाने के निशानात पाये गये।
2. निरीक्षण के दौरान स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र को दर्शाने वाले सीमा चिन्ह के रूप में सीमेंट पोल लगे दर्शाने वाले डिस्पले बोर्ड स्थापित किया हुआ पाया गया है। स्वीकृत क्षेत्र मौके पर ट्रेक्टर ट्राली एवं स्थानीय मजदूरो द्वारा ट्राली में रेत भरकर कार्य किया जाना पाया गया। जल भराव क्षेत्र से उत्खनन नही किया जा रहा है। मौके पर सीमांकित क्षेत्र के निरीक्षण करते हुए फोटोग्राफ लिये गये।
4. स्वीकृत रेत खदान से वैध अभिवहन पास (रायल्टी) द्वारा रेत भरकर परिवहन किया जाना पाया गया।

3. ग्राम-हरदोली तहसील तिरोडी :-

1. निरीक्षण में ग्राम हरदोली तहसील तिरोडी जिला बालाघाट स्थित भूमि ख.न. 456 मे से स्वीकृत रकबा 3.402 हे. बावनथडी नदी रेत खदान के सीमांकित क्षेत्र के अंदर ही ट्रेक्टर ट्राली द्वारा एवं स्थानिय मजदूरो द्वारा ट्राली में रेत भरकर कार्य किया जाना पाया गया। जल भराव क्षेत्र से उत्खनन नही किया जा रहा है।
2. स्वीकृत रेत खदान के सीमांकित क्षेत्र में सीमा चिन्ह के रूप में मौके पर सीमेंट के पोल लगाये गये है। स्वीकृत रकबा क्षेत्र को दर्शाने वाले डिस्पले बोर्ड स्थापित किया हुआ पाया गया है। उक्त स्वीकृत क्षेत्र में रेत उत्खनन का कार्य किया जाना पाया गया।
3. निरीक्षण के दौरान मौके पर निरीक्षण करते हुए फोटोग्राफ लिये गये।
4. स्वीकृत रेत खदान से वैध अभिवहन पास (रायल्टी) द्वारा रेत भरकर परिवहन किया जाना पाया गया।

4. ग्राम-टुईयापार तहसील खैरलॉजी :-

1. निरीक्षण में दौरान मौके पर वर्तमान म निरीक्षण में ग्राम टुईयापार तहसील खैरलॉजी जिला बालाघाट स्थित भूमि ख.न. 583 मे से स्वीकृत रकबा 1.012 हे. बावनथडी नदी मे रेत उत्खनन /निकासी कार्य नही किया जा रहा है। उक्त ग्राम में स्वीकृत रेत खदान है।
2. मौके पर स्वीकृत रेत खदान के सीमांकित क्षेत्र में सीमा चिन्ह एवं बोर्ड लगा हुआ नही पाया गया। उक्त के संबंध में म.प्र. राज्य खनिज निगम/एम.डी.ओ. के कर्मचारियो को निर्देशित किया जाना आवश्यक है।

5. ग्राम-चिचोली तहसील खैरलॉजी :-

1. निरीक्षण में ग्राम चिचोली तहसील खैरलॉजी जिला बालाघाट स्थित भूमि ख.न. 463 मे से स्वीकृत रकबा 4.990 हे. बावनथडी नदी रेत खदान के सीमांकित क्षेत्र में ही ट्रेक्टर ट्राली द्वारा स्थानीय मजदूरो द्वारा रेत भरकर कार्य किया जाना पाया गया। जल भराव क्षेत्र से उत्खनन नही किया जा रहा है।
2. स्वीकृत रेत खदान के सीमांकित क्षेत्र में सीमा चिन्ह के रूप में मौके पर सीमा चिन्ह सीमेंट पोल लगाये गये है। साथ ही बोर्ड लगा हुआ पाया गया।

3. जाँच के दौरान स्वीकृत खदान से वैध अभिवाहन पास (रायल्डी) द्वारा भरकर परिवहन किया जाना पाया गया।

6. ग्राम-शंकर पिपरिया तहसील खैरलॉजी :-


1. निरीक्षण में ग्राम शंकर पिपरिया तहसील खैरलॉजी जिला बालाघाट स्थित भूमि ख.न. 327 में से स्वीकृत रेत खदान नहीं है। बावनथडी नदी में ग्राम के खसरा नं. 327 कुल रकबा 33.345 हे. में से लगभग क्षेत्रफल 30 लम्बाई × 15 चौड़ाई × 0.60 गहराई घन मीटर पर रेत उत्खनन किया जाना पाया गया। उक्त क्षेत्र में पूर्व में उत्खनन का प्रकरण पंजीवद्ध किया गया है। प्रकरण में नोटिस जारी किया गया है, वर्तमान में कार्यवाही प्रचलित है।


7. ग्राम-भौरगढ तहसील खैरलॉजी :-

1. निरीक्षण में स्वीकृत रेत खदान ग्राम भौरगढ तहसील खैरलॉजी जिला बालाघाट स्थित ख.न. 457/1 में से रकबा 4.950 हे. वैनगंगा नदी का दिनांक 01/12/2024 को निरीक्षण में सीमांकित क्षेत्र से बाहर स्वीकृत रेत खदान से लगकर सतही दृष्ट्यांश अनुसार ट्रेक्टर ट्राली के आने-जाने के निशानात पाये गये एवं गौण खनिज रेत निकासी किया जाना पाया गया। स्वीकृत क्षेत्र के बाहर लगभग 100 लम्बाई × 60 चौड़ाई × 0.3 मीटर क्षेत्र में खनिज निकासी किया जाना पाया गया। पटवारी अभिलेख नक्शे में स्वीकृत रेत खदान क्षेत्र का नक्शा पेंसिल द्वारा चिन्हित किया गया जो स्वीकृत रकबा से कम पाये जाने पर तहसीलदार खैरलॉजी को स्वीकृत क्षेत्र का वास्तविक नक्शा पेंसिल से चिन्हित कर सीमा चिन्ह कायम किये जाने हेतु मौखिक रूप से निर्देशित किया गया। तहसीलदार खैरलॉजी के द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी से दिनांक 10/12/2024 को रेत खदान का पेंसिलिंग नक्शा तैयार कर सीमांकन किया जाकर सीमा चिन्ह कायम किया गया। स्वीकृत रकबा क्षेत्र को दर्शाने वाले डिस्पले बोर्ड स्थापित किया हुआ पाया गया है। राजस्व निरीक्षक के बताये अनुसार गौण खनिज रेत उत्खनित क्षेत्र स्वीकृत क्षेत्र से बाहर स्वीकृत क्षेत्र से लगकर होना पाया गया। वर्तमान में उक्त क्षेत्र में पानी भराव आ गया है।

8. उपरोक्त गौण खनिज रेत खदान बावनथडी नदी एवं ग्राम भौरगढ वैनगंगा नदी में स्थित है। नदी के दूसरे तरफ लगभग आधी नदी महाराष्ट्र राज्य की सीमा में आती है।

संलग्न:- स्थल निरीक्षण पंचनामा,


अनुविभागीय अधिकारी (पु.)
कटंगी जिला बालाघाट म.प्र.


खनि अधिकारी
जिला बालाघाट


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटंगी जिला बालाघाट म.प्र.

प्रति

कलेक्टर
(खनिज शाखा)
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय-

ग्राम चिचोली तहसील खैरलांजी स्थित खसरा क्र. 463 के नोईयत शासकीय भू जल बावनथडी नदी के अंश भाग रकबा में खनिज रेत का अवैध खनन का प्रकरण प्रस्तुत करने बावत्।

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत में लेख है कि दिनांक 26.12.2024 को श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ग्राम चिचोली के ख.न. 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत रकबा के बाहर अवैध खनन की शिकायत प्राप्त होने पर राजस्व अमला/खनिज अमला द्वारा आकस्मिक भ्रमण किया गया, भ्रमण के दौरान ग्राम चिचोली तहसील खैरलांजी स्थित खसरा क्र. 463 के नोईयत शासकीय भू जल बावनथडी नदी के अंश भाग रकबा से बाहर ट्रेक्टर चेचिस क्रमांक 006510471V2 संलग्न ट्राली में रेत भरते पाया गया। मौके पर चालक एवं उपस्थित मजदूरों से रेत भरने की अनुमति/रायल्टी के संबंध में पूछताछ किया गया। वाहन चालक एवं मजदूरों द्वारा खनिज रेत भरने अनुमति/रायल्टी नहीं होना बताया गया। चालक द्वारा बताया गया कि यह तीसरा ट्रिप भर रहे हैं। बावनथडी नदी के अंश भाग रकबा से ट्रेक्टर-ट्राली में खनिज रेत भरने की अनुमति/रायल्टी/आदेश न होने के कारण अवैध खनन में संलिप्त उक्त वाहन को जप्त किया गया। बिना वैधानिक अनुमति/रायल्टी/आदेश के खनिज रेत खनन करना, म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिहवन, तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के उप-नियम 3(1) में विहित प्रावधानों का उल्लंघन, होने के कारण खनिज रेत की अवैध भण्डारण का प्रकरण पंजीबद्ध किया जा कर म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिहवन, तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 नियम 18 के तहत प्रकरण तैयार किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1	अवैध खनन क्षेत्र का विवरण	ग्राम चिचोली तहसील खैरलांजी स्थित खसरा क्र. 463 के नोईयत शासकीय भू जल बावनथडी नदी के अंश भाग रकबा
2	खननकर्ता/वाहन चालक का नाम व पता	ग्राम कुंवरलाल पिता जियतु दमाहे निवासी ग्राम किन्ही थाना व तह; खैरलांजी जिला बालाघाट (म.प्र.)
3	अवैध खनन में संलिप्त वाहन के मालिक का नाम व पता	-
4	घटना दिनांक, स्थल एवं समय	घटना दिनांक 26.12.2024 समय शाम 04:30 स्थल चिचोली बावनथडी नदी
5	अवैध खनन में संलिप्त वाहन क्र. एवं प्रकार	वाहन ट्रेक्टर चेचिस क्रमांक 006510471V2 संलग्न ट्राली
6	अवैध खनन खनिज रेत की मात्रा	09 घ.मी.
7	जांच दौरान प्रस्तुत किए गए अभिलेख	वैधानिक अनुमति /ईटीपी/आदेश आदि प्रस्तुत नहीं किया है।
8	खनिज रेत की रायल्टी दर	125/-
9	अवैध खनन किए खनिज रेत की रायल्टी	1125/-
10	रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि रूपये	16875/-
11	पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि नियम 18 के उपनियम 2 में विहित प्रावधानों के तहत	16875/-
12	कुल अधिरोपित राशि रूपये	33750/- + 1000 (प्रशमन शुल्क)
13	खनिज खनन का उद्देश्य	विक्री हेतु
14	जप्त वाहन का अभिरक्षा स्थल	थाना खैरलांजी

अतः प्रकरण में अनावेदक वाहन मालिक/चालक के विरुद्ध म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिहवन, तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के उप-नियम 18(3) के तहत तैयार प्रकरण का निराकरण किये जाने हेतु उप-नियम 18 (4) विहित प्रावधान अनुसार कुल शास्ति की रकम जमा/प्रशमन हेतु सूचना पत्र लेख किया जाना एवं प्रशमन न किये जाने उप-नियम 18 (5)(6) में विहित प्रावधान अनुसार कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

अतः प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न - जमीनामा, पंचनामा, चालक के बायत,



कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)
जिला बालाघाट (म.प्र.)
प्रति..... श्री चारकर
30 DEC 2024
स्था. लि. मि. क. खनिज

सुरेश कुमार कुलस्ते
खनि निरीक्षक
जिला बालाघाट (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बालाघाट (म०प्र०)

म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 23 के तहत।

// जप्तीनामा - प्रपत्र //

दिनांक
समय

1. जप्तकर्ता अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पद

सुरेश कुमार कुलस्ते (खनि निरीक्षक)

2. जिससे जप्त किया गया उसका नाम पता

जिला बालाघाट (म.प्र.)

कुवर लाल पित्त जिउडु हमारे

ग्राम कीन्ही तह. चैरवांजी (बालाघाट)

3. जप्ती स्थान का विवरण

(क) ग्राम

चैरवांजी

(ख) तहसील

चैरवांजी

(ग) थाना

चैरवांजी

(घ) जिला

बालाघाट (म.प्र.)

4. जप्तशुदा सामग्री का विवरण

1. खनिज का नाम एवं मात्रा

रेत

2. वाहन क्रमांक

विना सं. चेसिस क्र. 008510491V2

3. अन्य विवरण

महिन्दा (लाल कलर) नमा

अवैध रेत सिकासी में

5. जप्ती का कारण

संलग्न होने के कारण।

6. गवाह के हस्ताक्षर

(पूर्ण नाम एवं पता सहित)

1. लीला चंद डिनापुरे

2. मि. चैरवांजी

3.

जिससे जप्त किया गया उसका हस्ताक्षर

नाम कुवर लाल हमारे

पता कीन्ही तह. चैरवांजी

जप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम : सुरेश कुमार कुलस्ते

पद : खनि निरीक्षक जिला बालाघाट म.प्र.

148
187

पंचनामा
— 0 —

आज दिनांक 26/12/2024 को ग्राम विचोली 46 नं 34
 जिला बालाघाट म.प्र. जैतलदीक
 करते हैं कि बालाघाट विचोली बावनथडी नदी में खीर
 बालाघाट के बाहर से डेकर क्रमांक MP50A6150 शहीद
 नं० (खस 735 FE) चेसिन नं. DE004146A एवं डेकर LICHER
 390 शहीद बिना नं. चेसिन नं. 933913043403 से
 भरी हुई अर्बध परिवहन करते पाया गया। तथा डेकर
 डेकर 843X म शहीद बिना नं० चेसिन नं. WSTD7962812369
 डेकर Mahindra Yuvo Tech +575 DI शहीद चेसिन नं.
 00651041V2 लाल कल, डेकर डेकर 735 FE शहीद
 बिना नं. चेसिन - MBNAJ48AFLTP09421 खीर बालाघाट के
 बाहर अर्बध इतना करते पाया गया, जिन्हे कल बावको द्वारा खीर किया गया।
 वास्तु पंचनामा लिखा पकट सुनाया जादिय गणों के हलवा
 लिए।

अशोक देवसरे
उपसरपंच

Handwritten Signature
K-9

~~Handwritten Signature~~
आदि 21-1-2025
Handwritten Signature

Handwritten Signature
PEN 34
3329306690

ममलका फोटाट
Handwritten Signature
मीराव सायरे फोटाट

~~144~~
188

फर्द जप्ती

- 1) जप्ती करने वाले कर्मचारी/अधिकारी का नाम एवं पद :- श्री खेमलाल मर्हारे
राजलक्ष निरीक्षक
खैरवाली
- 2) जप्ती का दिनांक व समय :- 26-12-2024, 4:30 बजे अपराह्न
- 3) जप्ती का स्थान :- चिचोली
- 4) जप्त की गई सामग्री का विवरण :- ट्रैक्टर, हल्ली के साथ
- 5) वाहन का प्रकार व वाहन क्रमांक :- ट्रैक्टर, 00 6510471/2 (चेचिस त.)
- 6) वाहन चालक का नाम व पिता का नाम :- अजयपाल
- 7) जप्ती समय उपस्थित गवाहों के नाम व हस्ताक्षर :-

गवाह 1.

2.


जप्ती करने वाले

कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर

कथन
— — —

~~189~~

189

नाम - कुंवर लाल कमाड़े
पिता - भिड्डु कमाड़े
वय - 28 वर्ष
पता - ग्राम चिन्ही के. भोरगाठ
तह. खैरजांगी जिला अलाहाबाद

मैं आज दिनांक 01 अक्टूबर 2024 को अपने
कथन लिख रहा हूँ कि, मैं एक समय में अहम
इंफर मरिन्डा (लाल रंग) नाम जिला के चिन्ही
जमात- 00651347142 को चालू हूँ। मैं अपने
इंफर-हाली को लेकर अहम मालिक के
कहने पर काम चिन्ही की अलाहाबादी नदी के
रेल मरकर बिक्रम के ली जा रहा था। मैंने
पर अलाहाबादी के अधिकारी (राजस्व) अलाहाबादी
हव तबिज ककले को देखकर मैंने अहम को
अलाही कर दिया। इसके पूर्व भी मैंने अलाहाबादी
के 02 हिय तबिज रेल मिकाली कर बिक्रम मिक्रम
गण्य है। मैंने पर अधिकारियों के कहने पर अपने
अहम को ग्राम चिन्ही के लाल अलाहाबादी अलाहाबादी
मे अलाहाबादी गण्य था।

अहम चालू के अलाहाबादी
कुंवर लाल कमाड़े

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

190

ग्राम: चिचोली		पटवारी हल्का: चिचोली			तहसील: खैरलांजी			जिला: बालाघाट		वर्ष	
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक(ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/बर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए नियत किया गया है	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. गाँव की भूमि	प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौजूदा कृषक (जदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलगन तथा प्रभार	फसल के प्रकार	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्राप्ति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1340909008 7DGL4DDCQRJFH0	463 (S)		49.3880 हेक्टेयर भू-जल 49.3880 ₹.0.00	(शासकीय)							अ.प्र.शासन

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

प्रिंट

N
 गाँव - चिचोली
 प्लॉट - 34
 खानि - खैरलोडी
 नद - खैरलोडी
 जिला - बालासोर
 एकत नसख


989
 नसख नकशा

ख.न	खकबा	अद्य
463	49.388 हे.	रु. 500

~~152~~
 191

बोनकर्टा - भोवास गाँव

गाँव चिचोली कुपको की नीची कुचि



गाँव बालासोर जिला बंगल बहाएल

दीप :- बालासोर से अजिना क्षेत्र से
 क्षेत्र निकाली की गई है।

Signature
 34

जहां छिए गए वाहन पुलिस अभिरक्षा में दिए जाने हेतु

~~153~~

192

- ① अभिरक्षा में देने वाले अधिकारी का नाम व पद - ^{पू}बैमलाल अर्सेकोले
राजस्व निरीक्षक
खैरलोजी
- ② अभिरक्षा में देने का दिनांक व समय - 26/12/2024
- ③ अभिरक्षा में देने का स्थान - थाना खैरलोजी
- ④ अभिरक्षा में दी जाने वाली सामग्री - ड्रैक्टर झाली लकड़ा
- ⑤ वाहन क्रमांक - ① MBNAJ48AFLTPD 9421 - पेरिख नं.
② 006510471V2 - पेरिख नं.
③ 933913043403 - पेरिख नं.
④ WSTD79628123690 - पेरिख नं.
⑤ MP50A6150 - वाहन नं.
- ⑥ अभिरक्षा में देने वाले का नाम व पद का नाम - नवनीत कुमारे
प्रधान ड्राइवर
थाना खैरलोजी


R.S.


26/12/2024
अभिरक्षा में देने वाले के हस्ताक्षर

टीप:- इन्हें नवलपुदा वाहन जो पुलिस अभिरक्षा में रखे हैं त्वयिज विभाग को अग्रिम कार्यवाही हेतु दिया गया।

सूच ०५ कई जल्दी नामा एव चंचनमा प्राप्त छिमा



भारत सरकार
Government of India

154

193

संलग्नक क्रम / Enrollment No

To,

कुवरलाल दमाहे

Kunvarlal Damaha

S/O Jyoti Damaha,

ward no 5, VTC Kishi,

PO. Bhaugadh, Sub District. Waraseoni, District. Balaghat.

State: Madhya Pradesh, PIN Code: 481337.

Mobile: 9977325308

08/11/2012

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

मेरा आधार, मेरी पहचान



भारत सरकार

Government of India

कुवरलाल दमाहे

Kunvarlal Damaha

जन्म तिथि / DOB : 25/05/1996

पुरुष / Male



मेरा आधार, मेरी पहचान

199




सत्यमेव जयते

INDIAN UNION DRIVING LICENCE

MADHYA PRADESH

199



Number
Name

KUNWARLAL
DAMAHE

S/D/W of
Address

SHYAMJI DAMAHE
KINHLPOST-BHAURGARH

Orig. DL No.

Issued on
by

Issued
DOB
Is Licency in

Signature
Date of Issue
Signature
BALASANTO

Vehicle Class	MCWGR
Date of Issue	27-04-20

Valid till (Transport)

Valid till (Non-Transport)

28-04-2036

SHRI R S...

कार्यालय कलेक्टर (खनिज विभाग) जिला बालाघाट (म.प्र.)

Office e-mail -modgmbal@mp.gov.in, Ph.No. 07632-241683

::कारण बताओ नोटिस::

म.प्र. गौण खनिज नियम 2022 म.प्र. राजपत्र दिनांक 08.04.2022 देखिए नियम 18(3)

क्रमांक /1224/ खनिज /2024
प्रति,

बालाघाट दिनांक 31/12/2024

195

वाहन चालक - श्री कुंवरलाल पिता श्री जियुतु दमाहे
निवासी ग्राम किन्ही थाना व तह. खैरलांजी जिला बालाघाट (म०प्र०)
विषय :- ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी जिला बालाघाट स्थित ख.न. 463 के नोईयत शासकीय भू जल
बावनथडी नदी के अंश भाग रकबा में खनिज रेत का अवैध उत्खनन के प्रकरण के संबंध में।
संदर्भ :- खनि निरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 30.12.2024।

-----:000:-----

उपरोक्तानुसार विषयांतर्गत खनि निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 26.12.2024 को ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी जिला बालाघाट स्थित ख.न. 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत रकबा के बाहर बावनथडी नदी में अवैध खनन की प्राप्त शिकायत के संबंध में राजस्व अमला/खनिज अमलों द्वारा आकस्मिक भ्रमण/जांच दौरान ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी में अवैध खनन में संलिप्त वाहन ट्रेक्टर चेचिस क्रमांक 006510471V2 (संलग्न ड्राली) के संबंध में वाहन चालक द्वारा कोई वैधानिक अनुमति/आदेश/ई-टी.पी. प्रस्तुत नहीं किये जाने से उक्त वाहन को जप्त कर पुलिस थाना खैरलांजी की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ खडा किया गया। अनावेदक का उक्त कृत्य म.प्र. खनिज नियम 2022 क नियम 3 का उल्लंघन है।

उक्त प्रकरण में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18(2) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही हेतु विवरण निम्नानुसार है -

क्र1	अवैध खनन क्षेत्र का विवरण	ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी जिला बालाघाट स्थित ख.न. 463 रकबा 4.990 हे. क्षेत्र में स्वीकृत रकबा के बाहर, बावनथडी नदी।
2	वाहन का प्रकार	ट्रेक्टर (संलग्न ड्राली)
3	वाहन क्रमांक	वाहन ट्रेक्टर चेचिस क्रमांक 006510471V2
4	गौण खनिज का नाम	रेत
5	गौण खनिज की मात्रा	9 घ.मी.
6	खनिज की रायल्टी	1125 (125/- प्रति घ.मी. की दर से)
7	रायल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति राशि	16875
8	अधिरोपित अर्थशास्ति के समतुल्य पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि	16875
9	अधिरोपित शास्ति राशि	16875+16875=33750 (तींतीस हजार सात सौ पचास रु.)

उक्त प्रकरण में आपके द्वारा प्रशमन शुल्क की राशि 1000/- रु. का खनिज मद में भुगतान कर मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18(2) के तहत कुल अर्थशास्ति राशि 16875+16875=33750 (तींतीस हजार सात सौ पचास रु.) खनिज मद में जमा कर प्रशमन किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त के संबंध में अपना लिखित जवाब 15 दिवस के भीतर समक्ष में/कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे, अन्यथा की स्थिति में मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18 (5) अथवा 18 (6) के तहत दुगुनी शास्ति राशि 67500/- (सड़सठ हजार पांच रु.) अधिरोपित की जावेगी।


कलेक्टर

जिला बालाघाट (म.प्र.)

बालाघाट दिनांक 31/12/2024

पृ० क्रमांक /1224-~~11~~ खनिज /2024
प्रतिलिपि:-

खनि निरीक्षक, जिला बालाघाट को सूचनार्थ एवं लेख है कि संबंधित को पत्र तामिली उपरांत प्राप्त पावती की अभिस्वीकृति कार्यालय में प्रस्तुत करें।


कलेक्टर

जिला बालाघाट (म.प्र.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEESभारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

MADHYA PRADESH

CN 487870

श्रीमान कलेक्टर महोदय, कार्यालय (खनिज शाखा) जिला बालाघाट (म0प्र0)।

शपथ पत्र

मैं कुंवरलाल दमाहे पिता श्री जीवालु दमाहे निवासी. ग्राम किन्ही तहसील खैरलांजी जिला बालाघाट मध्यप्रदेश निम्नलिखित कथन शपथ पूर्वक करता हूँ कि—

1. यह कि मैं वाहन मालिक हूँ और मेरा नया वाहन महिन्द्रा ट्रैक्टर (मय ट्राली) से खनिज रेत का अवैध परिवहन किये जाने पर आपके विभाग द्वारा जप्त किया जाकर पुलिस थाना खैरलांजी जिला बालाघाट की अभिरक्षा में खड़ा किया गया है। उक्त से संबंध में अधिरोपित अर्थशास्त्रि राशि जमा किये जाने हेतु मुझे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मेरे द्वारा जुर्माना अर्थशास्त्रि राशि

एवं प्रशमन शुल्क की राशि 1000/- रु. खनिज मद में जमा कर दी गई अतः उक्त प्रकरण को समाप्त कर जप्त वाहन को मुक्त किए जाने हेतु शपथपत्र प्रस्तुत है।

2. यह कि मेरे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य व सही है भविष्य में कोई भी बाधा या आपत्ति पाये जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा।

अतः शपथ पत्र प्रस्तुत है।

(Signature)
शपथकर्ता

बालाघाट दिनांक - 31.12.2024

सत्यापन

मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि शपथपत्र में वर्णित समस्त कथन मेरे स्वज्ञान, विवेक एवं प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्य है। अतः शपथ पत्र पढ़कर समझकर अपने हस्ताक्षर कर सत्यापित किया।

बालाघाट दिनांक - 31.12.2024

(Signature)
सत्यापनकर्ता

(Signature)
Yogesh Jain
NOTARY, BALAGHAT (M.P.)

138



Department of Finance, Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government



197

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	09
Depositor/Dealer Name	KUWARLAL DAMAHE
Address	CH NO 006510471V2, AT KINHI TEH KHAIRLANJI, DIST BALAGHAT, Balaghat, Madhya Pradesh - 481337
District selected for Payment	Balaghat
Unique Registration Number (URN)	MPTURN010120250005014
Department and Office Name	Mineral Resources, MINING OFFICE BALAGHAT
Challan Payment Period	2024-2025

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT085301012025000111	2025-01-01 to 2025-01-31	0853-00-800-0278 (Other Receipts- Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	SBIN0006159085301012025007704	051/9999999/0853/01/25/000343	33750.00

Total Amount(In figures)	33,750.00
Total Amount(In words)	Thirty Three Thousand Seven Hundred Fifty Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	IK0DBJJB4
Scroll No	07695
Scroll Date	01/01/2025
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	01/01/2025 16:56:23
Transaction Status	Success



Department of Finance, Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government



TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	10
Depositor/Dealer Name	KUWARLAL DAMAHE
Address	CH NO 006510471V2, AT KINHI TEH KHAIRLANJI, DIST BALAGHAT, Balaghat, Madhya Pradesh - 481337
District selected for Payment	Balaghat
Unique Registration Number (URN)	MPTURN010120250005051
Department and Office Name	Mineral Resources, MINING OFFICE BALAGHAT
Challan Payment Period	2024-2025

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT085301012025000116	2025-01-01 to 2025-01-31	0853-00-800-0278 (Other Receipts- Receipts from minor minerals including fines and forfeiture)	SBIN0006159085301012025008132	051/9999999/0853/01/25/000353	1000.00

Total Amount(in figures)	1,000.00
Total Amount(in words)	One Thousand Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	IK0DBJDI7
Scroll No	07993
Scroll Date	01/01/2025
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	01/01/2025 17:00:17
Transaction Status	Success

कार्यालय कलेक्टर (खनिज विभाग) जिला बालाघाट (म.प्र.)

Office e-mail -modgmbal@mp.gov.in

क्रमांक / 17 / खनिज / 2024
प्रति,

बालाघाट दिनांक 03/01/2024

थाना प्रमारी
पुलिस थाना खैरलांजी
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :- ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी जिला बालाघाट स्थित ख.नं. 463 के अंश भाग (बावनथडी नदी) में अवैध उत्खनन में जप्त वाहन ट्रेक्टर चेचिस क्र. 006510471V2 (मय ट्राली) को जप्तशुदा खनिज के साथ वाहन मालिक की सुपुर्दगी में देने बाबत।

संदर्भ :- खनि निरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 30/12/2024

-----000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत ग्राम चिचोली तह. खैरलांजी जिला बालाघाट स्थित ख.नं. 463 के अंश भाग (बावनथडी नदी) में अवैध उत्खनन में संलिप्त जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर चेचिस क्र. 006510471V2 (मय ट्राली) को आपकी अभिरक्षा में खडा किया गया है। वाहन का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	वाहन का प्रकार	वाहन क्रमांक	वाहन चालक/मालिक
1	ट्रेक्टर (मय ट्राली)	चेचिस क्र. 006510471V2	श्री कुंवरलाल पिता श्री जियुतु दमाहे निवासी ग्राम किन्ही तह. व थाना खैरलांजी जिला बालाघाट (म.प्र.)

उपरोक्त प्रकरण का म.प्र. खनिज नियम 2022 के नियम 10 के तहत निराकरण किया गया है। अतएव उक्त वाहन को मय खनिज वाहन मालिक को सुपुर्दगी उपरांत पावती की अभिस्वीकृति इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।
(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

पृ0क0 / 17 - A / खनिज / 2024
प्रतिलिपि :-

1. खनि निरीक्षक, बालाघाट की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वाहन मालिक श्री कुंवरलाल पिता श्री जियुतु दमाहे निवासी ग्राम किन्ही तह. व थाना खैरलांजी जिला बालाघाट (म.प्र.) की ओर सुपुर्दगी लेने हेतु प्रेषित।

Pratakar
खनि अधिकारी
जिला बालाघाट (म.प्र.)
बालाघाट दिनांक 03/01/2024

Pratakar
खनि अधिकारी
जिला बालाघाट (म.प्र.)

खेरलांजी

998

Annexure 7

200

3

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

**From:- Lessee- Puran Lakshkar, The M.P State Mining Corporation. MP
Paryavas Bhawan, Block A, Jail Road Bhopal**

**Sub-Lessee- M/S R.G And Associates. (MDO)
Ward No.15 Baihar Road Balaghat. MP**

To,
The Member Secretary,
MP-SEIAA, E-5 Paryavaravan Parishar Arera Colony, Bhopal M.P-462016.

The Director Moef,
Kendriya Paryavaran Bhawan, E-5 Arera Colony, Link Road no.-3 Ravishankar nagar Bhopal-
462016.

The Collectorate
Mining office Balaghat MP

Sub: Submission of Compliance of the Conditions of Environmental Clearance
for Sand Quarry in an area of 4.990 hectare, near village - chicholi, Tehsil-
Khairlanji, District-Balaghat, Khasra No.-463

Reference:EC issued by SEIAA, vide letter no. EC23B001MP183358, dated 04/10/2023

Sir,

As per the office Memorandum of SEIAA-MP vide no. 930/SEIAA/2019 dated
30.05.2019, we are submitting the Environmental clearance compliance of above
subjected QL with the following documents:

1. Environmental Clearance Compliance
2. Copy of Environmental Clearance
3. Photographs showing plantation carried out, etc.

This compliance report is submitted for your information and office record
purpose.

Thanking you

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

INDEX

SR. No.	Document's	Annexure
1	SEIAA OFFICE OM LETER	ANNEXURE-1
2	COMPLIANCE REPORT	ANNEXURE-2
3	PLANTATION PHOTOGRAPHS	ANNEXURE-3
4	SEIAA COPY	ANNEXURE-4

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment, Forests & Climate Change)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal-462016
Visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>
Tel: 0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No. 930 /SEIAA/2019


Date: 30.5.2019

Office Memorandum

It has been observed that the six monthly compliance reports are not being submitted by many Project Proponents to the concerned regulatory authority i.e. MPSEIAA/Regional Office, MoEF&CC, Gol Bhopal on regular basis on 1st June and 1st December of each calendar year as per prior EC Condition. It is to mention here that submission of compliance report is mandatory as per section 10 of EIA Notification, dated 14th September, 2006. Further, non-submission of compliance report is also a violation of General condition of prior EC. A hard and soft copy of all backlog half yearly compliance report should be uploaded online on website or sent through e-mail / CD on regular basis i.e. for the period from January-June and July-December in each calendar year as non furnishing of information may lead to violation of Section-20 of EP Act 1986 & may attract appropriate action including revocation of EC.

In context of above, all Project Proponents are hereby informed and directed to submit the compliance report to the concerned regulatory authority i.e. SEIAA/Regional Office, MoEF&CC, Gol Bhopal on regular basis. As per MoEF&CC, Gol Notification dated 25.11.18, soft copy of compliance report will now be uploaded by PP on ministry's website instead of submitting hard and soft copy.

A serious note in this regard has been taken into consideration and authority decided to upload six monthly (half yearly) compliance report of EC conditions including CER/CSR activities regularly by Project Proponent on MoEF&CC, Gol website with intimation to concerned authority (SEIAA and Regional Office, MoEF&CC, Gol, Bhopal). If Project Proponent is failed to upload or submit two consecutive half yearly compliance reports of EC conditions to concerned authority than prior Environmental Clearance issued to Project Proponent will automatically be treated as cancelled/revoked. In case, PP is unable to upload compliance report on ministry's web site due to any reason than PP can submit hard copy of compliance report to concerned authorities.


(Jitendra Singh Raju)
Member Secretary

Endt No. / SEIAA/19 Dated:-
Copy to

1. Joint Secretary, IA Division, MoEF&CC, Gol, Indira Paryavaran Bhavan, Jorbag Road, New Delhi.
2. Principal Secretary, Environment Department, Govt of MP, Mantralaya, Bhopal
3. Secretary, Mineral Resources Department, Govt. of MP, Mantralaya, Bhopal.
4. Chairman, SEIAA and SEAC.
5. Secretary, SEAC, Paryavaran Parisar, E-5 Arera Colony Bhopal.
6. Director, Geology & Mining, 29-A, Khanij Bhavan, Arera Hill, Bhopal.
7. All District Collectors, Madhya Pradesh.
8. All concerned.

Member Secretary

* Correspondence Address: Member Secretary, SEIAA, Environmental Planning and Coordination Organisation (EPCO), Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal - 462016

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

ANNEXURE-2

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

**SIX MONTHLY ENVIRONMENT CLEARANCE
COMPLIANCE REPORT**

FOR

Chicholi Sand Quarry

Area 4.990 Hectare, Kh. No. -463

AT

Village-chicholi

Tehsil:Khirlanji

Dist -Balaghat(M.P.)

Proponent

**Puran Lakshkar,
The M.P State Mining Corporation.
Paryavas Bhawan, Block A, Jail Road Bhopal. MP**

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

विशिष्ट शर्तें

Sr. No.	Conditions	Compliance
1-	खनन योजना अनुसार उत्पादन किया जायेगा !	मेरे द्वारा खनन योजना के अनुसार ही उत्पादन किया जावेगा!
2-	खनन क्षेत्र को चारों तरफ से तारों से घेरा जावेगा !	मेरे द्वारा खदान क्षेत्र में तार फेंसिंग करवाया गया है जो की फोटोग्राफ के द्वारा प्रस्तुत किया गया है !
3-	सड़क मार्ग तरफ वृक्षारोपण किया जावेगा !	सड़क मार्ग में पौधों कवृक्षारोपण किया गया है !
4-	स्वीकृत खदान को अवधी समाप्ति के समय केचमेंट क्षेत्र सम्मिलित करते हुए खनन योजना अनुसार तालाब निर्माण करना होगा !	अनुपालन किया जाएगा
5-	उत्खनन पट्टाधारी को स्वीकृत क्षेत्र एवं आस-पास उपलब्ध शासकीय भूमि पर 500 पौधों का वृक्षारोपण कर संधारण करना होगा ।	अनुपालन किया जाएगा
6-	परियोजना प्रस्तावक बिना अनुबंध निष्पादन के खनन कार्य प्रारम्भ नहीं करेगा !	मेरे द्वारा अनुबंध करने के उपरांत ही खनन कार्य किया जावेगा!
7-	खदान की औसत गहराई लीज अवधी की समाप्ति तक ६.०० मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए !	अनुपालन किया जाएगा
8-	खदान के पुनरुद्धार हेतु खनिज विभाग द्वारा निर्धारित राशि को कलेक्टर के पास जमा करना होगा ताकि पट्टा अवधी पश्चात भूमि सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके	अनुपालन किया जाएगा

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

9-	म. प्र. द्वारा सीया एवं सेक में प्रस्तुत कोई भी त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने हेतु वह स्वयं उत्तरदायी होगा !	मेरे द्वारा यदि कोई त्रुटिपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है तो मैं उसका उत्तरदायी होऊंगा !
10	खनन स्थल को किसी उपयुक्त आवरण द्वारा ढंका जाना होगा !	अनुपालन किया जाएगा
11	म. प्र. को खनन करने के साथ साथ वृक्षारोपण करना होगा तथा वृक्षों का पांच वर्षों तक रख रखाव करना होगा !	अनुपालन किया जाएगा
12	खनिज परिवहन वन क्षेत्र से नहीं किया जावेगा !	मेरे द्वारा खनिज का परिवहन वन क्षेत्र से नहीं किया जावेगा
13	क्षेत्र के सामाजिक उठान हेतु समुचित गतिविधियां करना होगी तथा उक्त कार्य हेतु जमा राशि ग्राम पंचायत के माध्यम से उपयोग में लाना होगी.!	अनुपालन किया जाएगा
14	म. प्र. द्वारा क्षेत्र के पेड़ पौधों तथा वन्य जीवन की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाये जावेंगे !	अनुपालन किया जाएगा

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

मानक शर्तें

Sr. No.	Conditions	Compliance
1-	आवश्यकतानुसार सिर्फ दिन में नियंत्रित रूप से ब्लास्टिंग की जावेगी !	मेरे द्वारा नियंत्रित ब्लास्टिंग आवश्यकतानुसार दिन के समय ही की जावेगी !
2-	खदानों में वृक्षारोपण किया जावेगा तथा वृक्षों का रख रखाव सुनिश्चित किया जावेगा ! बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पेड़ नहीं गिराए जावेंगे !	अनुपालन किया जाएगा
3-	खनिज परिवहन करने हेतु हेतु उपयोग में लाये जाने वाले वाहनों को तारपोलिन से ढका जावेगा ताकि परिवहन के दौरान कोई धूल आदि न उड़े !	अनुपालन किया जाएगा
4-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण अनापत्ति क्षेत्र के स्थानीय निकायों के प्रमुखों तथा सम्बंधित शासकीय विभागों के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगी !	अनुपालन किया जाएगा
1-	मंत्रालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु शर्तें बदली जा सकेगी !	अनुपालन किया जाएगा
2-	किसी भी प्रकार से तथ्यात्मक जानकारी छुपाना अथवा असत्य /कूट अभिलेख प्रस्तुत करने पर उक्त पर्यावरण अनापत्ति वापस ले ली जावेगी तथा उक्त के विरुद्ध पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम , 1986 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी !	अनुपालन किया जाएगा

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

3-	पर्यावरण स्वीकृत की वैधता सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइन 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वेद मान्य रहेगी	अनुपालन किया जाएगा
4-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम सभा से अनापत्ति में तेरा प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत थे खनन सक्रिय आरंभ की जाएगी	अनुपालन किया जाएगा
5-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा सेक की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वन मंडल अधिकारी वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित कराई जाए	अनुपालन किया जाएगा
6-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा नदी के सुख क्षेत्र जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधि की जाए	अनुपालन किया जाएगा
7-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनुमति और उसी के लिए बीमा कवरेज वाले वाहन जीपीएस सहित पंजीकृत वहां ट्रैक्टर तालियां का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा	अनुपालन किया जाएगा
1-	खनन कार्य शुरू होने से पहले खनन क्षेत्र को पिलर से सीमांकन और भू संदर्भित किया जाए	अनुपालन किया जाएगा
2-	मानसून के मौसम में कोई खनन नहीं किया जाएगा	अनुपालन किया जाएगा

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

3-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का बनाया जाएगा	अनुपालन किया जाएगा
4-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लॉग बुक रखी जाए जिसमें दैनिक पानी के छिड़काव और वहां की आवाजाही का विवरण दर्ज किया जाए	अनुपालन किया जाएगा
5-	अगर नदी की धारा सुखी है तो उत्खनन धारा के ताल की सबसे निचले काम की गहराई से आगे नहीं बढ़ना चाहिए	अनुपालन किया जाएगा
6-	क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए समुचित कार्य किए जाएंगे इसके लिए आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा एवं सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से !	अनुपालन किया जाएगा
7-	श्रमिकों को हर 6 मा व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाएगा ।	अनुपालन किया जाएगा
8-	खनन कार्य हेतु पानी की आवश्यकता के लिए ग्राम पंचायत तथा किसी भी पेड़ की कटाई से पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए !	अनुपालन किया जाएगा
9-	खदान में प्रवेश के समय परियोजना प्रस्तावक के संबंध में एक डिस्प्ले बोर्ड विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा	अनुपालन किया जाएगा
10-	परियोजना स्थल पर न्यूनतम संख्या में दो पोकलेन का उपयोग कर सकता है दो से ज्यादा पोकलेन के उपयोग की अनुमति नहीं होगी	अनुपालन किया जाएगा
11-	नदी तल पर किसी भी भारी वाहन का जाना प्रतिबंधित रहेगा खनन क्षेत्र से रेत का परिवहन नदी के किनारो को उचित	अनुपालन किया जाएगा

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)


	बांधो द्वारा स्थिर किया जाए एवं उचित वृक्षारोपण किया जाए खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाए !	
1-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाएगा तथा वृक्षारोपण व पीने के पानी के लिए उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा	अनुपालन किया जाएगा
2-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेत की स्थापना की जाएगी	अनुपालन किया जाएगा
3-	खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी	अनुपालन किया जाएगा
4-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा	अनुपालन किया जाएगा
5-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा जो भी रेत के वहां को पूरी तरह से ट्रिपल से ढककर आवाजाही की जाएगी !	अनुपालन किया जाएगा

211

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

ANNEXURE-3

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)




SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)



SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)




SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)





SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)



SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)



SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)



SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)


ANNEXURE-4

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

ENVIRONMENTAL
CLEARANCE

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive,
and Virtuous Environmental Single-Window Hub)



Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment
Authority (SEIAA), MADHYA PRADESH)

To,

The -1

PURAN LAKSHKAR

The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas
Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District
Bhopal (M.P.) 462011 -462011

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity
under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC)
in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number
SIA/MP/MIN/430049/2023 dated 14 Jul 2023. The particulars of the environmental
clearance granted to the project are as below:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. EC Identification No. | EC23B001MP183358 |
| 2. File No. | 10238/2023 |
| 3. Project Type | New |
| 4. Category | B |
| 5. Project Activity including
Schedule No. | (a) Mining of minerals |
| 6. Name of Project | CHICHOLI SAND QUARRY |
| 7. Name of Company/Organization | PURAN LAKSHKAR |
| 8. Location of Project | MADHYA PRADESH |
| 9. TOR Date | N/A |

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page
no 2 onwards.

Date: 04/10/2023

(e-signed)
Mujeebur Rahman Khan
Member Secretary
SEIAA - (MADHYA PRADESH)

Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification
number & E-Sign generated from PARIVESH. Please quote identification
number in all future correspondence.

This is a computer generated cover page.

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

संदर्भ: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/430049/2023 - प्रकरण क्र. 10238/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लाल लखकार, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 59,880 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुमति), रकबा 4.990 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 463, ग्राम शिघौली, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरोक्त के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय-समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिसर पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुसूच परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. SIA/MP/MIN/430049/2023 एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 20.07.2023) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेजों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्र. 651 दिनांक 03.06.2023 के अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता/ईको सेंसेटिव जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र 250 मीटर की परिधि के बाहर स्थित है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 21°31'46.98" से 21°31'53.54" और देशांतर 79°52'06.13" से 79°51'55.78" भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई अनिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 808वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में विस्तृत विचार विमर्श उपरोक्त एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 675वीं बैठक दिनांक 08.09.2023 में प्रकरण पर की गई अनुमति के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्तें अधिशोधित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लाल लखकार, निवासी पर्यावास भवन, ब्लॉक ए, द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 59,880 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुमति), रकबा 4.990 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 463, ग्राम शिघौली, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों और तदुपरोक्त मानक शर्तों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अ) विशिष्ट शर्तें:

1. पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति भय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरोक्त ही खनन सक्रियता आरंभ की जाये।

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित उर्ध्वगत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छ. माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 28.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छ.माही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिदेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन सक्रिय हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन कराकर SEIAA एवं SEAC के अनुमोदन उपरांत ही किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव एवं भराव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं जिला खनिज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जावे।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जलमग्न क्षेत्र को गैर-खनन क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखा जायेगा।
12. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 80 प्रतिशत माईनेबल मिन्सल घोटेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुमोदित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रस्तावित खदान से नदी के दोनों किनारे (न्यूनतम 25 मीटर एक तरफ) का पूरी तक हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व प्रस्तावित हरित संरक्षण हेतु फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
16. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के बनसंरक्षणाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरान्त ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुनर्वसन की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
19. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
21. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर धक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
22. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रदूषण और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
23. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
26. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्ग पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पड़ुन मार्ग के घूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पाने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उपयुक्त जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
29. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, घूल दमन, पड़ुन सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उपयुक्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईएफ को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएफ और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नेपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की तलाकत दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
32. यदि माइनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएफ को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तुरंत तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएफ द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
33. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पट्टवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

SEAC द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तें :-

34. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
35. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
36. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
37. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
38. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
39. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

40. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacent agricultural field to avoid erosion and scouring.
41. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carried out every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should be allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
42. नदी के किनारों की ओर पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Repair Zone) के अधिकतम 06 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को कटि नहीं पहुँचाई जायेगी।
43. रेल निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति परचाय ही परिवहन किया जायेगी।
44. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला माइंग पालन विभाग अधिकारी का अधिभूत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल संरक्षण के उपाय विद्यमान विधेयक के मुताबिक अनुसार अपनाये जायेंगे।
45. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिये वजतीय प्रावधान केमिटरल राशि रु. 10.11 लाख एवं रिक्विज राशि रु. 10.00 लाख प्रतिवर्ष प्रस्तावित है।
46. सीईआर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सीईआर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेगी।)

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम सिविली के शासकीय स्कूल में अदीसंरचना विकल्प में सहयोग हेतु आर.जी. वाटर कूलर के लिए 60,000 रुपये की राशि शिवक पालक रांच समिति चिचोली के खाते में जमा की जायेगी।	60,000

47. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सित्तू सिंचाई, 03 वर्षों तक मुक्त, पीछों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) काम से कम 4660 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पीछों की प्रजातियाँ	मात्रा (सिंचा में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति - खस, नागर मोहा, लेमन प्राप्त, गटादन के बीज एवं स्थानीय घास	1500
		4-5 पंक्ति - कटंग बांस	1000
		6 पंक्ति - करण, जामुन, लसोड़ा गरासी, खनेर, कहवा, अर्जुन, शहबूत एवं चिरोल, आम, गरासी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	350
2	ग्राम चिचोली के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2888
3	परिवहन मार्ग (1000 मीटर)	नीम, पीपल, जकार, बरगद, चिरोल, मोलश्री, पुत्रजीवा, कुसुम, आम, अजंन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (दो गाँव के साथ)	250
<p>वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पीछों का रख-रखाव कार्य/ग्राम विकास/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंचायत स्वयं सहायता समूह (SHG) के द्वारा प्रथम अर्धवर्ष तक कराया जायेगा।</p>			

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

<ul style="list-style-type: none"> ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पैड को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा। ✓ एक पैड से दूसरी पैड में चेम्पै 'STAGGRED' (जाड़े-तितले) लगाये जायेंगे। ✓ टीम : कृषायोग, डीजलपंप एवं रखा-रखाव, मौके पर स्थल की उपस्थिति के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के अंत में पौधरोपण हेतु जागह उपलब्धता संवाइ एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / प्राकृतिक स्थल/पुलिस धारा/आयनकारी क्षेत्र/सहरील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रखा-रखाव किया जायेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिचितियों के कारण पर रोपण संग्रह न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से खने ग्राहियों को कंसर्ट, बॉल बॉले प्रभाव किये जायेंगे तथा नदी क्षेत्र से खने ग्राहियों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा पौधरोपण की राई अनुसार संख्या की पूर्ति की जा सकेगी। शेषित क्षेत्रों की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा। 	5988
योग	

48. खदान संशालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संशान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
49. जिला प्रशासन द्वारा वार्षिक रूप से मानसून से पहले और सितंबर के अंतिम सप्ताह में खनन पट्टा क्षेत्र में रेत के जमाव (10 एच > 10.00 हेक्टेयर) के पट्टों के लिए 100 मीटर के अंतराल पर तथा <10 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 50 मीटर के अंतराल पर) का रिकॉर्ड दर्ज करे एवं आर.एल (रेड्यूस् लेवल) मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड रखखाव करे। तदनुसार जिला प्रशासन द्वारा पट्टा गारंट को केवल रेत की पुनःपूर्ति की गई मात्रा की खुदाई करने हेतु आगामी वर्ष में अनुमति दी जाये।
50. उत्खनन क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन स्थल पर अंशित एवं देशान्तर अनुसार पिलर लगाकर किया जाये एवं मुख्य-हेतु आवश्यक सूचना व सापेक्षी संघना सूचना पटल पर अधिलि किये जाये।
51. धूल के कणों का दमन करने के लिए सीलर-पंप/पानी के टैंकों के साथ ओवरहेड सिंक्रलर की व्यवस्था पट्टा क्षेत्र से बाहर निकले, तथा निकासी संयंत्र पर निश्चित प्रकार के सिंक्रलर की व्यवस्था की जाये। पीपी द्वारा ब्लॉक बुक राखी जाये जिसमें दैनिक पानी के डिस्ट्रिब्यूशन और वाहनों की आवाजाही का विवरण दर्ज किया जाये।
52. केवल पूर्वोक्त चरेश्य के लिए जिनके पास आवश्यक पंजीकरण और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनुमति और उसी के लिए बीमा कवरेज है वाले जीपीएस सहित पंजीकृत वाहन / ट्रैक्टर ट्रॉलियों का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया जायेगा।
53. सामग्री का परिवहन में fugitive उत्सर्जन से बचने के लिए केवल आवश्यक नमी वाले डके हुए एवं पीयूसी प्रमाणित वाहनों का उपयोग किया जाये। खनिजों का परिवहन वन क्षेत्र से बिना सखन प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा।
54. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का (डस्ट्यूडीएम/ब्लैक टॉप) बनाया जाएगा।
55. प्रमुख पुलों और राजमार्गों के दोनों तरफ से 1 किलोमीटर (1 किमी) की दूरी तक रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी। और अपस्ट्रीम से इस तरह के पुल/सार्वजनिक संरचना (जल ग्रहण क्षेत्र सहित) से पांच गुना दूरी तक एवं डाउन-स्ट्रीम से ऐसे पुल से दस गुना दूरी तक, कम से कम 250 मीटर अपस्ट्रीम साइड से और 500 मीटर डाउनस्ट्रीम साइड से रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी।
56. खनन की गहराई 3 मीटर या जल स्तर, जो भी कम हो, तक सीमित होनी चाहिए और नदी के किनारे से दूरी एक चौथाई या नदी की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए और जो 7.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नदी के अंदर खनन की अनुमति नहीं है। स्थापित जल बाहक नाला ब्यालियों को स्थानांतरित, सीधा या संशोधित नहीं किया जायेगा।
57. खनन कार्य शुरू होने से पहले खनन क्षेत्र को पिलर से सीमांकन और भू-संदर्भित किया जाये।
58. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष के माध्यम से पर्यावरणीय ऑडिट कराई जाये और उस ऑडिट की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन पर रखी जाये।

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

59. मानसून के मौसम में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
60. खनन कार्य पूरी तरह से अनुमोदित खनन योजना एवं सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2018 के अनुसार किया जाएगा तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा की खनन योजना में निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए खनन पट्टा क्षेत्र में रेत खनन कार्य हेतु पर्याप्त है।
61. अगर नदी की धारा सूखी है तो उत्खनन द्वारा के तल की सबसे निचले कम की अवस्थित गहराई से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जो स्थानीय हाइड्रोलॉजिस्ट, जल विज्ञान और सू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
62. खनन पूरा होने के बाद, गड्ढे के किनारे को 2.5:1 के अनुपात पर प्रयास की दिशा में बलान पर बर्गीकृत किया जाना चाहिए।
63. एम.पी.पी.सी.बी से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाएगी और एम.पी.पी.सी.बी की सिफारिश के अनुसार वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को स्थापित करना होगा।
64. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए समुचित कार्य किये जायेंगे। इसके लिए आवेक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत/संभम प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा।
65. श्रमिकों के छह मासिक व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किए जाएंगे और सभी श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। सभी खान श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशमन उपकरण और सौमिल्य (पुरुष और महिला के लिए अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। खदान के स्थल कार्यालय, विश्राम गृहों आदि को सोलर लाइट से रोशन और इवादार किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं जैसे विश्राम गृह, साइट कार्यालय आदि को लीज अवधि की समाप्ति के बाद साइट से हटा दिया जाएगा।
66. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीनतम कार्यालयीन ज्ञापन पत्र संख्या एफ.सं. 22-34/2018-आईए। III, दिनांक 16/01/2020 के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन योजना और कॉन्फिरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व में अलग से बजट का प्रावधान बरगर्भ भूमि के विकास और रखरखाव के लिए बनना जाये और ये जानकारी वार्षिक पर्यावरण विवरण में दी जाये।
67. यदि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपायों के लिए आवेक्षित पर्यावरण प्रबंधन योजना बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, तो पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए बजटीय प्रावधानों के कम उपयोग के कारण को वार्षिक रिटर्न (विबरणी) में सम्मिलित किया जाये।
68. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एआईएसी और एआईएसी में प्रस्तुत दस्तावेदजों में विसंगति (यदि कोई) पाए जाने पर परियोजना प्रस्तावक स्वयं जिम्मेदार होगा।
69. खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढे एवं भूमि के पुनरुद्धार की शर्तों का कार्य खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन विभाग द्वारा गतिविधि के लिए अनुमोदित उचित शर्तों को खान में खनिज की समाप्ति होने के उपरांत समस्त गतिविधि का जिम्मा कलेक्टर के पास जमा करना होगा।
70. खनन कार्य हेतु पानी की आवश्यकता के लिए ग्राम पंचायत तथा किसी भी गेड की फटाई से पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
71. ऐसे पट्टे जो वन क्षेत्र के 250मी. की परिधि के अंदर आ रहे हैं एवं परियोजना प्रस्तावक ने संभाग स्तरीय आयुक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तो समिति द्वारा निर्धारित सभी शर्तों पालन सुनिश्चित किया जाये।
72. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
73. अस्थायी अनुज्ञा (TP) के प्रकरण में, पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता केवल टीपी की वैधता तक रहेगी एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान समापन योजना वन पालन सुनिश्चित करना होगा।

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

74. खनन पट्टाधारक खनन कार्य को बंद करने के बाद, चरागाह के विकास एवं रख-रखाव हेतु एम.ओ.ई. (फ.एंड.सी.सी के पत्र एफ. सं. 22&34/2018-आई.ए. III दिनांक 16/01/2020 अनुसार ई.एम.पी और सी. ई.आर अंतर्गत एक अलग बजट सुनिश्चित करें।
75. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय स्थापन संख्या Z&11013/57/2014&IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "अवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा हैं या बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए हैं" में दिए गए मैट्रिक्स/टिप्स उपायों का पालन करेगा।
76. पट्टाधारक के पते में कोई भी परिवर्तन, के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सूचित करेगा।
77. खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबंध में एक डिस्टेंस बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाता अनिवार्य होगा :
- खदान के मालिक का नाम, संपर्क विवरण आदि।
 - परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में) भूय अक्षांश देशांश।
 - खदान की लम्बाई, चौड़ाई एवं स्वीकृत गहराई।
 - माईनेवाल पोर्टेडियल ऑफ रेत खदान।
 - पर्यावरण स्वीकृति एवं एनपीपीसीबी की कन्सेन्ट अनुसार परियोजना की स्वीकृत उत्पादन क्षमता।
 - खनन विधि (मिनुअल/सेमी मैकेनाइज्ड)।
78. NGT (CZ) के आदेश क्र. 66/20 दिनांक 19/10/2020 एवं एन.ई.आई.ए.ए का निर्देश पत्र संख्या 5084 दिनांक 09/12/2020 के अनुसार रेत खनन के मामले में पीपी द्वारा निम्नलिखित शर्तों को लागू किया जाना चाहिए :
- i. लीजधारक को परियोजना स्थल पर न्यूनतम संख्या में (02) पोस्लेन्स का उपयोग कर सकता है 02 से जादा पोस्लेन्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
 - ii. जिला प्रशासन द्वारा पहले वर्ष के अंत में पर्यावरणीय प्रभाव के लिए साइट का आकलन करने के उपरांत ही निरंतर खनन कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाये।
 - iii. कार्य की अंतिम गहराई वर्तमान प्राकृतिक नदी तल से 01 मीटर और उपलब्ध रेत की मोटाई प्रस्तावित खदान स्थल से 03 मीटर होगी।
 - iv. रेत उत्खनन किसी भी परिस्थिति में भूजल स्तर को प्रभावित नहीं किया जाए। यदि भूजल स्तर 01 मीटर पर अनुमत्त गहराई के भीतर होता है, तो उत्खनन कार्य तुरंत रोक दिया जाये।
 - v. रेत का खनन के दौरान किसी भी तरह से नदी के पानी की गंदलापन (टर्बिडिटी), वेग और प्रवाह को प्रभावित न किया जाए।
 - vi. खनन गतिविधि की निगरानी तात्काल स्तर के बल द्वारा महीने में एक बार भौतिक सत्यापन करके की जाएगी।
 - vii. खनन बंद होने के बाद, लाइसेंसधारी खदान में लगाए गए सभी शेड और रेत खदान के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को तुरंत हटा दे, जहाँ तक संभव हो, बिना किसी कृत्रिम बाधा के नदी को अपना सामान्य नग्न फिर से शुरू करने के लिए सड़कों/मार्गों को समतल किया जाये।
 - viii. खनन से किए गए गड्ढों को जहाँ आवश्यक हो वहाँ बापस भर दिया जाना चाहिए और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए क्षेत्र उपयुक्त लैंडस्केप होना चाहिए।
 - ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खदान की सीमा और गहराई के संबंध में मानकों का पालन करे एवं खदान की सीमा का उचित रूप से सीमांकन किया जाए।

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

79. नदी के किनारों पर स्थिरीकरण के लिए खस स्लिप और नगर मोथा जैसी प्रजातियों को लगाया जाये एवं किसी भी उपयुक्त सरकार के माध्यम से गांव में खनिज निकाली सड़क और आम क्षेत्र पर मिट्टी के कटाव की जांच के लिए संबंधित डी.एफ.ओ./ग्राम पंचायत/कृषि विभाग या किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य अनुमति के उपरांत ईएमपी में किए गए खजटीय आवेदन के अनुसार पर्याप्त विशेषज्ञता वाली एजेंसी (जैसे वन विभाग निगम/वन समिति, वन रेंज अधिकारी की निगरानी और मार्गदर्शन में उक्त कार्य करवाया जाये।
80. पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ.डी. डंप (Over burden) न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्यों के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हस्ताहत/भूत भोवों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्यों के दौरान किसी भी वनस्पतियों, जीवों इत्यादि को कोई क्षति न हो इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण डी.एफ.ओ के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट डी.एफ.ओ को हस्तांतरित किया जाये।
81. संबंधित ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रित प्रजातिया जैसे वार्षिक, बारहमासी घास/चारा, फूस की प्रजातियों रोपित की जाये जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्यों के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाए।
82. वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष खनन के दौरान की शुरुआत से पहले, आस-पास के ग्रामीणों को चारा/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक यंत्रिका नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर वितरित किए जाएं। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की "अंकुर योजना" के अंतर्गत "बाधरूत रैप" पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को प्रोत्साहित कर की जाये। पी.पी द्वारा जिन स्थानों पर औषधि वाटिका (नैचुरल गार्डन) प्रस्तावित है उन स्थानों (स्कूल/आंगनवाड़ी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किया जाये कि उनका सखायत्व 80 प्रतिशत तक हो।
83. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण के लिये पौधों की उचित व्यवस्था की जाये।
84. पी-1 श्रेणी की परियोजनाओं में प्रस्तावित सी.ई.आर गतिविधियों जल सुनवाई के निष्कर्ष पर आधारित होने चाहिए। एवं पी-2 श्रेणी की परियोजनाओं में स्थानीय आवश्यकता मूल्यांकन और ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना के अन्वय पर सी.ई.आर गतिविधि प्रस्तावित किया जाए।
85. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

रैत के प्रकारणों में (पौधों की लंबाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पॉइंट तक की दूरी जैसे : खस, घास, अंगव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पॉइंट में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पॉइंट से 5वीं पॉइंट (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पॉइंट 3.0 से 5.0 मीटर (मिश्र प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित घट्टी विकसित किया जाये)
- नोट - 9 :- सभी पॉइंट हेतु पौधों की सुखा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोडा, करंज, आम, इत्यादि।
- नोट - प्रथम तीन पॉइंटों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पॉइंट हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजप्रजाति आदि)	पॉइंट से पॉइंट की दूरी 01 से 10.5 फीट पॉइंट में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.5 फीट
3	पौधों से पौधों, छठवीं पॉइंट हेतु खस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति।	पॉइंट की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पॉइंट में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा बेसिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, ट्राडियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकाली परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मन्त्रय घातन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई कठोरन छतनकपवह भवजगत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल सफ़ायाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेगे।

(व) मानक शर्तें

1. परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल विवरण को साथ वैध डाक का पता।
2. नदी तल पर किसी भी भारी वाहन का जाना प्रतिबंधित रहेगा।
3. खनन क्षेत्र से रेत का परिवहन लदान स्थल तक केवल ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से ही किया जायेगा।
4. नदी कर्ब पर किनारों को उचित बांधों द्वारा स्थिर किया जाये एवं उचित वृक्षारोपण किया जाये इसकी निगरानी कलेक्टर, के द्वारा किया जाये ताकि रेत खनन से उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभावित न हो सके।
5. खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये, खनन योजना का उल्लंघन किये जाने पर एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृत रद्द कर दी जायेगी।
6. यह सुनिश्चित किया जाए कि गौण खनिज के उत्खनन से नदी तल बेसिन, जहां खनन कार्य किया जाता है, की अंतर्निहित मिट्टी की विशेषताओं में किसी प्रकार का बदलाव तो नहीं हो सके।
7. यह सुनिश्चित किया जाये कि खनन कार्य से नदी के पानी का गंदलापन (टर्बिडिटी) वेग और प्रवाह पैटर्न को किसी भी तरह बाधित न किया जाये।
8. यह सुनिश्चित किया जाये कि नदी के तल पर अथवा खनन क्षेत्रों के निकट कोई जीव-जंतु घोंसले के लिए निर्भर तो नहीं है।
9. विचाराधीन सभी प्रस्तावों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर सटीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सीमांकन किया जाये।
10. सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
11. आसपास की बस्तियों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये। तथा गौण की जिन सड़कों से गौण खनिजों का परिवहन किया जाना है, का निबन्धित रूप से रख रखाव/अनुसूक्षण किया जाये।
12. मृदा अपरदन की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाँव के प्रबंधन के उपाय किये जायें।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाये।
14. वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी. के अनुसार किया जाये एवं वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जानी चाहिए एवं पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न किया जाये।
15. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त बाड़ों से ढक दिया जाये ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण /बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जायें।
17. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराए जाये और उनको सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
18. कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायों के प्रमुखों, (जिसका नाम हो) को भी प्रस्तुत की जाये।

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period JULY 2024 - DEC 2024)

20. मंत्रालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।
21. तथ्यात्मक डेटा को छुपाने अथवा झूठे /गढ़े हुए डेटा प्रस्तुत करने एवं ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर पर्यावरण मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
22. पर्यावरण मंजूरी के खिलौफ किसी भी प्रकार की अपील, करमा हो, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के अंदर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की जा सकती है।


(अनुराग खान) सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विम, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला बालाघाट (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जौर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय पर्यावरण भवन, लिंग रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल -
8. संचालक, भौगिकी तथा खनिकर्मा मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला बालाघाट (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।


(राजेश मिश्रा)
कार्यपालन यंत्री

M/s R.G. AND ASSOCIATES**M/s Shri Ramesh Prasad Dubey And Shri Girish Pathak (Consortium)**

Phone No. - 7828587263

Email Id - lilharekamlesh2@gmail.com

Add. - Ward No.15, Baihar Road, Balaghat (MP)

Date 16.10.2024

No.

प्रति,

प्रबंध संचालक महोदय जी,
दि स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि. मि.,
भोपाल (म.प्र.)।

विषय :- जिला बालाघाट रेत समूह की स्वीकृत रेत खदानों के समीप व ग्राम पंचायत में किये गये वृक्षारोपण के संबंध में।
महोदय जी,

उपरोक्त विषयांतर्ग लेख है कि दि स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि. मि., भोपाल (म.प्र.) मुझे मेसर्स आर. जी. एण्ड एसोसियेट्स, मेसर्स रमेश प्रसाद दुबे एवं गिरिश पाठक (कंसोर्सियम) निवासी वार्ड नं. 15 बैहर रोड, बालाघाट (म.प्र.) को ई-निविदा सह नीलामी के माध्यम से एम0 डी0 ओ0 (माइन डेवलपर कम आपरेटर) नियुक्त किया गया है।

जिसमें मेरे द्वारा जिला बालाघाट रेत समूह की स्वीकृत रेत खदानों व ग्राम पंचायत में किये गये वृक्षारोपण की सूची व ग्राम पंचायतों के द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न व वृक्षारोपण की जानकारी सादर प्रेषित है -

क्रं.	खदान का नाम	तहसील	खसरा नं.	रकबा हे.	खदान की/ग्राम पंचायत की वृक्षो की संख्या	क्रं.	खदान का नाम	तहसील	खसरा नं.	रकबा हे.	खदान की/ग्राम पंचायत की वृक्षो की संख्या
1	चिचौली	खैरलांजी	463	4.990	350	16	धापेवाड़ा	बालाघाट	144	3.000	200
2	खैरी	खैरलांजी	854	4.000	450	17	रामपायली	वारासिवनी	1014 भाग	8.869	400
3	टुय्यापार	खैरलांजी	583	1.012	100	18	कटगाटोला	वारासिवनी	255 भाग	12.416	450
4	बकोड़ी	खैरलांजी	1	4.500	400	19	सिंगोड़ी	वारासिवनी	650 भाग	8.396	300
5	भौरगढ़	खैरलांजी	457/1	4.950	500	20	जागपुर	वारासिवनी	75 भाग	8.565	350
6	सावरी	खैरलांजी	795	4.920	350	21	मेंहदीवाड़ा	वारासिवनी	326	4.800	200
7	टेमनी	खैरलांजी	332/1	4.500	400	22	गड्डापायली	वारासिवनी	434	3.800	100
8	बहाकल	कंटगी	1/231	3.239	250	23	चंदोरी	वारासिवनी	21	4.500	200
9	कलगांव	कंटगी	185	2.500	200	24	सिवनी	वारासिवनी	442/1	4.000	150
10	बम्हनी	तिरोड़ी	418/1/1	3.402	350	25	संरडी	वारासिवनी	574 भाग	10.000	450
11	कोडबी	तिरोड़ी	285	4.960	150	26	बाशी	वारासिवनी	1	3.800	400
12	हरदौली	तिरोड़ी	456	4.480	150	27	लहंगाकन्हार	बैहर	7/1 भाग	2.000	250
13	साल्हे	लालबर्सा	1	1.011	50	28	केशा	किरनापुर	164	4.500	200
14	मगरदर्रा	बालाघाट	1 भाग	1.000	50	29	पानगांव	किरनापुर	547	3.000	200
15	बरखो	बालाघाट	22	3.150	150	30	कोचेवाडी	लांजी	702 भाग	3.000	200

दिनांक :- 16.10.2024

M/s R.G. And Associates
R.P.D. ASSOCIATES (Consortium)
मेसर्स रमेश प्रसाद दुबे एवं गिरिश पाठक (कंसोर्सियम)
निवासी वार्ड नं. 15 बैहर रोड, बालाघाट

1032

SEIAA Case No. 10238/2023
(Half yearly Compliance period Jan2025 - June 2025)

23A

**From:- Lessee- Puran Lakshkar, The M.P State Mining Corporation. MP
Paryavas Bhawan, Block A, Jail Road Bhopal**

**Sub-Lessee- M/S R.G And Associates. (MDO)
Ward No.15 Baihar Road Balaghat. MP**

To,
The Member Secretary,
MP-SEIAA, E-5 Paryavaravan Parishar Arera Colony, Bhopal M.P-462016.

The Director Moef
Kendriya Paryavaran Bhawan, E-5 Arera Colony, Link Road no.-3 Ravishankar nagar Bhopal-
462016.

The Collectorate
Mining office Balaghat MP

Sub: Submission of Compliance of the Conditions of Environmental Clearance for Sand Quarry in an area of 4.990 hectare, near village - chicholi, Tehsil-Khairlanji, District-Balaghat, Khasra No.-463

Reference: EC issued by SEIAA, vide letter no EC23B001MP183358, dated 04/10/2023 Sir,

As per the office Memorandum of SEIAA-MP vide no. 930/SEIAA/2019 dated 30.05.2019, we are submitting the Environmental clearance compliance of above subjected QL with the following documents:

1. Environmental Clearance Compliance
2. Copy of Environmental Clearance
3. Photographs showing plantation carried out, etc.

This compliance report is submitted for your information and office record purpose.


पूरन लक्षकर (प्रबंधक) जी.
दि. म. प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लि. बालाघाट


M/s. R.G. And Associates
R.P.D. And G.P. (Consortium)
Add.-Ward No.-15, Baihar Road, Balaghat

Proprietor

1033

SEIAA Case No.-10238/2023

(Half yearly Compliance period Jan2025 - June 2025)

225

INDEX

SR. No.	Document's	Annexure
1	SEIAA OFFICE OM LETER	ANNEXURE-1
2	COMPLIANCE REPORT	ANNEXURE-2
3	PLANTATION PHOTOGRAPHS	ANNEXURE-3
4	SEIAA COPY	ANNEXURE-4

1034

SEIAA Case No. 10238/2023
(Half yearly Compliance period Jan2025 - June 2025)

236

ANNEXURE-1

1035

SEIAA Case No.-10238/2023

(Half yearly Compliance period Jan2025 - June 2025)

237



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Government of India, Ministry of Environment, Forests & Climate Change)

Environmental Planning & Coordination Organization
Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal-462016
Visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>
Tel: 0755-2466970, 2466859
Fax : 0755-2462136

No. 930 /SEIAA/2019


Date: 30.5.2019

Office Memorandum

It has been observed that the six monthly compliance reports are not being submitted by many Project Proponents to the concerned regulatory authority i.e. MPSEIAA/Regional Office, MoEF&CC, Gol Bhopal on regular basis on 1st June and 1st December of each calendar year as per prior EC Condition. It is to mention here that submission of compliance report is mandatory as per section 10 of EIA Notification, dated 14th September, 2006. Further, non-submission of compliance report is also a violation of General condition of prior EC. A hard and soft copy of all backlog half yearly compliance report should be uploaded online on website or sent through e-mail / CD on regular basis i.e. for the period from January-June and July-December in each calendar year as non furnishing of information may lead to violation of Section-20 of EP Act 1986 & may attract appropriate action including revocation of EC.

In context of above, all Project Proponents are hereby informed and directed to submit the compliance report to the concerned regulatory authority i.e. SEIAA/Regional Office, MoEF&CC, Gol Bhopal on regular basis. As per MoEF&CC, Gol Notification dated 25.11.18, soft copy of compliance report will now be uploaded by PP on ministry's website instead of submitting hard and soft copy.

A serious note in this regard has been taken into consideration and authority decided to upload six monthly (half yearly) compliance report of EC conditions including CER/CSR activities regularly by Project Proponent on MoEF&CC, Gol website with intimation to concerned authority (SEIAA and Regional Office, MoEF&CC, Gol, Bhopal). If Project Proponent is failed to upload or submit two consecutive half yearly compliance reports of EC conditions to concerned authority than prior Environmental Clearance issued to Project Proponent will automatically be treated as cancelled/revoked. In case, PP is unable to upload compliance report on ministry's web site due to any reason than PP can submit hard copy of compliance report to concerned authorities.


(Jitendra Singh Raje)
Member Secretary

Endt No. / SEIAA/19 Dated:-

Copy to

1. Joint Secretary, IA Division, MoEF&CC, Gol, Indira Paryavaran Bhavan, Jorbag Road, New Delhi.
2. Principal Secretary, Environment Department, Govt of MP, Mantralaya, Bhopal
3. Secretary, Mineral Resources Department, Govt. of MP, Mantralaya, Bhopal.
4. Chairman, SEIAA and SEAC.
5. Secretary, SEAC, Paryavaran Parisar, E-5 Arera Colony Bhopal.
6. Director, Geology & Mining, 29-A, Khanij Bhavan, Arera Hill, Bhopal.
7. All District Collectors, Madhya Pradesh.
8. All concerned.

Member Secretary

Correspondence Address: Member Secretary, SEIAA, Environmental Planning and Coordination Organisation (EPCO), Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal - 462016

1036

SEIAA Case No. 10238/2023
(Half yearly Compliance period Jan2025 - June 2025)

238

ANNEXURE-2

1037

SEIAA Case No.-10238/2023

(Half yearly Compliance period Jan2025 - June 2025)

239

**SIX MONTHLY ENVIRONMENT CLEARANCE
COMPLIANCE REPORT**

FOR

Chicholi Sand Quarry

Area 4.990 Hectare, Kh. No. -463

AT

Village- Chicholi

Tehsil:Khairlanji

Dist -Balaghat(M.P.)

Proponent

Puran Lakshkar

The M.P State Mining Corporation.

Paryavas Bhawan, Block A, Jail Road Bhopal. MP

विशिष्ट शर्तें

Sr. No.	Conditions	Compliance
1-	पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।	अनुपालन किया जाएगा
2-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति भय ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।	अनुपालन किया जाएगा
3-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।	अनुपालन किया जाएगा
4-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित	अनुपालन किया जाएगा

(291)

<p>करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई. आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।</p>	
<p>5- परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार पृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।</p>	<p>अनुपालन किया जाएगा</p>
<p>6- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।</p>	<p>अनुपालन किया जाएगा</p>

242

7-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 m Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशो का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये।	अनुपालन किया जाएगा
8-	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन कराकर SELAA एवं SEAC के अनुमोदन उपरांत ही किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।	अनुपालन किया जाएगा
9-	म.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदत मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।	अनुपालन किया जाएगा
10	10. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव एवं भराव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं जिला खनिज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो यही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।	अनुपालन किया जाएगा
11	परियोजना प्रस्तावक द्वारा जलभराव क्षेत्र को गैर-खनन क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखा जायेगा।	अनुपालन किया जाएगा

293

12	SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन. जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।	अनुपालन किया जाएगा
13	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेवल मिनेरल पोर्टेंशियल, अनुमोदित खनन योजना, निविदत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुशंसित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।	अनुपालन किया जाएगा
14	14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रस्तावित खदान से नदी के दोनों किनारे (न्यूनतम (न्यूनतम 25 मीटर एक तरफ) की दूरी तक हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।	अनुपालन किया जाएगा
15	परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से, पूर्व प्रस्तावित हरित संरक्षण हेतु फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की	अनुपालन किया जाएगा

248

	स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।	
16	परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।	अनुपालन किया जाएगा
17	परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभकिया जायेगा।	अनुपालन किया जाएगा
18	परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।	अनुपालन किया जाएगा
19	परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।	अनुपालन किया जाएगा
20	परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।	अनुपालन किया जाएगा
21	परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र	अनुपालन किया जाएगा

245

	के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।	
22	परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2018 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।	अनुपालन किया जाएगा
23	परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।	अनुपालन किया जाएगा
24	परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।	अनुपालन किया जाएगा
25	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा
26	खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।	अनुपालन किया जाएगा
27	परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।	अनुपालन किया जाएगा
28	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व	अनुपालन किया जाएगा

246

	पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।	
29	परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।	अनुपालन किया जाएगा
30	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा
31	परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।	अनुपालन किया जाएगा
32	यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति	अनुपालन किया जाएगा

297

	हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।	
33	खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।	अनुपालन किया जाएगा
34	SEAC द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तें :- The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.	अनुपालन किया जाएगा
35	Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.	अनुपालन किया जाएगा

36	Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.	अनुपालन किया जाएगा
37	The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.	अनुपालन किया जाएगा
38	The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.	अनुपालन किया जाएगा
39	Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.	अनुपालन किया जाएगा
40	The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.	अनुपालन किया जाएगा
41	41. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.	अनुपालन किया जाएगा
42	नदी के किनारों मौके पर उपलब्ध स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम् 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।	अनुपालन किया जाएगा

299

43	रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही, परिवहन किया जायेगी।	अनुपालन किया जाएगा
44	खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि जनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।	अनुपालन किया जाएगा
45	विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।	अनुपालन किया जाएगा
46	पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।	अनुपालन किया जाएगा
47	As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river.....bank" shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.	अनुपालन किया जाएगा
48	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिये बजटीय प्रावधान केपिटल राशि रु. 08.95 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.64 लाख प्रतिवर्ष प्रस्तावित है।	अनुपालन किया जाएगा

49	सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये (भू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)	अनुपालन किया जाएगा
50	निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षों तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1750 वृक्षों का वृक्षारोपण.	अनुपालन किया जाएगा
51	खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।	अनुपालन किया जाएगा
52	जिला प्रशासन द्वारा वार्षिक रूप से मानसून से पहले और सितंबर के अंतिम सप्ताह में खनन पट्टा क्षेत्र में रेत के जमाव (10 एवं > 10,00 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 100 मीटर के अंतराल पर तथा 10 हेक्टेयर के पट्टों के लिए 50 मीटर के अंतराल पर) का रिकॉर्ड दर्ज करे एवं आर.एल (रडघूस लेवल) मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड रखरखाव करे। तदनुसार जिला प्रशासन द्वारा पट्टा धारक को केवल रेत की पुनःपूर्ति की गई मात्रा की खुदाई करने हेतु आगामी वर्ष में अनुमति दी जाये।	अनुपालन किया जाएगा
53	उत्खनन क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन स्थल पर अक्षांस एवं देशान्श अनुसार पिलर लगाकर	अनुपालन किया जाएगा

251

	किया जाये एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक सूचना व सावधानी संकेत सूचना पटल पर अंकित किये जाये।	
54	धूल के कणों का दमन करने के लिए सोलर पंपों/पानी के टैंकों के साथ ओवरहेड स्प्रिंकलर की व्यवस्था पट्टा क्षेत्र से बाहर निकलें तथा निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जाये। पीपी द्वारा लॉग बुक राखी जाये जिसमें दैनिक पानी के छिड़काव और वाहनों की आवाजाही का विवरण दर्ज किया जाये।	अनुपालन किया जाएगा
55	केवल पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए जिनके पास आवश्यक पंजीकरण और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनुमति और उसी के लिए बीमा कवरेज है वाले जीपीएस सहित पंजीकृत वाहन / ट्रैक्टर ट्रॉलियां का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा	अनुपालन किया जाएगा
56	सामग्री का परिवहन में fugitive उत्सर्जन से बचने के लिए केवल आवश्यक नमी वाले बके हुए एवं पीयूसी प्रमाणित वाहनों का उपयोग किया जाये। खनिजों का परिवहन वन क्षेत्र से बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा	अनुपालन किया जाएगा
57	परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का (डब्ल्यूबीएम/ब्लैक टॉप) बनाया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा
58	प्रमुख पुलों और राजमार्गों के दोनों तरफ से 1 किलोमीटर (1 किमी) की दूरी तक रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी। और अपस्ट्रीम	अनुपालन किया जाएगा

	से इस तरह के पुल/सार्वजनिक संरचना (जल ग्रहण क्षेत्र सहित) से पांच गुना दूरी तक एवं डाउन स्ट्रीम से ऐसे पुल से दस गुना दूरी तक, कम से कम 250 मीटर अपस्ट्रीम साइड से और 500 मीटर डाउनस्ट्रीम साइड से रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी।	
59	खनन की गहराई 3 मीटर या जल स्तर, जो भी कम हो, तक सीमित होनी चाहिए और नदी के किनारे से दूरी एक चौथाई या नदी की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए और जो 7.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नदी के अंदर खनन की अनुमति नहीं है। स्थापित जल वाहक नाला घनालियों को स्थानांतरित सीधा या संशोधित नहीं किया जायेगा।	अनुपालन किया जाएगा
60	खनन कार्य शुरू होने से पहले सखनन क्षेत्र की पिलर से सीमांकन और भू-संदर्भित किया जाये।	अनुपालन किया जाएगा
61	परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष के माध्यम से पर्यावरणीय ऑडिट कराई जाये और उस ऑडिट की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन पर रखी जाये।	अनुपालन किया जाएगा
62	मानसून के मौसम में कोई खनन नहीं किया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा
63	खनन कार्य पूरी तरह से अनुमोदित खनन योजना एवं सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2018 के अनुसार किया जाएगा तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों के	अनुपालन किया जाएगा

253

	अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा की खनन योजना में निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए खनन पट्टा क्षेत्र में रेत की वार्षिक पुनःपूर्ति खनन पट्टा क्षेत्र में रेत खनन कार्यों हेतु पर्याप्त है।	
64	अगर नदी की धारा सूखी है तो उत्खनन धारा के तल की सबसे निचले कम की अबाधित गहराई से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जो स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।	अनुपालन किया जाएगा
65	खनन पूरा होने के बाद, गड्ढे के किनारे को 25:1 के अनुपात पर प्रवाह की दिशा में बलान पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए।	अनुपालन किया जाएगा
66	एम.पी.पी.सी.बी से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाएगी और एम.पी.पी.सी.बी. की सिफारिश के अनुसार वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण उपार्यों को स्थापित करना होगा।	अनुपालन किया जाएगा
67	क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए समुचित कार्य किये जायेंगे। इसके लिए आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत / सक्षम प्राधिकरण के मध्यम से किया जाएगा।	अनुपालन किया जाएगा
68	श्रमिकों के छह मासिक व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किए जाएंगे और सभी श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। सभी खान श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह, प्राथमिक चिकित्सा, उधित अग्निशमन उपकरण और शौचालय (पुरुष और महिला के लिए अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। खदान के	अनुपालन किया जाएगा

	स्थल कार्यालय, विश्राम गृहों आदि को सोलर लाइट से रोशन और हवादार किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं जैसे विश्राम गृह, साइट कार्यालय आदि को लीज अवधि की समाप्ति के बाद साइट से हटा दिया जाएगा	
69	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीनतम कार्यालीन जापन पत्र संख्या एफ.सं. 22-34/2018-आईए। ॥ दिनांक 16/01/2020 के अनुसार, पर्यावरण प्रबंधन योजना और कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व में अलग से बजट का प्रावधान चराई भूमि के विकास और रखरखाव के लिए बबनम जाये और ये जानकारी वार्षिक पर्यावरण विवरण में दी जाये।	अनुपालन किया जाएगा
70	मदि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपायों के लिए आवंटित पर्यावरण प्रबंधन योजना बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है. तो पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए बजटीय प्रावधानों के कम उपयोग के कारण को वार्षिक रिटर्न (विवरणी) में सम्मिलित किया जाये।	अनुपालन किया जाएगा
71	71. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एसईएसी और एसईआईएए में प्रस्तुत दस्तावेदजो में विसंगति (यदि कोई) पाए जाने पर परियोजना प्रस्तावक स्वयं जिम्मेदार होगा।	अनुपालन किया जाएगा
72	खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढे एवं भूमि के पुनरुद्धार की राशि का कार्य खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन विभाग द्वारा गतिविधि के लिए अनुमानित उचित राशि को खान में खनिज की समाप्ति होने के	अनुपालन किया जाएगा

	उपरांत समस्त गतिविधि का जिम्मा कलेक्टर के पास जमा करना होगा।	
73	खनन कार्य हेतु पानी की आवश्यकता के लिए ग्राम पंचायत तथा किसी भी पेड़ की कटाई से पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।	अनुपालन किया जाएगा
74	ऐसे धट्टे जो यन क्षेत्र के 250मी की परिधि के अंदर आ रहे हैं एवं परियोजना प्रस्तावक ने सभाग स्तरीय आयुक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है. तो समिति द्वारा निर्धारित सभी शर्ती घालन सुनिश्चित किया जाये।	अनुपालन किया जाएगा
75	75. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रोद्यौगिकी में परिवर्तन, और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।	अनुपालन किया जाएगा
76	अस्थायी अनुज्ञा (TP) के प्रकरण मे, पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता केवल टीपी की वैधता तक रहेगी एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान समापन योजना का पालन सुनिश्चित करना होगा।	अनुपालन किया जाएगा
77	खनन पट्टाधारक खनन कार्य को बंद करने के बाद, चरागाह के विकास एवं रख-रखाव हेतु एम.ओ.ई. एफ.एड.सी.सी के पत्र एफ. सं. 22834/2018-आई.ए. ॥॥ दिनांक 16/01/2020 अनुसार ई.एम.पी और सी. ई. आर अंतर्गत एक अलग बजट सुरक्षित करें।	अनुपालन किया जाएगा

78	78. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या Z&11013/57/2014&IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा हैं या बस्तियों और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए हैं" में दिए गए मेटिगीटिय उपायों का पालन करगा।	अनुपालन किया जाएगा
79	पत्राचार के पते में कोई भी परिवर्तन, के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सूचित करेगा।	अनुपालन किया जाएगा
80	<p>खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबंध में एक डिस्प्ले बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा : खदान के मालिक का नाम संपर्क विवरण आदि।</p> <p>परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में) मय अक्षांश देशांश।</p> <p>खदान की लम्बाई, चौड़ाई एवं स्वीकृत गहराई।</p> <p>माईनेवल पोटेंशियल ऑफ रेत खदान।</p> <p>पर्यावरण स्वीकृति एवं एमपीपीसीबी की कन्सेन्ट अनुसार परियोजना की स्वीकृत उत्पादन क्षमता।</p> <p>खनन विधि (मैनुअल/सेमी मैकेनाइज्ड)।</p>	अनुपालन किया जाएगा

37

<p>81 NGT (CZ) के आदेश क. 66/20 दिनांक 19/10/2020 एवं एस.ई.आई.ए.ए का निर्देश पत्र संख्या 5084 दिनांक 09/12/2020 के अनुसार रेत खनन के मामले में पीपी द्वारा निम्नलिखित शर्तों को लागू किया जाना चाहिए: 1. लीजधारक को परियोजना स्थल पर न्यूनतम संख्या में (02) पोकलेन्स का उपयोग कर सकता है 02 से जादा पोकलेन्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।</p> <p>#. जिला प्रशासन द्वारा पहले वर्ष के अंत में पर्यावरणीय प्रभाव के लिए साइट का आकलन करने के उपरांत ही निरंतर खनन कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाये।</p> <p>कार्य की अंतिम गहराई वर्तमान प्राकृतिक नदी तल से 01 मीटर और उपलब्ध रेत की मोटाई प्रस्तावित खदान स्थल से 03 मीटर होगी।</p> <p>iv. रेत उत्खनन किसी भी परिस्थिति में भूजल स्तर को प्रभावित नहीं किया जाए। यदि भूजल स्तर 01 मीटर पर अनुमत गहराई के भीतर होता है, तो उत्खनन कार्य तुरंत रोक दिया जाये।</p> <p>v. रेत का खनन के दौरान किसी भी तरह से नदी के पानी की गंदलापन (टरबिडिटी), वेग और प्रवाह को प्रभावित न किया जाए।</p>	<p>अनुपालन किया जाएगा</p>
--	---------------------------

<p>vi. खनन गतिविधि की निगरानी तालुक स्तर के बल द्वारा महीने में एक बार भौतिक सत्यापन करके की जाएगी</p> <p>खनन बंद होने के बाद, लाइसेंसधारी खदान में लगाए गए तमी शेड और रेत खदान के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को तुरंत हटा दें, जहाँ तक संभव हो, बिना किसी कृत्रिम बाधा के नदी को अपना सामान्य मार्ग फिर से शुरू करने के लिए सड़कों/मार्गों को समतल किया जाये।</p> <p>viii. खनन से किए गए गड्डों को जहां आवश्यक हो वहां वापस भर दिया जाना चाहिए और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए क्षेत्र उपयुक्त लैंडस्केप होना चाहिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना यो अनुसार खदान की सीमा और गहराई के संबंध में मानकों का पालन करे एवं खदान की सीमा का उचित रूप से सीमांकन किया जाए।</p>	
<p>82. नदी के किनारों पर स्थिरीकरण के लिए खास स्लिप्स और नगर मोथा जैसी प्रजातियों को लगाया जाये एवं किसी भी उपयुक्त सरकार के माध्यम से गांव में खनिज निकासी सड़क और आम क्षेत्र पर मिट्टी के कटाव की जांच के लिए संबंधित डी.एफ.ओ./ग्राम पंचायत/कृषि विभाग या किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य अनुमति के उपरांत ईएमपी में किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार पर्याप्त विशेषज्ञता वाली एजेंसी</p>	<p>अनुपालन किया जाएगा</p>

259

	(जैसे वन विकास निगम/धन समिति, वन रेंज अधिकारी की निगरानी और मार्गदर्शन में उक्त कार्य करवाया जाये।	
83	पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ.बी. डंप. (Over burden) न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्यो के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हताहत / मृत पोधों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों, जीवों इल्ल्यादि को कोई हानि न हो इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण डी. एफ.ओ के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट डी.एफ.ओ को हस्तांतरित किया जाये।	अनुपालन किया जाएगा
84	संबंधित ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रत प्रजातिया जैसे बार्शिक, बारहमासी घास/चारा, वृक्ष की प्रजातियों रोपित की जाये जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाये।	अनुपालन किया जाएगा
85	पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरुआत से	अनुपालन किया जाएगा

260

<p>पहले, आस-पास के ग्रामीणों को धारा/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक वानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर वितरित किए जाएं। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की "अंकुर योजना के अंतर्गत बायुदूत ऐप पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को पंजीकृत कर की जाये। पी.पी द्वारा जिन स्थानों पर औषधि याटिका (मडिकल गार्बन) प्रस्तावित है उन स्थानों (स्कूल/जआंगनवाडी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किया जाये कि उनका सरवाइवल 80 प्रतिशत तक हो।</p>	
<p>86 परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण के लिये पानी की उचित व्यवस्था की जाये।</p>	<p>अनुपालन किया जाएगा</p>
<p>87 बी-1 श्रेणी की परियोजनाओं में प्रस्तावित सीईआर गतिविधियों जन सुनवाई के निधिवार्ष पर आधारित होने चाहिए। एवं बी-2 श्रेणी की परियोजनाओं में स्थानीय आवश्यकता मूल्यांकन और ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सी.ई आर गतिविधि प्रस्तावित किया जाए।</p>	<p>अनुपालन किया जाएगा</p>
<p>88. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)</p>	<p>अनुपालन किया जाएगा</p>

261

<p>1 एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी 100 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे पौसे घर से 15 सेंटीमीटर)</p> <p>धारा, अग्रेय स्थानीय थास बीजप्रजातियाँ। पंक्ति सेडपी चकित (पृक्ष प्रजाति)</p> <p>न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 3 मीटरल</p> <p>कही पंक्ति 30 से 50 मीटर (वृक्ष प्रजाति)</p> <p>पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर</p>	
--	--

मानक शर्तें

Sr. No.	Conditions	Compliance
1-	परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल विवरण के साथ वैध डाक का पता।	अनुपालन किया जाएगा
2-	2. नदी तल पर किसी भी भारी वाहन का जाना प्रतिबंधित रहेगा।	अनुपालन किया जाएगा
3-	खनन क्षेत्र से रेत का परिवहन लयान स्थले तक केवल ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से ही किया जायेगा।	अनुपालन किया जाएगा
4	मदी कर्व पर किनारों को उचित बांधों द्वारा स्थिर किया जाये एवं उचित वृक्षारोपण किया जाये इसकी निगरानी कलेक्टर के द्वारा किया जाये ताकि रेत खनन से उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभावित न हो सके।	अनुपालन किया जाएगा
5	खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये, खनन योजना का उल्लंघन किये जाने पर एस.ई.आई.ए.ए द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृत रह कर दी जाएगी।!	अनुपालन किया जाएगा

203

6	यह सुनिश्चित किया जाए कि गौण खनिज के उत्खनन से नदी वल बेसिन, जहां खनन कार्य किया जाता है, की अंतर्निहित मिट्टी की विशेषताओं में किसी प्रकार का बदलाव तो नहीं हो रहा।	अनुपालन किया जाएगा
7	यह सुनिश्चित किया जाये कि खनन कार्य से नदी के पानी का गंदलापुन (टुरबिडिटी), वेग और प्रवाह पैटर्न को किसी भी तरह बाधित न किया जाये।	अनुपालन किया जाएगा
8	यह सुनिश्चित किया जाये कि नदी के तल पर अथवा खनन क्षेत्रों के निकट कोई जीव-जंतु घोंसले के लिए निर्भर तो नहीं है।	अनुपालन किया जाएगा
9	विचाराधीन सभी प्रस्तायों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन / राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा तथल पर सटीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सीमांकन किया जायें।	अनुपालन किया जाएगा
10	सार्वजनिक स्थानों पर बाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए।	अनुपालन किया जाएगा
11	आसपास की बस्तियों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये। तथा गाँव की जिन सड़को से गौण खनिजों का परिवहन किया जाना है, का नियमित रूप से रख रखाव/अनुरक्षण किया जाये।	अनुपालन किया जाएगा
12	मृदा अपरदन की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायें।	अनुपालन किया जाएगा

264

13	परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के गड्ढे कचरे के ढेर के आसपास आवश्यक सुख्खा उपाय सुनिश्चित किया जाये।	अनुपालन किया जाएगा
14	वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी के अनुसार किया जाये एवं वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जानी चाहिए एवं पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न किया जाये।	अनुपालन किया जाएगा
15	खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त बाड़ों से बक दिया जाये ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण/बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।	अनुपालन किया जाएगा
16	16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जायें।	अनुपालन किया जाएगा
17	धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराए जाये और उनके सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।	अनुपालन किया जाएगा
18	कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।	अनुपालन किया जाएगा
19	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित	अनुपालन किया जाएगा



	अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायों के प्रमुखों, (जैसा लागू हो) को भी प्रस्तुत की जाये।	
20	मंत्रालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।	अनुपालन किया जाएगा
21	तथ्यात्मक डेटा को छुपाने अथवा झूठे / गढ़े हुए डेटा प्रस्तुत करने एवं ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर पर्यावरण मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाही कि जा सकती है।	अनुपालन किया जाएगा
22	22. पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील, करना हो, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के अंदर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की जा सकती है।	अनुपालन किया जाएगा

1064

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period Jan2025 - June 2025)

266

ANNEXURE-3

1065

SEIAA Case No.-10238/2023

(Half yearly Compliance period Jan2025 - June 2025)

267



1066

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period Jan2025 - June 2025)

268



269



270



271

ANNEXURE-4

1070

SEIAA Case No.-10238/2023
(Half yearly Compliance period Jan2025 - June 2025)

272

ENVIRONMENTAL
CLEARANCE



Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment
Authority(SEIAA), MADHYA PRADESH)

To,

The -1
PURAN LAKSHKAR

The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas
Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District
Bhopal (M.P.) 462011 -462011

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity
under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC)
in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number
SIA/MP/MIN/430049/2023 dated 14 Jul 2023. The particulars of the environmental
clearance granted to the project are as below.


- | | |
|---|-------------------------|
| 1. EC Identification No. | EC23B001MP183358 |
| 2. File No. | 10238/2023 |
| 3. Project Type | New |
| 4. Category | B |
| 5. Project/Activity including
Schedule No. | 1(a) Mining of minerals |
| 6. Name of Project | CHICHOLI SAND QUARRY |
| 7. Name of Company/Organization | PURAN LAKSHKAR |
| 8. Location of Project | MADHYA PRADESH |
| 9. TOR Date | N/A |

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page
no 2 onwards.

(e-signed)
Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
SEIAA - (MADHYA PRADESH)

Date: 04/10/2023

PARIVESH
(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive,
and Virtuous Environmental Single-Window Hub)



*Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification
number & E-Sign generated from PARIVESH. Please quote identification
number in all future correspondence.*

This is a computer generated cover page.

273

संदर्भ: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/430049/2023 - प्रकरण क्र. 10238/2023 परियोजना प्रस्तावक दि.म.प्र. स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लाल लखकार, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 59,880 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुमोदित), रकबा 4.990 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 463, ग्राम विद्यौली, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्ण पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय-समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्ण पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परियोजना पर निरीक्षण फॉर्म पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. SIA/MP/MIN/430049/2023 एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 20.07.2023) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेजों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण पत्र क्र. 651 दिनांक 03.06.2023 के अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अन्तार्राज्य/जैव विविधता/ईको सेंसेटिव जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र 250 मीटर की परिधि के बाहर स्थित है। अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 21°31'46.96" से 21°31'53.54" और देशांतर 79°52'06.13" से 79°51'55.78" भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

III परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रेषित जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 800वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 675वीं बैठक दिनांक 08.09.2023 में प्रकरण पर की गई अनुमोदना के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्तें अधिरोपित करते हुये पूर्ण पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक दि.म.प्र. स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लाल लखकार, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 59,880 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुमोदित), रकबा 4.990 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 463, ग्राम विद्यौली, तहसील खैरलांजी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, म.प्र. एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तें और तदुपरांत मानक शर्तों के अधीन पूर्ण पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अ) विशिष्ट शर्तें:

1. पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2018 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति भय तहसिल प्रस्ताव के साथ प्राप्त करने के उपरांत ही खनन सक्रिया आरंभ की जाये।

274

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा की जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संवय कार्य, मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनवाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त शर्तों के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जिला प्रशासन में जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माह अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, न.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाये।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साम्यारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाह अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परियेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन संक्रिया हेतु Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायें।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत का उत्खनन जिले की अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अद्यतन कराकर SEIAA एवं SEAC के अनुमोदन उपरांत ही किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. न.प्र. राज्य खनिज निगम लि. द्वारा जिले की स्वीकृत रेत खदानों की निविदता मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव एवं भराव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं जिला खनिज अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जलगराव क्षेत्र को गैर-खनन क्षेत्र के रूप में संरक्षित रखा जायेगा।
12. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

278

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित उत्पादन क्षमता 60 प्रतिशत माईनेबल मिनरल पोटेशियल, अनुमोदित खनन योजना, निधिवत्त मात्रा एवं SEAC द्वारा अनुमोदित मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो से अधिक का उत्पादन नहीं किया जायेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रस्तावित खदान से नदी के दोनों किनारे (न्यूनतम 25 मीटर एक तरफ) को दूरी तक हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व प्रस्तावित हरित संरक्षण हेतु फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के दार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षामार्ग की व्यवस्था की जायेगी।
16. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरान्त ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
19. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गट्टे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
21. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर धक्का पट्टे मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
22. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
23. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिरूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन प्रकृति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अवाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलॉजिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जायेगा।
26. खनिज की कोपरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

276

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पौधों के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
29. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
32. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
33. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों को तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पट्टवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

SEAC द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तें :-

34. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 66 months.
35. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
36. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
37. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
38. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
39. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

- 277
40. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouring.
41. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
42. नदी के किनारे मौके पर उपर्युक्त स्थल स्थिति के आधार पर नदी तट (Reparin Zone) के अधिकतम 05 मीटर तक के क्षेत्रों में स्थित घुसों को हटि नदी पहुँचाई जायेगी ।
43. रेल निकासी परिवहन मार्ग मिट्टी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित मूक/कृषकों से सहमति परचात ही परिवहन किया जायेगी ।
44. उपरोक्त संवाहन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अनिवार्य प्राप्ता करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prawn Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संवाहन होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
45. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिये वार्षिकीय प्रायश्चित्त कैपिटल राशि रु. 18.11 लाख एवं रिजर्विंग राशि रु. 10.00 लाख प्रतिवर्ष प्रस्तावित है ।
46. सीईआर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सीईआर में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 05 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (नू-प्रवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे ।)

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित वित्तियुधि	राशि (रु. में)
ग्राम विचोली के प्राथमिकीय स्कुल में अधीकरण विकास में रूढयोग हेतु आर.ओ. वाटर कूलर के लिए 60,000 रुपयें की राशि शिक्षक पालक संघ समिति विचोली के खाले में जमा की जायेगी ।	60,000

47. निम्नानुसार पुनरोपेण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 03 वर्षों तक मृत घीघों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रूढ-रूढाव के साथ) कम से कम 4500 घुसों का पुनरोपेण :-

क्र.	प्रस्तावित पुनरोपेण के लिए नियत स्थान	घीघों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे पर (नदी तट से 1 से 6 फुटियाँ में)	1-3 फुटियाँ - खस, नागर मोथा, लेमन घास, गटावन के बीज एवं स्थानीय घास	1500
		4-5 फुटियाँ - कटांग घास	1000
		6 फुटियाँ - करंज, जामुन, लसोडा मसरी, खमेर, कड़वा, अर्जुन, शहनुत एवं तिरौल, आम, गसरी अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ	350
2	ग्राम विचोली के घासघातियाँ में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2885
3	परिवहन मार्ग (1000 मीटर)	नीम, पीपल, अचार, बरगद, तिरौल, मोलशी, मुत्रंजीवा, कुसुम, आम, अंजन, महुआ, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियाँ, (टी गार्ड के साथ)	250
<input checked="" type="checkbox"/> घुसों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में घीघों का रूढ-रूढाव रूप/घास संवाहन/स्थानीय पन वगिरि/स्थानीय पकीकृत खट सीईआर/वैकालीय रूढाव (SIC) के द्वारा खनन अवधि तक करुया जायेगा ।			

<ul style="list-style-type: none"> ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/तखाळा नहीं जाएगा। ✓ एक पॉलिक को दूसरी पॉलिक में मोटे STAGGRED (आड़े-तिरफे) लगाये जायेंगे। ✓ टीप, गूनासोपन, बीजासोपन एवं रखा-रखाव, पौधे पर खतर की उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा एवं खदान क्षेत्र को आस पास परिवेशीय हेतु जंगल उपलब्धता लगाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल प्रवाह क्षेत्र में / प्राथमिक स्थूल / बुनियादी ढाना / आसनवादी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमे, विभाग की सहमति पर परिवेशीय एवं रखा - रखाव किया जायेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थानीय परिस्थितियों के कारण पर संपन्न समय न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे कर्मियों को फलदार, बीस पीछे प्रयास किये जायेंगे तथा नदी क्षेत्र से लगे कर्मियों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा परिवेशीय की सर्व अनुसार रास्ता को पूर्ण की जा सकेगी। वेधित पीछे की सुरक्षा के पर्याप्त समय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा। 	5988
योग	

48. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला प्रमुख पालन विभाग अधिकारी का अनिवार्य प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल संस्थापन के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
49. जिला प्रशासन द्वारा वार्षिक रूप से मानसून से पहले और सितंबर के अंतिम सप्ताह में खनन पट्टा क्षेत्र में रेत के जमाव (10 एम > 10.00 हेक्टर के पट्टों के लिए 100 मीटर के अंतराल पर तथा <10 हेक्टर के पट्टों के लिए 50 मीटर के अंतराल पर) का रिकॉर्ड दर्ज करे एवं आर.एल (रिज्यूट लेवल) मैजस्टेट बुक में रिकॉर्ड रखरखाव करे। तदनुसार जिला प्रशासन द्वारा पट्टा धारक को केवल रेत की पुनर्पूर्ति की गई मात्रा की खुदाई करने हेतु आगामी वर्ष में अनुमति दी जाये।
50. उत्खनन क्षेत्र का स्पष्ट सीमांकन स्थल पर अक्षांस एवं देशान्श अनुसार पिलर लगाकर किया जाये एवं सुरक्षा हेतु आवश्यक सूचना व सावधानी संकेत सूचना पटल पर अंकित किये जाये।
51. धूल के कणों का दमन करने के लिए सोलर पम्प/पानी के टैंकों के साथ ओवरहेड सिप्रकलर की व्यवस्था पट्टा क्षेत्र से बाहर निकले तथा निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के सिप्रकलर की व्यवस्था की जाये। पीपी द्वारा लॉग बुक रखी जाये जिसमें दैनिक पानी के छिड़काव और वाहनों की आवाजदारी का विवरण दर्ज किया जाये।
52. केवल पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए जिनके पास आवश्यक पंजीकरण और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनुमति और उसी के लिए बीमा कवरेज है वाले जीपीएस सहित पंजीकृत वाहन / ट्रैक्टर ट्रॉलिया का उपयोग केवल उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा।
53. सामग्री का परिवहन में fugitive उत्सर्जन से बचने के लिए केवल आवश्यक नमी वाले ढके हुए एवं पीगूसी प्रमाणित वाहनों का उपयोग किया जाये। रोमिजों का परिवहन वन क्षेत्र से बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जायेगा।
54. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का (डब्ल्यूटीएम/ब्लैक टॉप) बनाया जाएगा।
55. प्रमुख धुलों और राजमार्गों के दोनों तरफ से 1 किलोमीटर (1 किमी) की दूरी तक रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी। और अपस्ट्रीम से इस तरह के पुल/सार्वजनिक संरचना (जल ग्रहण क्षेत्र सहित) से पांच गुना दूरी तक एवं डाउन-स्ट्रीम से ऐसे पुल से दस गुना दूरी तक, कम से कम 250 मीटर अपस्ट्रीम साइड से और 500 मीटर डाउनस्ट्रीम साइड से रेत और बजरी नहीं निकाली जाएगी।
56. खनन की गहराई 3 मीटर या जल स्तर, जो भी कम हो, तक सीमित होनी चाहिए और नदी के किनारे से दूरी एक चौथाई या नदी की चौड़ाई जितनी होनी चाहिए और जो 7.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। नदी के अंदर खनन की अनुमति नहीं है। स्थापित जल बाहक नाला झालियों को स्थानांतरित, सीधा या संशोधित नहीं किया जायेगा।
57. खनन कार्य शुरू होने से पहले खनन क्षेत्र को पिलर से सीमांकन और भू-सर्दमित किया जाये।
58. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष के माध्यम से पर्यावरणीय ऑडिट कराई जाये और उस ऑडिट को रिपोर्ट को सार्वजनिक डॉमेन पर रखी जाये।

279

59. खानदान के दौरान में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
60. खनन कार्य पूरी तरह से अनुमोदित खनन योजना एवं सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2018 के अनुसार किया जाएगा तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा की खनन योजना में निर्धारित सारों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए खनन पट्टा क्षेत्र में रेत खनन कार्यों हेतु पर्याप्त है।
61. अगर नदी की धारा सूखी है तो परखनन धारा के तल की सबसे निचले कम की अबाधित गहराई से धारा नहीं बढ़ना चाहिए, जो स्थानीय हाइड्रोलॉजिक्स, जल विज्ञान और सू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
62. खनन पूरा होने के बाद, गड्ढे के किनारे को 2.5:1 के अनुपात पर प्रवाह की दिशा में ढलान पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
63. एम.पी.सी.डी से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाएगी और एम.पी.सी.डी. की सिफारिश के अनुसार वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को स्थापित करना होगा।
64. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिए समुचित कार्य किये जायेंगे। इसके लिए आवेकित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत/सक्षम प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा।
65. श्रमिकों के 198 मासिक व्यावसायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किए जाएंगे और सभी श्रमिकों को आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाएंगे। सभी खान श्रमिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए विश्राम गृह, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशामन उपकरण और शौचालय (पुरुष और महिला के लिए अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। खदान के स्थल कार्यालय, विश्राम गृहों आदि को सोलर लाइट से रोशन और हवादार किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं जैसे विश्राम गृह, साइट कार्यालय आदि को तीन अवधि की समाप्ति के बाद साइट से हटा दिया जाएगा।
66. पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नवीनतम कर्मांतोन शापन पत्र संख्या एफ.सं. 22-34/2018-आईए। III, दिनांक 16/01/2020 के अनुसार, पर्यावरण प्रबंधन योजना और कॉर्पोरेट पर्यावरण सतततायित्व में अलग से बजट का प्रावधान कराई भूमि के विकास और रखरखाव के लिए बनव्य जाये और ये जानकारी वार्षिक पर्यावरण विवरण में दी जाये।
67. यदि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपकरणों के लिए आवेकित पर्यावरण प्रबंधन योजना बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, तो पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए बजटीय प्रावधानों के कम उपभोग के कारण को वार्षिक रिटर्न (डिवरपी) में सम्मिलित किया जाये।
68. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एसईएसी और एसईआईएए में प्रस्तुत दस्तावेदजों में विशंगति (यदि कोई) पाए जाने पर परियोजना प्रस्तावक स्वयं जिम्मेदार होगा।
69. खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढे एवं भूमि के पुनरुत्थार की राशि का कार्य खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन विभाग द्वारा गतिविधि के लिए अनुमानित उचित राशि को खान में खनिज की समाप्ति होने के उपरान्त समस्त गतिविधि का डिमा कलेक्टर के पास जमा करना होगा।
70. खनन कार्य हेतु पानी की आवश्यकता के लिए ग्राम पंचायत तथा किसी भी पेड़ की कटाई से पूर्व वन विभाग से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
71. ऐसे पट्टे जो वन क्षेत्र के 250मी. की परिधि के अंदर आ रहे हैं एवं परियोजना प्रस्तावक ने विभाग विशेष आवृक्त सभिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तो सभिति द्वारा निर्धारित सभी सर्ता पालन सुनिश्चित किया जाये।
72. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, और प्रस्तावित खनन ईकाई से उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
73. अस्थायी अनुज्ञा (IP) के प्रकरण में, पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता केवल टीपी की वैधता तक रहेगी एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान समापन योजना का पालन सुनिश्चित करना होगा।

74. खनन पट्टाधारक खनन कार्य को बंद करने के बाद, चरमाह के विकास एवं रख-रखाव हेतु एम.ओ.ई. एफ.एड.सी.सी के पत्र एफ. सं. 22&34/2018-आई.ए. II दिनांक 16/01/2020 अनुसार ई.एम.पी और सी.ई.ओ.अर अंतर्गत एक अलग बजट सुरक्षित करें।
75. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय शापन इच्छा Z&11013/57/2014&IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित नुद्रे जिराम बस्तियाँ और गोंय खदान पट्टा क्षेत्रों का हिरसा ई या बस्तियाँ और गोंय खदान पट्टा क्षेत्र से गिरे हुए ई" में दिए गए मेट्रिगिटिव उपायों का पालन करेगा।
76. पट्टाधार के प्ले में कोई भी परिवर्तन, के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राक्किरण को सूचित करेगा।
77. खदान में प्रदेश के समय परियोजना के संबंध में एक डिस्ट्रे बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा :
- खदान के मालिक का नाम ,संपर्क विवरण आदि।
 - परियोजना का खनन पट्टा क्षेत्र (हेक्टियर में) मय अक्षांश देशांश।
 - खदान की लम्बाई, चौड़ाई एवं स्वीकृत गहराई।
 - माईनेवल पोर्टेसियल ऑफ रेत खदान।
 - पर्यावरण स्वीकृति एवं एमपीसीसीवी की कन्वैन्ट अनुसार परियोजना की स्वीकृत उत्पादन क्षमता।
 - खनन विधि (मैनुअल/संमी मैकैनाईज्ड)।
78. NGT (C2) के आदेश क्र. 65/20 दिनांक 19/10/2020 एवं एस.ई.आई.ए.ए का निर्देश पत्र संख्या 5084 दिनांक 09/12/2020 के अनुसार रेत खनन के मामले में पीपी द्वारा निम्नलिखित शर्तों को लागू किया जाना चाहिए :
- i. लीजधारक को परियोजना स्थल पर न्यूनतम संख्या में (02) पोयलैन्स का उपयोग कर सकता है 02 से जादा पोयलैन्स के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
 - ii. जिला प्रशासन द्वारा पहले वर्ष के अंत में पर्यावरणीय प्रभाव के लिए साइट का आकलन करने के उपरांत ही निरंतर खनन कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाये।
 - iii. कार्य की अंतिम गहराई वर्तमान प्राकृतिक नदी तल से 01 मीटर और उपलब्ध रेत की मोटाई प्रस्तावित खदान स्थल से 03 मीटर होगी।
 - iv. रेत उत्खनन किसी भी परिस्थिति में भूजल स्तर को प्रभावित नहीं किया जाए। यदि भूजल स्तर 01 मीटर पर अनुमत गहराई के नीचे होता है, तो उत्खनन कार्य तुरंत रोक दिया जाये।
 - v. रेत का खनन के दौरान किसी भी तरह से नदी के पानी की गंदलापन (टरबिडिटी), वेग और प्रवाह को प्रभावित न किया जाए।
 - vi. खनन गतिविधि की निगरानी तालुक स्तर के बल द्वारा महीने में एक बार वार्षिक सत्यापन करके की जाएगी।
 - vii. खनन बंद होने के बाद, लाइसेंसधारी खदान में लगाए गए सभी शेड और रेत खदान के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को तुरंत हटा दे, जहाँ तक समय हो, बिना किसी कृत्रिम बाधा के नदी को अपना सामान्य मार्ग फिर से शुरू करने के लिए सड़को/मार्गों को समतल किया जाये।
 - viii. खनन से किए गए गड्ढों को जहाँ आवश्यक हो वहाँ वापस भर दिया जाना चाहिए और पर्यावरणीय क्षरण को रोकने के लिए क्षेत्र उपयुक्त लैंडरिफेप होना चाहिए।
 - ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खदान की सीमा और गहराई के संबंध में मानकों का पालन करे एवं खदान की सीमा का उचित रूप से सीमांकन किया जाए।

79. नदी के किनारों पर स्थिरीकरण के लिए खस स्लैब और नगर मोथा जैसी प्रजातियों को लगाया जाये एवं किरी भी उपयुक्त संस्कार के माध्यम से गांव में खनिज निकाली सड़क और आम क्षेत्र पर मिट्टी के कटाव को जान के लिए संरक्षित डी.एफ.ओ./ग्राम पंचायत/कृषि विभाग या किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य अनुमति के उपरांत ईएमपी में किए गए बजटीय आवंटन के अनुसार पर्याप्त विशेषज्ञता वाली एजेंसी (और वन विकास नियम/वन सभिति, वन रेंज अधिकारी की निगरानी और मार्गदर्शन में सक्ता कार्य करवाया जाये।
80. पहा क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पहा क्षेत्र के बाहर कोई ओ.बी. डेप (Over burden) न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्य के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हनाहत/मृत पौधों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करपीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखा जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों, जीवों इत्यादि को कोई हानि न हो इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पीपी द्वारा वन भूमि में समाहित अतिरिक्त वृक्षारोपण डी.एफ.ओ के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट डी.एफ.ओ को हस्तांतरित किया जाये।
81. संरक्षित ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रत प्रजातिया जैसे वार्षिक, बरहगारी घास/चारा, वृक्ष की प्रजातियाँ रोपित की जाये जिससे चरगाहा विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरगाहा को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाये।
82. वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले, आस-पास के ग्रामों को घास/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक पानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर वितरित किए जाए। यह गतिविधि म.प्र सरकार की "अंगूर योजना" के अंतर्गत "जापुदूत रोग" पर व्यक्तित्व ग्रामों को प्रजोद्वृत कर की जाये। पीपी द्वारा जिन स्थानों पर औपधि वाटिका (नैतिकल गार्डन) प्रस्तावित है उन स्थानों (स्कूल/आंगनवाडी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किया जाये कि उनका सरवाइवल 80 प्रतिशत तक हो।
83. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण के लिये पानी की उचित व्यवस्था की जाये।
84. बी-1 श्रेणी की परियोजनाओं में प्रस्तावित सी.ई.आर गतिविधियाँ जन सुनवाई के निष्कर्ष पर आधारित होने चाहिए। एवं बी-2 श्रेणी की परियोजनाओं में स्थानीय आवश्यकता मूल्यांकन और ग्राम पंचायत कार्यक कार्यक्रम योजना के आधार पर सी.ई.आर गतिविधि प्रस्तावित किया जाये।
85. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पॉकेट हो दूसरी पॉकेट की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पॉकेट आकीम गैर जैव खस, घास, अमृत स्थानीय घास वीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पॉकेट के बीच की दूरी 10 से 15 मीटर)
2	4 पॉकेट से 5वां पॉकेट (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 0.3 मीटर)
3	6वां पॉकेट 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (संरक्षित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर अवशिष्ट क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट - 9 :- छटी पॉकेट हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जखुन, कड़वा, करज, नीम, पीछों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोडा, करंज, आम, इत्यादि।
- नोट - प्रथम तीन पॉकेटों के पौधों के मध्य में एक लॉग औपधि प्रजातियों का क्षेत्र विकसित।

1	पहली दूसरी तीसरी पॉकेट हेतु (समस्त घास प्रजातियाँ, घास घास वीजप्रजाति आदि)	पॉकेट से पॉकेट की दूरी 0.5 से 10.5 मीटर पॉकेट में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 मीटर
2	स्थानीय अमृत प्रजाति के पौधे	0.5-11.0 मीटर
3	पौधों से पौधों, छटीवी पॉकेट हेतु तीन एवं स्थानीय अमृत प्रजाति।	पॉकेट की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पॉकेट में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

282

- नौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा घेरिनिगल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित घाटों, ड्राइवों, लताओं को और पास के झरि नदी पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकाली परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाना है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति प्राप्त हो परिवहन किया जायेगी।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अग्रिम प्राप्त करना कि खनन क्षेत्र में कोई अव्यवस्था उत्पन्न न हो सके और यदि किसी क्षेत्र का खनन होना तो अनुकूल शोकाथान के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेगे।

(ब) मानक शर्तें

1. परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल वितरण के साथ वेब साइट का पता।
2. नदी तल पर किसी भी भारी बाह्यन का जाना प्रतिबंधित रहेगा।
3. खनन क्षेत्र से रेत का परिवहन लदान स्थल तक केवल ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से ही किया जायेगा।
4. नदी कर्ब पर किनारों को उचित बांधों द्वारा स्थिर किया जाये एवं उचित वृक्षारोपण किया जाये इसकी निगरानी कलेक्टर, के द्वारा किया जाये ताकि रेत खनन से उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभावित न हो सके।
5. खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये, खनन योजना का उल्लंघन किये जाने पर एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृत रद्द कर दी जायेगी।
6. यह सुनिश्चित किया जाए कि गौण खनिज के उत्खनन से नदी तल बेरिन, जहां खनन कार्य किया जाता है की अतिरिक्त मिट्टी की विशेषताओं में किसी प्रकार का बदलाव तो नहीं हो रहा।
7. यह सुनिश्चित किया जाये कि खनन कार्य से नदी के पानी का गंदलापन (टुरबिडिटी) वेग और प्रवाह पैटर्न को किसी भी तरह बाधित न किया जाये।
8. यह सुनिश्चित किया जाये कि नदी के तल पर अथवा खनन क्षेत्रों के निकट कोई जीव-जंतु घोंसले के लिए निर्भर तो नहीं है।
9. विश्वराधीन सभी प्रस्तावों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर सटीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सौमाकन किया जाये।
10. सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए।
11. आसपास की इमारतों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये। तथा गौण की जिन सड़कों से गौण खनिजों का परिवहन किया जाना है, का नियमित रूप से रख रखाव/अनुक्षण किया जाये।
12. मृदा अपरदन की शोकाथान एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रवहन के उपाय किये जाये।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किया जाये।
14. वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी के अनुसार किया जाये एवं वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जानी चाहिए एवं मट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई बिना राक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न किया जाये।
15. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिथपाल या अन्य उपयुक्त बाड़ों से ढक दिया जाये ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण /बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।
17. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराये जाये और उनके सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जागरूकता भी प्रदान की जाये।
18. कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की सुविधा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायों के प्रमुखों, (जैसा लागू हो) को भी प्रस्तुत की जाये।


283

20. मंत्रालय अथवा कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।
21. लक्ष्यसमक डेटा को छुपाने अथवा झूठे /गड़े हुए डेटा प्रस्तुत करने एवं ऊपर उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर पर्यावरण भंगूरी को जामस दिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई कि जा सकती है।
22. पर्यावरण भंगूरी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील, करना हो, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के अंदर राष्ट्रीय हरित अधिकरण में की जा सकती है।


(मुजीबुर्हमान खान)
सदस्य सचिव

प्रतिष्ठिति-

1. अनुसूच सचिव, म.प्र. स्वच्छता, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सहाय सचिव राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (रोक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण परिसर ई-5, अरेश कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सहाय सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेश कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
5. वन महसुसधिकारी, जिला बालाघाट (म.प्र.)
6. आईए डिप्टी सचिव, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र क्षेत्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03 रावे हंकार नगर, भोपाल -
8. सहायक, भौतिकी तथा खनिकर्मा मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेशा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. सचिव अधिकारी, जिला बालाघाट (म.प्र.)
10. संचालक कार्यालय।


(राजेश मिश्रा)
कार्यपालन यंत्री

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक-3015/पीएसएमआरडी/24

भोपाल, दिनांक-29/05/2024

प्रति,

कलेक्टर (समस्त)

मध्य प्रदेश

विषय:- नवीन रेत खदाने घोषित किए जाने के संबंध में।

मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को प्रदेश की समस्त रेत खदानों का खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है, एवं निगम द्वारा खदानों की वैधानिक अनुमतियां प्राप्त कर ई-निविदा सह नीलामी के माध्यम से रेत खनन एवं विक्रय हेतु माइन डेवलपर कम ऑपरेटर (एमडीओओ) की नियुक्ति की गयी है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 अनुसार मुख्यतः नदी पर निर्मित संरचनाओं यथा पुल, सार्वजनिक सिविल स्ट्रक्चर आदि से एक निर्धारित दूरी तक खनन योजना अनुमोदित नहीं की जा सकती है। पूर्व घोषित खदानों के निकट पुल एवं अन्य सिविल स्ट्रक्चर विकसित हो जाने के कारण आज दिनांक तक मध्यप्रदेश सिया द्वारा संलग्न सूची अनुसार कुल 87 रेत खदानों की पर्यावरण स्वीकृति संबंधी आवेदन अस्वीकार किए गए हैं।

2. रेत खदानों में माइन डेवलपर कम ऑपरेटर की नियुक्ति संबंधी अनुबंध में एमडीओओ को यह विकल्प दिया गया है, कि वह पूरे से निविदा में सम्मिलित खदानों (जो कि वैधानिक कारणों से संचालन योग्य नहीं हैं) को नवीन खदानों से प्रतिस्थापित कर सकता है। अथवा समूह में निविदात्त मात्रा से कम मात्रा की वैधानिक अनुमतियां उपलब्ध होने पर उक्त सीमा तक नवीन खदानों को प्रतिस्थापित कर सकेगा। नवीन खदानों की अतिरिक्त मात्रा के विरुद्ध एमडीओओ द्वारा शासन को अतिरिक्त राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान भी है। संबंधित प्रावधानों की प्रति संलग्न है।

285

3. पर्याप्त मात्रा में रेत खदान ना उपलब्ध कराए जाने पर MDO के द्वारा कई बार न्यायालयीन वाद भी दायर किए जाते हैं। न्यायालयीन वाद से बचने, अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु, एवं शासन को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हेतु सभी रेत धारित खदान क्षेत्रों में, जो कि अब तक खदान के रूप में घोषित नहीं है, को खदान के रूप में घोषित किया जाना आवश्यक है।

मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भंडारण तथा व्यापार) नियम, 2019 के नियम 5(1) में कलेक्टर द्वारा प्रदेश की नदियों अथवा अन्य स्थानों पर नवीन रेत वहन क्षेत्रों की पहचान किए जाने तथा डीजीपीएस सर्वेक्षण कराया जाकर इसकी अवस्थिति, राजस्व नक्शे में अक्षांश तथा देशांश सहित, चिन्हित किए जाने का प्रावधान है।

खदानों की घोषणा किए जाने के संबंध में नियम 5 (2) के प्रावधान निम्नानुसार है:-

“रेत खदानों का घोषित किया जाना- उपरोक्त उप-नियम (1) के अनुसार चिन्हित रेत खदान, जानकारी/आवेदन/पस्ताव प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा, ऐसी जांच कराए जाने के पश्चात जैसा वह उचित समझे, घोषित की जाएगी। रेत खदान घोषित किए जाने के पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय से अभिमत प्राप्त किया जाएगा एवं इस प्रयोजन के लिए एक औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा:

परंतु यदि संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय से 15 दिवस की कालावधि के भीतर, यदि कोई अभिमत/परामर्श प्राप्त नहीं होता है, तो कलेक्टर, यह मानकर कि कोई आपत्ति नहीं है, केवल गैर अधिसूचित क्षेत्रों में नवीन रेत खदानें घोषित करेगा:

परन्तु यह और कि यदि संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय से नियत कालावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है, तो कलेक्टर आपत्ति का निराकरण गुण-दोष के आधार पर करते हुए खदान को घोषित करने का संबंध में समुचित निर्णय लेगा:

परन्तु यह और भी कि अधिसूचित क्षेत्रों में रेत खदानें घोषित करने के पूर्व ग्राम सभा की सहमति/अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा:

परन्तु यह और भी कि पूर्व से परिचालित अथवा नीलाम किए गए ऐसे रेत धारित क्षेत्रों को पृथक से घोषित किया जाना आवश्यक नहीं होगा”

उपरोक्त के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है:-

क्रमांक	अपेक्षित कार्यवाही	अवधि
1	प्रथम चरण में समस्त रेत धारित क्षेत्रों, जो कि अब तक खदान के रूप में घोषित नहीं हैं, को चिह्नित एवं सीमांकित कर उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत खदान के रूप में घोषित किया जाना, ताकि निगम द्वारा यथाशीघ्र नदीन घोषित खदानों की समस्त वैधानिक अनुमतियां प्राप्त कर उन्हें एमडीओ को रेत खनन एवं विक्रय हेतु सौंपा जा सके।	15/07/2024 तक
2	यन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 20/04/2022 के माध्यम से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाचार निर्धारण प्राधिकरण को रेत के मामलों में 250 हेक्टेयर तक के एकरण में पर्यावरण स्वीकृति जारी करने का अधिकार दिया गया है। अतः नदियों के किनारे अधिकतम 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित किया जाये एवं उन्हें नए सिरे से खदान के रूप में 90 दिवस में घोषित किया जाकर मध्यप्रदेश सिया से उनकी पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जा सके।	15/09/2024 तक

उपरोक्त कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करें।

Muhimbi
(निकुंज कुमार श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

पू. क्रमांक-3016/पीएसएमआरडी/24

भोपाल, दिनांक- 23/05/2024

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, भोपाल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Muhimbi
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग